तृतीय माला, खण्ड २२—अंक १

सोमवार, १८ नवम्बर, १९६३
२७ कार्तिक १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या १ से १० १–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११ से ३० . . २९–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४८ और ५० से ६५ . . ३४–७५

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७५–७६

स्थगन प्रस्ताव ७६

श्री वालकांट का भाग निकलना . ७६–८०

सभा के कार्यवाही-वृतांत में कथित अशुद्धि ८०–८१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१–८४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८४

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३–६४ . . . ८४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . . ८४

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ . . . ८४

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाने का समय बढ़ाया जाना ८५

सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८७–११६

श्री कानूनगो ९३–९९

श्री दाजी ९९–१०३

श्री अ० चं० गुह . . . १०३–१०४

श्री बड़े १०४–१०८

श्री हनुमन्तैया . . . १०८–१०९

श्री रंगा . १०९–११०

श्रीमती रेणुका राय . . ११०

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी १११

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुर्रशीद बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (बैल्लोर)

अरुणाचलम्, श्री (रामनाथपुरम)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इजूकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलियापेरूमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

इस्माइल, श्री मु (मंजेरी)

उ

उइके, श्री मं० गं (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पद्द कोट्टई)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नामनिर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायू)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्र नगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्मचन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कड़ाड़ी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसबै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरुचेंगोड)

कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णीसिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री बीकानेर के (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कामले, श्री तु० द० (लातूर)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशनवीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)

कृपालानी, श्री (अमरोहा)

क--क्रमशः

कृष्ण, श्री मं० रं० (पद्दपल्लि)
कृष्णपालसिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० मं० (मांडवी)
केप्टन, श्री चेरियन (मुवात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)
कोहोर, श्री (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पुणेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासउद्दीन, अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर--मध्य दक्षिण)
गयाकवाड़,, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायतोंड, डा० (गोआ, दमन और दीव)
गायत्रीदेवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (बरटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)

ग–क्रमश :

गुप्त, श्री रामरतन (गोंडा)

गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)

गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)

गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)

गोकरन, प्रसाद, श्री (मिसरिख)

गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोंडर, श्री भुत्तु (तिरपतूर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुडी)

घोष, श्री प्र० कु० (रांची––पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)

चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)

चतरसिंह, श्री (चम्बा)

चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)

चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)

चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)

चव्हाण, श्री रा० रा० (करोड़)

चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)

चावदा, श्रीमती, जोहराबेन (बनस्कंठा)

चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)

चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्री सचिन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)

जगन्नाथराव, श्री (गेरगंपुर)

जमीर, श्री स० चुबातोशी (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र)

जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)

जयरामन, श्री (वांडीवाश)

जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)

जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)

जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)

जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)

ज्योति स्वरूप, श्री (हाथरस)

ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

ढ

ढेबर, श्री उ० न० (राजकोट)

त

तनसिंह, श्री (बाड़मेर)

ताहिर. श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री (कोलार)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)

तिवारी, श्री कमलानाथ (बगहा)

त---क्रमश :

तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामसहाय (खजुराहो)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मंदसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)
थेनगोंडर, श्री (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दाजी, श्री होमी (इन्दौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (ग्रौग्रासम)
दास, श्री सुधांशु (डायमन्ड हार्बर)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर---उत्तर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (ग्रमरावती)
देशमुख श्री भा० दा० (ग्रौरंगाबाद)

द–क्रमशः

देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धुलश्वर, मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सनरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)

नल्लाकोया, श्री (नामनिर्देशित लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयरगंज)

नायक, श्री मोहन (भंजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरजंन लाल, श्री (नाम निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फलपुर)

प

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

प–क्रमशः

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मान सिंह पृ० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री कांशीनाथ (हाटा)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (थेरसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीका राम (हिंडौन)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पृथ्वीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करौलबाग)

फ

सेफिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमल नयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री राम चन्द्र (खरगोन)

बद्रुदुजा , श्री (मर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

ब रुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, श्री सोनूभाई दागड़ (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुग)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)

बालकृष्णन्, श्री (कोलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट,श्री ज० ब० सिंह (अल्मोड़ा)

बीरेन्द्र दत्त दत्त, श्री (त्रिपुरा–पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासीलाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह, महाराज कुमार (झालवाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (चंमका)

बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)

बेरो, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश चौधरी, श्री (गाह्य दिल्ली)

भंज देव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती,श्री वि० चं० (दयांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव, श्रवनजी, (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेंरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री भूपेन्द्र नारायण (सहरसा)
मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)
मन्त्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराज, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणिषंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनेन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक , श्री राम चन्द्र, (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री ० (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

म—क्रमशः

मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसुरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलचन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगोर)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)
महौड़ां, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदा सगुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर(जमशेदपुर)
मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेंगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मन्जानी, श्री डेविड (लोहरगा)
मुकर्जी, श्रीमतीशारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता—मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्ज़फ्फर हुसेन श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री सरकार (बुलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम्)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई–उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतंकगले)
मोरे, श्री शं० शां० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यज्ञयालसिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)
यूसुफ, श्री मोहम्मद (सीवन)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगा राव, श्री र० वे ० गो० कृ० (चीपुरुपल्लि)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)

रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रतन लाल श्री (बंसवारा)

रहमान, श्री मु० हि० (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (बेतिया)

राघवन, श्री अ० ब० (बडागरा)

राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)

राज बहादुर, श्री (भरतपुर)

राजा, चितरंजन (जूनागढ़)

राजाराम, श्री (कृष्णगिरी)

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)

राजू, श्री द० स० (राजामंडी)

राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)

राणे, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

राम, श्री तु० (सोनवरसा)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोम्बटूर)

रामधनी श्री दास (नवादा)

रामनाथन चैट्टियार, श्री (करूर)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामभद्रन, श्री (कडलूर)

राम सिंह, श्री (बहराइच)

राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)

रामसेवक, श्री (जालोन)

राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)

रामस्वामी, श्री ब० क० (नामक्कल)

रामस्वामी, श्री स० व० (सलम)

रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)

र—क्रमशः

राय, डा० सारादीश (कटवा)
राय, श्री इ० मधुसूदन (महमबूबाबाद)
राव, श्री कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णामूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवरम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, , श्री क० च० (चिकबलापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजमपेट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकांतम्मा' श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललितसेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी, (शाहजहांपुर)
लास्कर, श्री निहार रंजन, (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कु० कृ० (सुल्तानपुर)

वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)

वर्मा, श्री मा० ला० (चितौड़गढ़)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)

वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)

बाडीबा, श्री (स्योनी)

वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेद (नानदरबार)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)

विजयआनन्द, महाराज कुमार, (विशाखापटनम)

विजयराजे, कुंवरानी (छतरा)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)

विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)

विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीर भद्र सिंह, श्री (महासू)

वीर बहादुर सिंह, (राजनन्द गांव)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)

वैंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)

वैश्य, श्री मलचन्द्र भूदरदास (साबरमती)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)

शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरुदासपुर)

शशांक, मंजरी, श्रीमती (पालागऊ)

शशिरंजन, श्री (पपरी)

शाम नाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जियाबैन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिव नारायण, श्री (बांसी)
शिव प्रघासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (पेरुमबुदुर)
श्यामशाह, श्री (चांदा)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्री निवासन, डा० (मद्रास-उत्तर)
श्रीमाली, डा० का० ला० (भीलवाड़)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)

स

संजी, रूपजी श्री (नामनिर्देशित—दादरा नगर हवेली)
सत्यनारायण, श्री सिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्याम लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सि० (जंजीगीर)
साधुराम, श्री (फिल्लौर-अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहु, डा० रामेश्वर (रीसरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यो० ना० (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री रामशेखर प्रसाद (छपरा)

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

सिद्धनजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धांती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर—अनुसूचित जातियां)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम्, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सेन, डा० रानेंन (कलकत्ता—पूर्व)

सोनावने, श्री (पंढ़रपुर)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)

सौंदरम, श्रीमती रामचन्द्रन (डिढ़ियल)

स–क्रमशः

सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
स्वर्ण सिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० न० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम–स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुकमसिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

अध्यक्ष

सरदार हुकमसिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्त्ति राव

सभापति तालिका

१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
२. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवे ी
३. श्री तिरुमल राव
४. श्री खाडिल्कर
५. डा० सरोजिनी महिषी

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

१. सरदार हुकमसिंह——सभापति
२. श्री कृष्णमूर्त्ति राव
३. श्री फ्रैंक एन्थनी
४. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
५. श्री विभूति मिश्र
६. श्री प्रिय गुप्त
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा
९. श्री महेश्वर नायक
१०. श्री आनन्द नम्बियार
११. श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल
१२. श्री शिवराम रंगो राने
१३. श्री सत्यनारायण सिंह

१४. श्री सिंहासन सिंह

१५. श्री सुब्बारायन

विशेषाधिकार समिति

१. श्री कृष्णमूर्त्ति राव—सभापति

२. श्री बृजराज सिंह

३. श्री सचीन्द्र चौधरी

४. श्री गो० ना० दीक्षित

५. श्री हेम बरुआ

६. पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

७. सरदार कपूर सिंह

८. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई

९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर

१०. श्री ही० ना० मुकर्जी

११. श्री महेश्वर नायक

१२. श्री शिवराम गो राने

१३. श्री अशोक कु० सेन

१४. श्री सत्यनारायण सिंह

१५. श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

१. श्री र० के० खाडिल्कर—सभापति

२. श्री अजंनप्पा

३. श्री बटेश्वर सिंह

४. श्री ओंकार लाल बेरवा

५. श्री तुलशीदास जाधव

६. श्री योगेन्द्र झा

७. श्रीमती सुभद्रा जोशी

८. श्री लीलाधर कटकी

९. श्री प० कुन्हन

१०. श्री यमुना प्रसाद मण्डल

११. श्री धुलेश्वर मीना

१२. श्री मानसिंह पू० पटेल

१३. श्री रामभद्रन्

१४. श्री शिवनंजप्पा

१५. श्री अब्दुल वहीद

प्राक्कलन समिति (१९६३-६४)

१. श्री अरुण चन्द्र गुहं—सभापति

२. श्री जोकीम आल्वा

३. श्री ध० बसुमतारी

४. श्री ब्रजराज सिंह

५. श्री श्रीनारायण दास

६. हिज हाईनेस महाराजा प्रताप केसरी देव

७. श्रीमती गंगादेवी

८. श्री अ० क० गोपालन

९. श्री सुबोध हंसदा

१०. श्री कान्हू चरण जेना

११. श्री योगेन्द्र झा

१२. श्री आनन्द चन्द्र जोशी

१३. श्री मलाइछामी

१४. ले० क० हिज हाईनेस महाराजा मानवेन्द्र शाह आफ टिहरी गढ़वाल

१५. श्री बाकर अली मिर्जा

१६. श्री कृ० ला० मोरे

१७. श्री शंकर राव शान्ता राम मोरे

१८. श्री मि० सू० मूर्ति

१९. श्री दे० जी० नायक

२०. श्री नी० श्रीकान्तन नायर

२१. श्री वासुदेवन नायर

२२. श्री टीकाराम पालीवाल

२३. श्री नवल प्रभाकर

२४. श्री राजाराम

२५. श्री विश्वनाथ राव

२६. श्री रामेश्वर साहू

२७. श्री दीवान चन्द शर्मा

२८. श्री हरि चरण सोय

२९. श्री टैकुर सुब्रह्मण्यम

३०. श्री वाडीवा

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

१. श्री मुरारका—सभापति
२. श्री बालकृष्णन,
३. सरदार बूटा सिंह
४. श्रीमती जोहराबेन चावदा
५. श्री मुत गोंडर
६. श्री शिव चरण गुप्त
७. श्री पी० एस० नटराज पिल्ले
८. श्री यलमन्दा रेड्डी
९. श्री साधू राम
१०. श्री सिद्धनंजप्पा
११. श्री अजित प्रताप सिंह
१२. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
१३. श्री सुमत प्रसाद
१४. श्री शिवमूर्ति स्वामी
१५. श्री रामचन्द्र उलाका

याचिका समिति

१. श्री तिरुमल राव—सभापति
२. श्री क० ला० बाल्मीकी
३. श्रीमती जोहराबैन चावादा
४. श्री चुन्नी लाल
५. श्रीमती गायत्री देवी
६. श्री जो० ना० हजारिका
७. श्री नारायण सदोबा कजरोलकर
८. श्री मथिया
९. श्री वासुदेवन नायर
१०. श्री स० व० पाटिल
११. श्री रामेश्वरानन्द
१२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
१३. श्री हरि चरण सोय
१४. श्री राम सहाय तिवारी
१५. श्री भीष्म प्रसाद यादव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्त्ति राव—सभापति
२. श्री अ० शंकर आल्वा
३. श्री स० मो० बनर्जी
४. श्री प्रिय गुप्त
५. श्री अन्सार हरवानी
६. श्री हेम राज
७. श्री तुलशीदास जाधव
८. डा० प० मण्डल
९. श्री मुथिया
१०. श्री काशीनाथ पाण्डेय
११. श्रीमती सहोदराबाई राय
१२. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी
१४. श्री उमानाथ
१५. श्री राम सेवक यादव

लोक-लेखा समिति १९६३-६४

१. श्री महावीर त्यागी—सभापति
२. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
३. श्री बालकृष्णन्
४. श्री भक्त दर्शन
५. श्री फतहसिंह राव प्रतापसिंह राव गायकवाड़
६. श्री गजराजसिंह राव
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्री र० के० खाडिलकर
९. श्रीमती मैमूना सुल्तान
१०. श्री मथुरा प्रसाद मिश्र
११. डा० रानेन सेन
१२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
१३. श्री रवीन्द्र वर्मा
१४. श्री पें० वैंकटासुब्बया
१५. श्री विश्राम प्रसाद

राज्य सभा

१६. श्रीमती के० भारती
१७. श्रीमती माया देवी छत्तरी
१८. श्री बी० डी० खोबरागडे
१९. श्री दयाभाई वी० पटेल
२०. श्री एस० डी० पाटिल
२१. श्री सादिक अली
२२. पंडित एस० एस० एन० तनखा

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री भागवत झा आजाद
३. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्री सचीन्द्र चौधरी
५. श्री होमी दाजी
६. श्री म० म० हक़
७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा
८. श्री गौरी शंकर कक्कड़
९. श्री मुरारका
१०. श्री नरसिन्हा रेड्डी
११. श्री सिद्धनंजप्पा
१२. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
१३. श्री म० प० स्वामी
१४. श्री महावीर त्यागी
१५. श्री वाडीवा

आवास समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री पन्नालाल बारूपाल
३. श्री भक्त दर्शन
४. श्री सुबोध हंसदा
५. श्री लहरी सिंह
६. श्री बाकर अली मिर्जा
७. श्री मोहन स्वरूप

८. श्री वासुदेवन नायर

९. श्री परमशिवन

१०. श्री राजेश्वर पटेल

११. श्री व० क० रामस्वामी

१२. श्रीमती रेणुका राय

१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री गो० ना० दीक्षित--सभापति

२. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ

३. श्री म० ला० द्विवेदी

४. श्री न० रं० घोष

५. श्री प्र० कु० घोष

६. श्री म० अ० हक़

७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा

८. श्री परेशनाथ कयाल

९. श्री जसवन्तराज मेहता

१०. श्री युवराज दत्त सिंह:

राज्य-सभा

११. श्री जी० राजगोपालन

१२. श्री बृजकिशोर प्रसाद सिंह

१३. श्री हीरा बल्लभ त्रिपाठी

१४. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

१५. श्री लोक नाथ मिश्र

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री भागवत झा आजाद

२. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

३. श्री प्र० कु० घोष

४. श्री सुबोध हंसदा
५. श्री आनन्द नम्बियार
६. श्री दे० द० पुरी
७. श्री मुत्याल राव
८. श्री सत्य नारायण सिंह
९. श्री सिंहासन सिंह
१०. श्री वाडीवा

राज्य-सभा

११. श्री एस० एम० घोष
१२. श्री ए० डी० मणि
१३. श्री एम० गोविन्द रेड्डी
१४. श्री एल० चन्ना रेड्डी
१५. कु० शान्ता वशिष्ट

नियम समिति

१. सरदार हुकम सिंह—सभापति
२. श्री कृष्णमूर्ति राव
३. श्री राम चन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव
५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
६. श्री हरि विष्णु कामत
७. श्री कर्णी सिंहजी
८. श्री द्वारका दास मंत्री
९. श्री मोहसिन
१०. श्री राजेन्द्र कोहर
११. डा० सरोजनी महिषी
१२. श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
१३. श्री सत्य नारायण सिंह
१४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार
१५. श्री राधेलाल व्यास

भारत सरकार

मंत्रि-मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

विधि मंत्री —श्री अ० कु० सेन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्त राव चव्हाण

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम्

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

संसद्-कर्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

रेलवे मंत्री—श्री हि० चे० दासप्पा

राज्य-मंत्री

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री—श्री मनुभाई शाह

उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री —डा० सुशीला नायर

संभरण मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री रघुरामैया

खान और ईंधन मंत्री—श्री अलगेशन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री —श्री हजरतवीस

सिंचाई और विद्युत मंत्री—डा० कु० ल० राव

योजना मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में मंत्री—श्री ब० रा० भगत

उपमंत्री

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री —श्री पू० शे० नास्कर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदर्म रामचन्द्रन्

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चव्हाण

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

संभरण विभाग में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

डाक और तार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सामुदायक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री डा० एरिंग

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री स० चु० जमीर

सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेहदी

खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोडा तिम्मया

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री मं० रं० कृष्ण

लोक-सभा

सोमवार, १८ नवम्बर, १९६३
२७ कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य संविधान के अन्तर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिये आये हैं सचिव उनका नाम पुकारें ।

सचिव : श्री कु० शिवप्रधासन ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद्-कार्य मन्त्री सदन को सदस्य का परिचय दे दें ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, मुझे श्री कु० शिवप्रधासन का, जो पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिये चुने गए हैं, आपसे और आपके द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री कु० शिवप्रधासन (पांडिचेरी) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोलम्बो प्रस्ताव

+

श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमा नाथ :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बाल्मीकी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री कोया :
श्रीमती सावित्री निगम .
श्री महेश्वर नायक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
†*१. श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेम राज :
श्री हेडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गुलशन :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो राष्ट्रों ने चीन सरकार पर कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये प्रभाव

---

†मल अंग्रेज़ी में

डालने की दिशा में कोई और प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) यदि कोलम्बो राष्ट्रों द्वारा चीन सरकार पर कोलम्बो प्रस्तावों को पूर्णतया तथा भारत सरकार की तरह बिना किसी हिचक के स्वीकार करने के लिये प्रभाव डालने हेतु कोई और प्रयास किये गये हों तो भारत सरकार उनसे अवगत नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह: जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कोलम्बो प्रपौजल्ज़ से इंकार कर चुकी है तो सरकार की क्या दिलचस्पी है कि स मामले को कोलम्बो प्रस्तावों का नाम देकर लटकाये हुए है ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो दिलचस्पी सरकार की नही, आपकी मालूम होती है ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरी समझ में नहीं आया है कि माननीय सदस्य मुझ से क्या जानना चाहते हैं । कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ क वाका हुआ, उसको लटकाने के या उखाड़ने के सवाल नहीं हैं । एक वाका हुआ और उसका जिक्र होता है और कुछ न कुछ कार्रवाई होती है कभी कभी । हमारे लटकाने का यह सवाल नहीं है । अगर यह कहा जाए कि जो कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ में लिखा है और जिसको हमने मंजूर किया है, उसके बारे में हम यह कह ं कि हम नामंजूर करते हैं तो इसको हम बिल्कुल गलत समझते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : इन कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ से छुटकारा पाकर सरकार कब तक अपनी ज़मीन खाली करायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ से यह बात ताल्लुक नहीं रखती है। यह बात को हमारे इरादे की, हमारी तैयारी की, हमारी कोशिश की है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री को उनके ७५वें जन्म दिवस के अवसर पर या तो सीधे ही या साझे मित्रों द्वारा, जैसे कि फ्रांस के भतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री एडगर फौरे अथवा हमारे नेपाली मित्र, इस आशय के पत्र या सुझाव मिले थे कि चीनी प्रधान मन्त्री इस विषय में बातचीत करने के लिये दिल्ली आने को उत्सुक हैं, और यह भी कि तो कोलम्बो राष्ट्र या अन्य देश एक अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन की व्यवस्था कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री ने चीनी प्रधान मन्त्री, श्री चाउ एन-लाई, पर यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश में उनका कोई स्वागत नहीं होगा तथा भारत तब तक किसी ऐसे सम्मेलन में भाग नहीं लेगा जब तक चीन हमारे इलाके से अपनी सेनायें नहीं हटा लेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अलग सवाल है । यहां सवाल यह है कि कोलम्बो राष्ट्रों ने कोई और कोशिशें की हैं या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जी हां, परन्तु इन्हीं कोलम्बो राष्ट्रों ने ही कहा है . .

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल कि क्या उन्हें श्री चाउ एन-लाई से ऐसा कोई सन्देश मिला है कि वह यहां आने को तैयार हैं इस सवाल से बिल्कुल अलग है कि क्या कोलम्बो राष्ट्रों ने चीनी सरकार पर प्रभाव डालने के लिए कोई और कोशिशें की हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नाथ पाई :** क्या में निवेदन कर सकता हूं कि कोलम्बो राष्ट्रों ने ही जोर दिया था कि चीनी प्रधान मन्त्री भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हैं ? इसलिये, यह बहुत संगत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन वह पहला सवाल नहीं था । खैर, मैं बाद में उन्हें अवसर दूंगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मूल प्रश्न के उत्तर में अभी हमें बताया गया था कि जहां तक भारत सरकार जानती है इस दिशा में कोलम्बो राष्ट्रों द्वारा और कोई प्रयास नहीं किए गए हैं । क्या में जान सकता हूं कि सरकार विशेषत: घाना तथा संयुक्त अरब गणराज्य की सरकारों के इस आशय के उन वक्तव्यों को, जो छप चुके हैं, क्या महत्व देती है कि उन्हें आशा थी कि उनके द्वारा उठाये गये कुछेक कदमों से कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर पुन: सौहार्द स्थापित हो जाएगा और चीन पर इन्हें स्वीकार कर लेने के लिये प्रभाव डाला जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे लिये यह कहना जरा मुश्किल है कि घाना या संयुक्त अरब गणराज्य मैं दिये गये बयानों को क्या महत्व दिया जाए । यह तो घटनाओं का विवेचन है; उन्होंने आशा प्रकट की है । हो सकता है उनके पास कुछ और जानकारी हो या न हो ।

श्री विश्राम प्रसाद : जब कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ को चीन सरकार मानने से इंकार करती है तो जो ३८,००० वर्गमील इलाका चीन के कब्जे में हमारा है, जैसा कि पंडित विजय लक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है, उसको वापिस लेने के बारे में हमारी सरकार का क्या रुख है, क्या कार्रवाई वह करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल में खुल कर आप चलेंगे तो कहां तक चल सकेंगे । आप देखें कि यह सप्लीमेंटरी इस सवाल में से उठता है या नहीं । सवाल आप देखें कि क्या है । सवाल यह है कि और कोशिश कोलम्बो पावर्ज़ ने की है या नहीं । आपका सवाल दूसरा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या कोलम्बो राष्ट्रों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कोलम्बो प्रस्तावों पर चुप्पी साध लेने से उन्होंने चीन को हमारे ऊपर बाजी मार ले जाने दी है और राजनयिक युद्ध जीतने में उसकी सहायता की है ; यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर वही आपत्ति है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जिस तथ्य का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसे हम विशेष रूप से कोलम्बो राष्ट्रों के ध्यान में नहीं लाए हैं । मैं समझता हूं कि उन्हें स्थिति का ज्ञान है और उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इस बारे में हमेशा ही उन्हें बताते रहना हमारे लिये उचित नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** कोलम्बो प्रस्तावों द्वारा उत्पन्न गति ोध के कारण . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** उनके प्रस्तावों को एक निरंकुश पंचाट बता कर चीनियों द्वारा रद्द कर दिये जाने पर कोलम्बो राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी भी अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने के लिये भविष्य में किसी बैठक के लिये कोलम्बो राष्ट्रों के किसी नये प्रस्ताव के बारे में जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अभी अभी मैं कह चुका हूं कि हमें कोई जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**श्री नाथ पाई :** श्रीमान्, मैं पहले खड़ा हुआ था जब आपने कहा था कि आप बबाद में मुझे अनुमति देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपा कर के मुझे सुनें । लगभग ५० माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न की सूचना दी है । वे मुझ से यह आशा नहीं रख सकते कि मैं उनमें से हरेक को बुलाऊं ।

†**श्री नाथ पाई :** कृपया केवल उन्हें ही बुलायें । जिन्हें आपने वचन दिया था कि आप बाद में बुलायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत के बाद मैंने श्री हेम बरुआ को बुलाया । और फिर, पूछा जाने वाला हरेक सवाल प्रश्न के वास्तविक प्रयोजन के साथ संगत नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** आपने विशेष रूप से कहा था, "आप बैठ जाइए; मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे अब अफसोस है ।

†**श्री बड़े :** श्रीमान्, प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है । मैं दो या तीन बार उठा और आपने मुझे अवसर नहीं दिया है । यह हमारे प्रति अन्याय है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । क्या वह कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

†**श्री बड़े :** मैं बैठ जाऊंगा । परन्तु हमने प्रश्न की सूचना दी है और ५० नाम देखने के बाद आपने पांच या छः प्रश्न पूछने का अवसर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को महसूस करना चाहिये कि वे उन पर कुछ ज्यादा सवालों को पूरा करने के हेतु जरा तेज चलने के लिये जोर देते हैं । इस प्रश्न पर पूछने के लिये कुछ नहीं है । जितने भी प्रश्न पूछे गए मुझे सब रद्द करने पड़े । श्री बड़े इसे महसूस करेंगे । उनका यह कहना शोभा नहीं देता कि उनके साथ अन्याय किया गया है । अगला प्रश्न ।

†**श्री बड़े :** वह शब्द प्रयोग करने का मुझे वास्तव में दुःख है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कृपया बैठ जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े :** परन्तु ५० नाम हैं और आपने केवल ५ या ६ मिनट इसके लिये दिये हैं। जो अनुपूरक हमने पूछने हैं वे आप पहले से ही नहीं जान सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। श्री कामत।

श्री बागड़ी : एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। आपने यह फरमाया है कि आप पचास आदमियों के अगर नाम हों तो उन सब को आप सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। यह सवाल सारे संसार से ताल्लुक रखने वाला है और अगर हर एक को सवाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है तो कम से कम हर एक पार्टी के एक दो आदमियों के खयालात तो सामने आ जाने चाहिये थे और हर एक पार्टी के एक दो आदमियों को सवाल करने का मौका मिल जाना चाहिये था। क्योंकि प्रधान मंत्री छुट्टी चाहते थे क्योंकि ठोस बात ही नहीं, इसलिए आपने प्रधान मंत्री को छुट्टी दे दी....

अध्यक्ष महोदय : अगर मेम्बर साहबान डिस्कशन चाहते हैं तो उन के लिये बहुत से तरीके खुले हैं, और वे ऐसा कर सकते हैं। सवालों के समय ऐसा नहीं हो सकता।

"वायस आफ अमरीका" ट्रांसमिटर समझौता

+

†*२.
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेडा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वॉयस ऑफ अमरीका' ट्रांसमिटर समझौते का पुनर्विलोकन किया गया है और उस पर पुनर्विचार किया गया है ;

(ख) क्या इसमें कोई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को सूचित किया है कि एकमात्र आधार जिस पर भारत सरकार ट्रांसमिटर समझौते के बारे में आगे बढ़ सकती है यह है कि इस ट्रांसमिटर से 'वॉयस ऑफ अमरीका' द्वारा कोई प्रसारण नहीं होने चाहियें। मामले पर दोनों सरकारों में बातचीत हो रही है और अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि समझौता होने से पहले मामला प्रधान मंत्री के सामने रखा गया था ? प्रधान मंत्री इस बीच बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने इसे सारा न देख कर कुछेक भागों को ही देखा था और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने किन भागों को देखा था और किन को नहीं देखा था और जो भाग उनके देखने से रह गए बाद में कौन उन्हें उनके ध्यान में लाया था और कैसे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने ज्यादा सवाल मिला दिये गये हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह एक ही है। प्रधान मंत्री कहते आये हैं कि उन्होंने सारे के सारे समझौते को नहीं देखा था बल्कि कुछ भागों को देखा था। अब हम जानना चाहते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने ठीक ठीक किन भागों को देखा था और कौन से बिना देखे रह गए थे तथा जो भाग बिना देखे रह गये थे बाद में उन्हें कौन उनके ध्यान में लाया था और कैसे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रधान मंत्री द्वारा १४ अगस्त, १९६३ को लोक-सभा में दिया गया था।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : वक्तव्य को मैं जानता हूं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसके कुछ भाग देखे थे, सारे का सारा नहीं देखा था। हम जानना चाहते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कौन से भाग वह नहीं देख सके थे। यह बड़ा गम्भीर मामला है। हस्ताक्षर तो सम्पूर्ण समझौते पर किये गये थे। सदन तथा देश जानना चाहते हैं कि कौन से भाग उन्होंने नहीं देखे तथा कैसे और किसके द्वारा वे उनके ध्यान में लाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने एक साथ तीन या चार सवाल मिला दिये हैं और वह एसा व्योरा चाहते हैं जिसका इस समय उत्तर देना कठिन होगा। यदि मैं उन्हें अनुमति नहीं देता तो निश्चय ही वह मुझ दोषी ठहरायेंगे। यदि वह एक बात पर साफ साफ एक प्रश्न पूछें तो मैं अनुमति दे दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान, आपको दोषी ठहराने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति हूंगा। हम जानना चाहते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले प्रधान मंत्री ने कौन कौन से भाग देखे थे और कौन कौन से नहीं देखे थे तथा जो भाग बिना देखे रह गये थे उनकी तरफ कैसे और किस के द्वारा उनका ध्यान दिलाया गया था।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे आशा है कि पिछली बार लोक-सभा में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने इस मामले का उल्लेख किया है। मैंने यह सारा कभी नहीं पढ़ा। इसके कुछ हिस्से, कुछ टेढ़ी बातें, मेरी राय के लिये मेरे पास भेजे गये थे और मैंने एक या दो बार इसके बारे में टिप्पण लिखे थे कि यह वांछनीय प्रतीत नहीं होता—जो कुछ भी टिप्पण था—और इस तरह जो भी पद मेरे पास आये थे उन पर मैंने उसी वक्त, वहीं के वहीं, विचार किया था। और मैंने कहा था कि मैंने सभी कागजों को देख कर सारे मामले पर विचार नहीं किया था। अब, जैसाकि मैंने पहले कहा था, यह मेरी गलती थी कि मैंने ज्यादा गहराई में इसे नहीं देखा। दुर्भाग्यवश यह भूल मुझ से हो गई।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि हिमालय की सीमा पर हमारी सेनाओं को समय असमय शक्तिशाली चीनी ट्रांसमिटरों द्वारा होने वाले प्रसारण सुनने पड़ते हैं और यदि हां, तो उस प्रचार का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं या इस समय किये जा रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे सैनिकों को चीनी ट्रांसमिटरों द्वारा अनवरत किया जाने वाला प्रचार सुनना पड़ रहा है। वह जानना चाहते हैं कि यदि यह समझौता नहीं होना है तो क्या भारत सरकार भी इस प्रचार का सामना करने के लिये कुछ कर रही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कहना ठीक है। मैंने चीनी प्रचार सुना तो नहीं है लेकिन यह काफी सक्रिय है, और उनके पास इस मतलब के लिये भारी ट्रांसमिटर हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** सारी सीमा के साथ उनके ६३ ट्रांसमिटर हैं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हो सकता है। इससे निबटने के लिये हमारे प्रसारण केन्द्रों में कुछ कोशिश होती है। ऐसी कुछ कोशिश की गई थी, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि यह कब और कैसे की जाती है लेकिन चीनियों के प्रचार का मुकाबला करने के लिये कोशिश की जाती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरा निवेदन है कि यह उत्तर बहुत ही अस्पष्ट है। यह तो प्रश्न को पूरी तरह से टाला जा रहा है। वह कहते हैं कि कुछ कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कुछ कोशिश हो रही

---

†मूल अंग्रेजी में

है। श्रीमान्, क्या आप इसे प्रश्न का उत्तर समझते हैं। इसका फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं, श्रीमान। कोई भी इस तरह से प्रश्न का उत्तर दे सकता है

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में नहीं आता कि किसी प्रश्न के उत्तर में मैं कैसे बता सकता हूं कि ठीक से क्या किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं है ; मुझे स्पष्टतः कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का है कि वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय की सहायता से इसकी जानकारी रखे। लेकिन यहां जो कहा जाता है उसके बारे में मैं बता दूं कि मैं इसे नहीं सुनता, मैं न तो चीनियों के प्रसारणों को सुनता हूं और न ही अपने प्रसारणों को।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप सरकार के अध्यक्ष हैं और इसलिये.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अब कोई बहस नहीं होनी चाहिये।

यद्यपि मेरे लिये यह उचित नहीं है, फिर भी मैं प्रधान मंत्री के ध्यान में ला दूं कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भी इस शिकायत की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को कुछ करना चाहिये नहीं तो चीनी प्रचार वहां बड़े जोरों से होता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बिल्कुल सच है : ऐसा हो सकता है ; मैं इतना और जोड़ दूं कि पश्चिमी एशिया और पूर्वी अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है। सच तो यह है कि हमारे पास जो उपकरण है वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि हर वक्त उसे सुना जा सके ; कभी कभी इससे सुनाई देता है और कभी कभी नहीं। यह एक कारण था कि हमने क्यों इसे सुधारने की कोशिश की।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह खाली प्रचार का मामला नहीं नीति का मामला है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि अमरीकी सरकार हमारे इस परिवर्तन के सुझाव को न माने कि 'वायस आफ अमरीका' इस ट्रांसमिटर द्वारा प्रसारण न करे, तो क्या भारत सरकार ने इस समझौते को रद्द कर देने तथा किसी अन्य देश की सहायता से अपना ट्रांसमिटर स्टेशन स्थापित करने का निश्चय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो कल्पित होगी।

†**श्री जवाहरलाल** : नेहरू यदि माननीय सदस्य दिए गए उत्तर की ओर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि वह समुचित उत्तर है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उमझौते को रद्द किया जाने वाला है या उसमें परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय अपमान बताया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय सरकार के लिये यह बताना संभव नहीं है कि यदि कोई चीज होती है तो सरकार क्या करने के लिये तैयार होगी। वह जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह कोरी कल्पना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीका के साथ इस समझौते की घोषणा के बाद किन्हीं देशों से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुये थे और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं तथा क्या रूस के विरोध के उत्तर में मास्को स्थित भारतीय राजदूत ने रूसी आपत्तियों को दूर करने के लिये प्रस्ताव किया था कि तत्-प्रति-तत् स्थिति बनाये रखने के लिये रूस बम्बई में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन खोल सकता है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि किसी देश से कोई औपचारिक विरोध-पत्र प्राप्त हुये थे। हो सकता है कि अनौपचारिक बातचीत के दौरान कुछ कह दिया गया हो। मुझे ठीक से याद नहीं आता कि रूस में भारतीय राजदूत ने जवाब में क्या कहा था लेकिन संभवतः उन्होंने कहा था कि कोई भी देश हम से इस तरह का समझौता कर सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चीनी आन्दोलन का मुकाबला करने के लिये जैसे शक्तिशाली ट्रांस्मिटर की आवश्यकता थी, क्या परिस्थितियों की गम्भीरता को आंकते हुए सरकार कुछ देर तक अमरीका के उत्तर की प्रतीक्षा करेगी और अगर उस समय के पश्चात् अनुकूल उत्तर नहीं आता है तो उस तरह का शक्तिशाली ट्रांस्मिटर किन्हीं दूसरे स्थानों से लेने का सरकार विचार कर रही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: ट्रांस्मिटर के सिलसिले में उस वक्त जो निश्चय हुआ था उस में यह बात भी थी कि दो वर्ष बाद वह काम करेगा। यानी इस वक्त की हमारी दिक्कतें उस से हल नहीं होतीं। दो वर्ष बाद वह आता और लगने वगैरह में समय लगता। तो यह भी वजह थी कि दो वर्ष तक हम कुछ और कोशिश करें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। वह कोशिश जारी है कि कहीं से अच्छा मिल जाय। बहुत कम मिलते हैं। बहुत मुश्किल है उन को मुहैया करना।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार का ध्यान इस देश में अमरीकी राजदूत द्वारा बार बार दिये गये वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि अन्त में यह समझौता कायम रहेगा और उन्हें आशा है कि इन कठिनाइयों के बावजूद यह कायम रहेगा और यदि हां, तो क्या इसका यह अर्थ है कि वे भारत सरकार द्वारा की गई इस आधारभूत आपत्ति को पूरा करके भी समझौते के लिये तैयार हैं और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस दिशा में निश्चय कर लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे द्वारा कही गई बात का निर्वचन करूं। स्वाभाविकतः राजदूत ने कहा है कि उन्हें आशा है कि समझौता हो जाएगा। सदा सब से अच्छी चीज की आशा रखना और उसके लिये प्रार्थना करना अन्य सभी लोगों की तरह राजदूत का काम है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : पुनर्विचार करते हुए क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि यदि यह ट्रांस्मिटर इस करार से प्राप्त हो जाये, तो भी यह शायद हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त न होता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें यह बात नहीं बताई गई हैं। परन्तु मैंने अभी कहा है कि यदि हम इस बारे में अभी कार्य करना आरम्भ कर दें तो ट्रांस्मिटर के प्रयोग होने योग्य में पूरे दो वर्ष लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री बड़े : सवाल नम्बर दो में यह पूछा गया है : "क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है।" जो माडीफिकेशन था वह यही था कि अमरीका इस ट्रांस्मिटर से यहां से अपना संदेश नहीं पहुंचा सकेगा ? यदि हां, तो वह माडीफिकेशन उनको मंजूर नहीं हुआ क्या यह बात सच है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैंने कहा है कि मामला विचाराधीन है । हमने अपना प्रस्ताव दिया है कि इस ट्रांस्मिटर से वी० ओ० ए० का कार्यक्रम प्रसारित नहीं होना चाहिये। यह मामला विचाराधीन है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में अमरीकी राजदूत जो अमरीका गए हैं वह भारत सरकार की ओर से कोई प्रोपोजल लेकर गए हैं ? यदि हां, तो क्या वे प्रोपोजल अमरीका की पालिसी से मेल खाते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अमरीकी राजदूत यहां से गए हैं लेकिन वह अपनी सरकार से मशविरा करने गए हैं। उनके जाने का इस सवाल से कोई खास ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बात उनके दिमाग में हो तो हो सकती है, लेकिन वह अपने काम से गए हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जिन उच्चाधिकारियों और पदाधिकारियों ने पहले इस एग्रीमेंट को अपनी स्वीकृति दे दी थी और भारत सरकार की रीति और नीति को नहीं समझा था, क्या उनके बारे में कोई जांच की गयी और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सिलसिले में दरियाफ्त किया गया था और कागजात देखे गए थे और एक रिपोर्ट पेश की गयी थी। इसको आप जांच कहें तो कह सकते हैं। और उस पर राय दी गयी थी कि प्रोसीज्योर में क्या क्या गलतियां हुई थीं।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि जांच हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से अधिकारी थे जिनके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई की गयी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई कार्रवाई नहीं की गयी । सब कागज देखे गए थे यह जानने के लिए कि कहां गलती हुई है और कहां हमारे प्रोसीज्योर पर अमल नहीं किया गया, और उनकी तवज्जह दिलायी गयी कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जांच का परिणाम क्या निकला ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** सरकार इस करार को कितनी जल्दी किसी भी परिवर्तन के साथ स्वीकार या एकदम अस्वीकार कर सकेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता। करार अपने मूल रूप में हमें स्वीकार न था। अतः हमने यह बात स्पष्ट कर दी। अब करार लागू नहीं है और इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। यह लागू नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कोई अपराधी पाया गया ? कुछ सदस्यों का यह प्रश्न है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : लोगों से यह गलती हुई कि ठीक प्रोसीज्यार फालो नहीं किया गया। इसको आप चाहें तो गिल्ट कह सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से किसी को कोई खास सजा नहीं दी गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्योंकि शक्तिशाली ट्रांस्मिटर की हमें अति-आवश्यकता है और इस बारे में अन्तिम निर्णय होने में कुछ समय लगेगा, इस लिए वे अन्य देश कौन से हैं जिनसे हम शक्तिशाली ट्रांस्मिटर के लिए वार्ता कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम । वास्तव में हमने पहिले भी प्रयत्न किया था, परन्तु हमें यह कहीं न मिल सका। हम अब भी इसकी तलाश में हैं। इसके लिए हम निश्चित रूप से किसी देश से वार्ता नहीं कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप अप्रासंगिक सवालों को नामंजूर करते हैं। उसी तरह अगर सरकार की ओर से किसी सवाल का ठीक जवाब न दिया जाये या दबाया जाए तो क्या यह आपका फर्ज नहीं है कि उसका ठीक जवाब दिलवायें। मैं यह इस खयाल से कहता हूं कि सवालों का जवाब ठीक दिया जाना चाहिए। अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रोसीज्योर फालों नहीं किया गया । सवाल यह था कि इसकी जवाब देही किसी की थी कि प्रोसीज्योर फालों नहीं किया गया। प्रधान मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मशविरे का बहुत मशकूर हूं।

श्री राम सेवक यादव : अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि जो प्रोसीज्योर था वह फालो नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रोसीज्योर फालो क्यों नहीं किया गया, और किस की गलती पायी गयी ? और क्या यह तो नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ही की गलती थी, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को शायद याद हो कि मैंने इस मामले में अपनी गलती तो शुरू से ही तसलीम की है। कागज देखे गए तो मालूम हुआ कि इस मामले में असली गलती यह हुई कि कागजात पहले कैबिनेट सेक्रेटरिएट को नहीं भेजे गए जैसा कि होना चाहिए था। प्रोसीज्योर यह है कि पहले ये बातें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जाती हैं। वह अपने नोट के साथ उसको कैबिनेट में पेश करते हैं और तब कैबिनेट उस पर गौर करती है। लेकिन इस मामले में उनको मालूम तक न था कि क्या हो रहा है । असली गलती यह हुई। इस गलती की एक वजह तो यह थी कि लोगों को यह खयाल था कि इस पर जल्दी दस्तखत होने हैं क्योंकि जिन साहब को दस्तखत करने थे उनको वापस जाने की जल्दी थी। एक सबब इस गलती का यह भी था कि इमरजेंसी की वजह से इसको जल्दी करना चाहा।

आस्ट्रेलिया से प्रविधिक सहायता

\+

†*३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री गो० महन्ती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया से प्रविधिक सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तथा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जुलाई १९६३ में आस्ट्रेलिया से प्रतिरक्षा उत्पादन अधिकारियों का एक दल भारत आया था। इसके बाद अक्टूबर, १९६३ में प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग का एक दल आस्ट्रेलिया गया था। इन यात्राओं के परिणामस्वरूप वे क्षेत्र निश्चित हो गये हैं जहां तकनीकी सहायता मिलने की संभावना है। तकनीकी सहायता इस रूप में होगी कि हमें उत्पादन में सुधार करने के ढंगों में सुरक्षा इंजीनियरी और आयुध कारखानों, विशेषकर किलिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

†श्री श्रीनारायण दास : हमारे वांछित उत्पादों के उत्पादन के लिए आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ कब तक ऐसा संगठन स्थापित कर सकेंगे ?

†श्री रघुरामैया : आस्ट्रेलिया सरकार यहां कुछ विशेषज्ञ भेजे, मुख्यकर इस बात पर विचार किया गया है। वे यहां विशेषज्ञ कब भेजेंगे, यह सब इस पर निर्भर है कि वे इस बारे में अन्तिम निश्चय कब करेंगे। अभी तक इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

†श्री श्रीनारायण दास : जो विशेषज्ञ दल अभी वापिस आया है, क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की विशेषतायें क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट तैयार हो रही है।

†श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : जो दल आस्ट्रेलिया गया था क्या वह जापान भी गया था और यदि हां, तो देश में प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत को जापान से क्या सहायता मिलने की आशा है ?

†श्री रघुरामैया : दल के कुछ सदस्य जापान तो गये थे, परन्तु उनकी जापान यात्रा अधिकतर ट्रैक्टरों के बारे में पैदा हुई कुछ कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिए थी। मूलतः बातचीत ट्रैक्टरों के इंजनों के विकास के बारे में हुई थी।

†श्री भागवत झा आजाद: क्या आस्ट्रेलिया के दल की यात्रा और प्रत्योत्तर में हमारे दल की यात्रा कुछ तकनीकी सहायता की सम्भावना का पता लगाने के लिए भी थी या यह केवल यात्रा मात्र थी जिसके बाद सरकार को निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : दल को कुछ संकेत दिया गया था कि किस प्रकार की सहायता मिल सकेगी परन्तु सभा महसूस करेगी कि इस मामले में आस्ट्रेलिया सरकार अन्तिम निश्चय करके हमें सूचना देगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण, जिसका उल्लेख माननीय मन्त्री ने किया है, आस्ट्रेलियावासी करेंगे या यह हमारी परियोजना होगी या संयुक्त परियोजना होगी ?

†श्री रघुरामैया : देखा गया है कि उत्पादन के कुछ मामलों में वे कुछ आगे हैं । अतः हमने उनके विशेषज्ञों को यहां आकर हमें यह सलाह देने की मांग की है कि हम अपने उत्पादन के ढंगों में कैसे सुधार करें ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने बनाये जाने वाले नये आयुध कारखानों में से किसी कारखाने के लिए आस्ट्रेलिया से तकनीकी सहायता पाने की सम्भावना का पता लगाया है ?

†श्री रघुरामैया : यह यात्रा का उद्देश्य न था ।

†श्री कृष्णपाल सिंह : आस्ट्रेलियाई उद्योगों के नये होते हुए ऐसी सहायता के लिए आस्ट्रेलिया को क्यों चुना गया है, हमने अन्य देशों से, जिनके प्रतिरक्षा उद्योग पुराने और उन्नत हैं, सहायता पाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

†श्री रघुरामैया : जिस देश के भी उत्पादन के तरीके उन्नत हों हम उसी से सीख सकते हैं और आस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने कुछ मामलों में अपने उत्पादन के तरीकों में उन्नति की है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या व हमें फिलिंग के मामले में सलाह देंगे या छोटे हथियारों के निर्माण में भी सलाह देंगे ?

†श्री रघुरामैया : हमने दूसरी श्रेणी के बारे में भी सलाह मांगी है ।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : इस सहायता का मूल्य कितना होगा ?

†श्री रघुरामैया : सहायता इस रूप में अमूल्य होगी कि यदि हम अपने तरीकों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, तो हमारा उत्पादन बढ़ जायेगा ।

नेपाल सीमा पर सीमा-चौकियां

+

†*४. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री चवन :
श्री चतर सिंह :

†मूल अंग्रेजी में

श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री वसुमतारी :
श्री सिद्धश्वर प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से अपनी सीमा चौकियों की संख्या में वृद्धि करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी:** क्या सरकार को विदित है कि नेपाल से भारत में चोरी छिपे माल आना बन्द हो गया है परन्तु भारत से नेपाल को चोरी छिपे माल जाता है ? क्या यहां और अधिक चौकियों की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** प्रश्न सीमा चौकियों की संख्या के बारे में है; वास्तव में प्रश्न में प्रवेश स्थलों का उल्लेख है । और अधिक चौकियों की आवश्यकता नहीं है । सीमा चौकियां बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं है । नेपाल और भारत में प्रवेश करने के स्थानों में वृद्धि हुई है ।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि नेपाल सरकार ने चाइना बोर्डर पर भी और इंडिया बौर्डर पर भी हिन्दुस्तान की सरकार से चैकपोस्ट्स के लिए काफी आदमियों को मांगा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह प्रश्न भारत और नेपाल के बीच प्रवेश-स्थलों के बारे में है ।

†**श्री स्वैल:** अभी माननीय मन्त्री ने कहा है कि नेपाल में प्रवेश-स्थलों की संख्या बढ़ गई । सरकार ने यह प्रार्थना किन कारणों से स्वीकार की है और क्या यह हमारे देश की सुरक्षा के हित में है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** नेपाल सरकार की प्रार्थना पर प्रवेश-स्थलों की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि वह अपनी विकास परियोजनाओं के लिए अनेक विदेशी विशेषज्ञों को रखती है और विशेषज्ञों का आना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए ये स्थल ३ से बढ़ा कर ८ कर दिये गये हैं ।

†**श्री स्वैल** : मेरा दूसरा प्रश्न यह हैं कि क्या सरकार को विश्वास है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं होगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सरकार को विश्वास है कि इससे सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होगा ।

†**श्री शशि रंजन** : क्या सरकार को विदित है कि पूर्वोत्तर सीमा पर, मुजफ्फरपुर जिले में सुरजण्ड तथा जलेस्वर के बीच भारत से नेपाल को कारें तथा अन्य वस्तुयें भी चोरी से जाती हैं और वहां कोई भी चौकी नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** मैं कह रही हूं कि यह प्रश्न प्रवेश-स्थलों के बारे में है, चौकियों के बारे में नहीं। सरकार सन्तुष्ट है कि इस समस्या की रोकथाम के लिए पर्याप्त चौकियां हैं।

†**श्री शशि रंजन :** तस्कर व्यापार नियमित रूप से हो रहा है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं? सुरजण्ड से मोटरकारें तथा अन्य वस्तुयें जलेस्वर जाती हैं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और इसी कारण मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से मोटरों कारों की तस्करी होने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि वह इस बारे में कुछ और जानकारी दें तो इस पर आगे कार्यवाही करेंगे। परन्तु निस्सन्देह कुछ तस्कर व्यापार होता है।

संयुक्त राष्ट्र की 'वर्ष-पुस्तक' में गोआ

+

†*५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री चतर सिंह :
श्री हेम बरूआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दाजी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री राम सेवक यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनांकिकीय वर्ष पुस्तक में गोआ, दमन और दीव को पृथक् रूप से पुर्तगाल के समुद्रपार के प्रान्तों के रूप में दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की जनांकिकीय वर्ष पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उस संकल्प के स्वीकार होने से पहिले की स्थिति का उल्लेख है, जिसमें पुर्तगाली प्रशासनाधीन राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी विशेष समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। इसमें उल्लेख है कि "गोआ तथा आश्रित क्षेत्र पुर्तगाली प्रशासन के अधीन नहीं है और वे राष्ट्रीय रूपमें वे भारत में मिल गये हैं।" इस संकल्प के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की जनांकिकीय वर्ष पुस्तक के आगामी संस्करणों में गोआ, दमन और दीव की स्थिति

†मूल अंग्रेजी में

का, राष्ट्रीय तौर पर भारत में मिल जाने के रूप में ठीक उल्लेख होना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ उपरोक्त आधार पर कार्यवाही की है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं यह समझूं कि हमारी सरकार इस बार की तकनीकी व्याख्या से सन्तुष्ट है कि यह वर्ष पुस्तक अमुक संकल्प से पहिले प्रकाशित हुई थी जो कि बहुत पहिले स्वीकार हुआ था, हालांकि ये क्षेत्र दो वर्ष पहिले स्वतन्त्र हुए थे। अतः वे इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं कि वर्ष पुस्तक अपने उसी वर्तमान रूप में प्रकाशित होनीं चाहियें जिसमें इन क्षेत्रों को अब भी पुर्तगाली प्रान्त बताया गया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं जानता कि "सन्तुष्ट" से माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है। सन्तुष्ट, किससे ? हमने अपना मामला रखा है। हमने उत्तर दिया है। सम्भव है कि यह पूर्णतया सन्तोषजनक उत्तर न हो। यहां मामला समाप्त हो जाता है। वे अपनी गलती ठीक कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त उठे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही कहा गया है कि एक संकल्प स्वीकार हुआ है; कि मामला संयुक्त राष्ट्र में रखा गया था, और वे इसे ठीक करेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के उस उप-भाग में, जो कि इस जनांकिकीय वर्ष पुस्तक का प्रकाशन करता है, कोई भारतीय कर्मचारी भी है या कर्मचारियों में कुछ ऐसे देशों के प्रतिनिधियों का बोलबाला है जो इन क्षेत्रों की स्वाधीनता से प्रसन्न नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि उस अमुक विभाग में कोई भारतीय काम करता है या नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस मामले की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के अतिरिक्त—और वे इसे ठीक करने के लिये सहमत हो गये हैं—क्या कोई विरोधपत्र भेजा गया है और क्या वर्ष पुस्तक की सारी प्रतियां, जिनमें गोआ, दमन और दीव को पुर्तगाली राज्यक्षेत्र दिखाया गया है, इस देश में उपलब्ध न होंगी और क्या उन पुस्तकों पर रोक लगाने की कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: केवल यह बात कि यह सब कार्यवाही की गई है सिद्ध करती है कि विरोधपत्र भेजा गया था और फिर जांच हुई तथा बाद में यह कार्यवाही की गई।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : रोक का क्या हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारा विचार इस पर रोक लगाने का नहीं है। इस पर अब रोक लगाने से किसी को कोई लाभ नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उन्होंने प्रश्न पूछा है। उसका उत्तर है "नहीं, सरकार रोक लगाने को तैयार नहीं है।" उत्तर मिल गया है। इससे माननीय सदस्य को सन्तोष होता है या नहीं, अलग बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा निवेदन है वह प्रलेख हमारे देश की अखंडता के लिये चिनौती है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं आपसे सविनय निवदन करता हूं कि आप सरकार को उचित रूप में सलाह दें कि वे भी ऐसी ही करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सरकार का सलाहकार नहीं हूं। श्री नाथपाई।

†**श्री नाथ पाई** : इस दृष्टि से कि यह पहिला अवसर नहीं है जबकि संयुक्त राष्ट्र के जनांकिकीय वर्ष पुस्तक विभाग ने उन विषयों के बारे में भूल की है जो भारत के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं—जिनका संबंध हमारी स्वाधीनता से है—जैसा कि काश्मीर को बहुत ही भिन्न रूप में दिखाया गया था, क्या भारत सरकार विरोधपत्र भेजने की अपेक्षा किसी अधिक प्रभावी कार्यवाही पर विचार करेगी, अर्थात् स्थायी रूप संयुक्त राष्ट्र को हमारा चन्दा देना बन्द करने की कार्यवाही, क्योंकि यह प्रथम अवसर नहीं है जबकि भारत के प्रति यह उदासीनता बरती गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने का सुझाव है।

†**श्री नाथ पाई** : वह उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि वे अधिक प्रभावी होने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निश्चय ही हम वह नहीं करना चाहते जिसका सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं। इसका अर्थ है अपना चन्दा न देना; जिसका अर्थ है अन्त में संयुक्त राष्ट्र से निकल आना।

†**श्री नाथ पाई** : बिल्कुल नहीं। (**अन्तर्बाधा**) मेरा अभिप्राय था स्थायी रूप से प्रभावी काय वाही करना। अपनी सदस्यता को अधिक प्रभावी व सम्मानित बनाइये। (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : यह जनांकिकीय वर्ष पुस्तक किस वर्ष की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : १९६२ की। यह उसमें अंकित है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को इस बात में दिक्कत है कि कोई एक उसके लिये तिथि निश्चित कर दें कि अमुक तारीख तक गलती का सुधार कर दिया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: हमारा संबंध यूनाइटेड नेशंस के साथ कोई अल्टीमेटम देने का नहीं होता है और दूसरे मुल्कों से भी जोकि उसके मैम्बर्स हैं, उनसे भी आमतौर से यही उम्मीद की जाती है। वैसे उन्होंने यह बात तो स्वीकार कर ही ली है कि अब जब यह नयी निकलेगी तो उस पहली गलती को वह सुधार लेंगे।

†**श्री हेम बरूआ** : इस तथ्य को देखते हुये कि यह डमोग्रफिक इंयर बुक संकल्प को स्वीकार किये जाने के भी बाद प्रकाशित हुई थी क्या हमारा यह सोचना ठीक नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस भूल तथ्य से "कम्प्रोमाइज" नहीं कर पाते कि यह प्रदेश जो कभी पुर्तगाली साम्राज्यवाद के भाग थे अब हमारे देश के अन्दर हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इन लोगों को वास्तविक स्थिति से परिचित कराने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद की घटना है या पहले की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा विचार है कि यह पहले की ही बात है । और मुझे इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विशाल संगठन में जिसमें हजारों व्यक्ति कार्य करते हैं बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भारतीय समस्याओं से संबंधित माननीय सदस्य के विचार अथवा मेरे विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं । जैसे ही हमारे सामने यह बातें आती हैं हम कार्यवाही करते हैं । हम उन्हें कार्यच्युत करने अथवा इस विषय में जांच करने के संबंध में कि कौन भारत समर्थक है और कौन भारत विरोधी है कोई कार्यवाही कैसे कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : श्रीमान् मैंने "कम्प्रोमाइज" शब्द गलत प्रयुक्त किया है, इसके स्थान पर "रिकन्साइल" शब्द प्रयुक्त करना था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यदि इस बात को मान लिया जाय, स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कि इस भूल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों के इरादे बुरे नहीं थे, क्या सरकार को ऐसा आश्वासन मिल गया है कि कम से कम इस बीच इस पुस्तक को वितरित किये जाने के पूर्व इसकी प्रत्येक प्रति के साथ एक शुद्धि-पत्र लगा दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझ मालूम नहीं कि एसा आश्वसन मांगा गया था अथवा प्राप्त हुआ था । मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता । मैं नहीं जानता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्रीमान्, हमें इस बात पर जोर देना चाहिय क्योंकि इस प्रकार की गलतियां बार-बार की जाती हैं जो कि हमारे देश की प्रतिष्ठा के विरूद्ध हैं । यह कार्य के लिये सुझाव नहीं है, सरकार को पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिय था ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान्, मेरे इस कथन का कि "इस देश की ओर से योग देना बन्द कर दिया जाय" गलत अर्थ लगाया गया है । इसका अर्थ त्याग पत्र देना नहीं है । रूस ने योग नहीं दिया है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उसकी सदस्य बनी रहे किन्तु वहां अधिक सम्मान के साथ और अधिक कारगर रूप से कार्य करे ।

इस्पात मजूरी बोर्ड

†*६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्तरिम सहायता के लिये की गयी सिफारिशों को सभी इस्पात कारखानों में कार्यान्वित कर दिया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) बोर्ड ने अस्थाई रूप से मजूरी बढ़ाने के बारे में सिफारिशें की हैं और इसके अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत समस्याओं पर विस्तृत रूप से जांच किये जाने की आवश्यकता है । बोर्ड कार्य को यथा संभव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सामान्यतः सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। स्पष्टीकरण के रूप में कुछ प्रश्न उठाये गय हैं और बोर्ड इन पर विचार कर रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सामान्यतः यह कार्यान्वित की जा चुकी हैं। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में ऐसे कौन से उपक्रम हैं जिन्होंने अस्थाई रूप से मजूरी बढ़ाने संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : कुछ मजदूरों के संबंध में इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है और यह सरकारी क्षत्र के हैं। रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ऐसा मालम होता है कि सरकारी क्षेत्र की तीनों परियोजनाओं में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है, इसका क्या विशेष कारण है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : १,४१,००० से अधिक मजदूरों में से १,३६,००० से भी अधिक मजदूरों के संबंध में इसे कार्यान्वित कर दिया गया है। इस प्रकार यह ९६ प्रतिशत मजदूरों के संबंध में कार्यान्वित की जा चुकी है और केवल ४ प्रतिशत मजदूर शेष रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या कोई विशष कारण है जिसकी वजह से इसे तीनों सरकारी उपक्रमों में लागू नहीं किया गया जबकि इतने अधिक औद्योगिक उपक्रमों में लागू और कार्यान्वित कर दिया गया है।

†**संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : ये सिफारिशें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और कार्य के लिये अस्थायी रूप से रख गये व्यक्तियों के संबंध में कार्यान्वित नहीं की गई हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये इन लोगों पर लागू नहीं होतीं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के कुल्टी वर्क्स में अभी तक अस्थायी सहायता संबंधी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं, यद्यपि फिर से इस विषय के संबंध में मजूरी बोर्ड को निर्देश किया गया था और मजूरी बोर्ड ने कहा था कि इवहें लागू किया जाय, किन्तु समवाय अब भी इन्हें मानने से इन्कार कर रही है सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी** : कुल्टी के मजदूरों के संबंध में इसे इस आधार पर कार्यान्वित नहीं किया गया कि यह इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में नहीं है। इस संबंध में फिर से मजूरी बोर्ड को निदश किया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि उनकी सिफारिश इस संबंध में नहीं है तथापि उनकी सलाह है कि इन लोगों के संबंध में भी इन्हें लागू किया जाय। हमने तदनुसार समवाय को सूचित कर दिया है।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित है और यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री हाथी** : कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, किन्तु आशा है कि अगस्त, १९६४ तक यह कार्य समाप्त हो जायगा।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य प्रांतों में जो छोटी छोटी फैक्टरियां हैं, क्या उन पर भी यह वेज बोर्ड लागू किया जायगा, या उनके लिये अलग से बनाया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : आयरन और स्टील बनाने वाली सब फैक्टरियों पर यह लागू होगा।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि मजूरी बोर्ड के एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं और बोर्ड की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते। क्या इस बात को देखते हुये सरकार कार्य को शीघ्रता से समाप्त करने के ध्येय से दूसरे सदस्य की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

†**श्री हाथी** : संबंधित सदस्य की बीमारी के कारण देर नही हो रही। देरी का कारण यह है कि मजरी बोर्ड इस विषय का अध्ययन करने के लिये एक उप-समिति की नियुक्ति कर रहा है।

चीनी अतिक्रमण

*७. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री द्वारका दास मंत्री
श्री बाल्मीकी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९६३ तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच चीनियों ने भारतीय भूमि पर कोई नये अतिक्रमण किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन अतिक्रमणों को दिखाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हाण): (क) यद्यपि २६ अगस्त, १९६३ को दिए गए विवरण से लेकर, अपनी सीमाओं पर और उन द्वारा हथियाए क्षेत्रों में चीनियों की सैनिक सक्रियता जारी है, अपनी सीमाओं के इस पार ताजा अतिक्रमण का कोई उदाहरण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चीनी सेनाओं ने इस बीच हमारी भूमि पर जो अतिक्रमण नहीं किया, क्या उसका कारण यह है कि हमारी सैनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या स्वयं चीनियों के दिमांगों में परिवर्तन आया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : दोनों कारण हो सकते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि दोनों बातें हो सकती हैं। जब हमारी सैनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एयर एक्सरसाइजिज़ हो रही हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो एरिया उन्होंने आकुपाई किया है, उस को भी हम वापस ले सकेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह सवाल तो अभी नहीं उठता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : समाचारपत्रों में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है कि लद्दाख में पैंगांग झील के पास पीछे कुछ चीनी सिपाही देखे गए थे और वहां पर चीनियों की ओर से कुछ अतिक्रमणात्मक कार्यवाहियां हुई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में क्या जानकारी है।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात को मान लेने का कि चीनियों की ओर से अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुई क्या सरकार ने यह अर्थ लगाया है कि चीन की ओर से खतरा कम हो गया है?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह निर्वचन करने का विषय है, यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस पर इसका निर्वचन करते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : इस प्रश्न के उत्तर में कि चीनियों ने हमारी जो भूमि दबा रखी है—और हम चुप बैठे हैं—,क्या उसको वापस लेने का प्रयत्न किया जायगा, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह प्रश्न नहीं उठता। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का कारण क्या है। हम चीन में न जायें, यह बात तो समझ में आती है, परन्तु हमारी जो भूमि उन्होंने दबा रखी है, क्या उस को भी लेने का प्रश्न नहीं उठता है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि यह प्रश्न अभी नहीं उठता है।

†**श्री नाथ पाई** : मेरे प्रश्न के उत्तर के संबंध में माननीय मंत्री ने क्या कहा? यह निर्वचन का प्रश्न नहीं है। क्या गत कुछ माहों में खतरा किसी प्रकार कम हुआ है अथवा यह उतना है जितना पहले? मैं जानना चाहता हूं कि उनकी क्या धारणा है।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह विरोध स्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर है। चीनियों के इरादों का कोई निश्चित अनुमान लगाना बहुत कठिन है। इसीलिये मैंने कहा था कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि समय-समय पर बदलने वाली स्थिति का हम किस प्रकार मल्यांकन करते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने स्वामी रामेश्वरानन्द जी के प्रश्न के जवाब में कहा कि यह प्रश्न नहीं उठता। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दिल में नहीं उठता या इस सवाल के सम्बन्ध में नहीं उठता है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह कहा है कि अभी इस सवाल के सम्बन्ध में नहीं उठता है।

राज्य योजना बोर्ड

\+

†*८. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री स० चं० सामन्त :

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री कैप्पन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य योजना बोर्डों के कार्य का कोई पुनर्विलोकन किया गया हैं ;

(ख) क्या राज्य बोर्ड, राज्यों की योजनाओं की क्रियान्विति से सम्बद्ध हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि १९६२–६३ के लिये शामिल की गई अधिकांश योजनायें अधिकांश राज्यों में निष्पादित नहीं हुई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राज्य योजना बोर्ड, जहां पर भी वे हैं, सलाहकार निकायों के रूप में हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : राज्य योजना बोर्ड का वास्तव में क्या कार्य और कार्य-क्षेत्र है और क्या योजना आयोग ने राज्य योजना बोर्ड की रचना का कोई प्रतिरूप बनाया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : वस्तुतः इनकी स्थापना पर तीसरी योजना में ही ज़ोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च, १९६२ में उप-सभापति ने सारे मुख्य मंत्रियों को इसके संबंध में लिखा था। वस्तुतः विचार यह है एक ऐसा सलाहकार निकाय हो जो दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता और जिला तथा खंड स्तर पर प्रजातंत्रीय संस्थाओं की स्थापना से उत्पन्न प्रश्नों की ओर ध्यान देता रहे तथा राष्ट्रीय योजनाओं में राज्य योजनाओं के महत्वपूर्ण योग पर भी विचार करता रहे।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या योजना आयोग ने यह परामर्श दिया है कि गैर-सरकारी व्यक्ति भी राज्य बोर्डों से संबंधित किया जायें और उन्हें भी सभापति आदि का पद दिया जाये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सब प्रकार से प्रयत्न यही रहा है कि नियमों में अनम्यता न आ पाये। योजना बोर्ड के लिये व्यक्तियों की व्यवस्था करना राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या अभी तक सब राज्यों में राज्य योजना बोर्डों की स्थापना नहीं हुई ? यदि अभी कुछ ऐसे राज्य हैं तो सरकार वहां यथासम्भव शीघ्र इनकी स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यदि मैं ऐसा कह सकूं तो मेरे लिये यह कहना अधिक सुगम होगा कि पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक प्रकार के योजना निकाय

†मूल अंग्रेजी में

पहले से ही कार्य कर रहे हैं। अधिकांश दूसरे राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। सारा मामला राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने लाया गया था। इस पर चर्चा हुई थी और सलाहकार निकाय के रूप में एक अनम्य निकाय की स्थापना का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि माननीय मंत्री ने कहा है कि यह बोर्ड सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करेंगे जिस का अर्थ मैं यह समझता हूं कि उसमें गैर-सरकारी तत्वों का भी प्रतिनिधित्व होगा। क्या सरकार के पास इस बात की कोई सूचना है कि राज्यों में जो बोर्ड बनाये गये हैं उनमें उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया गया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हम इस विषय में कार्य कर रहे हैं। हम पूछताछ कर रहे हैं और हमें लगातार उनके कार्य करने के बारे में जानकारी मिल रही है। इस समय मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या यह बोर्ड योजना बनाने के संबंध में ही सलाह देंगे अथवा उनकी कार्यान्विति अथवा निष्पादन के संबंध में भी सिफारिशें अथवा सुझाव देंगे ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जैसा कि मैंने कहा है दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता राष्ट्रीय योजना के अनुपात में राज्य योजनाओं के महत्व प्रजातंत्रीय संस्थाओं की स्थापना से उत्पन्न प्रश्न और विकास संबंधी समस्याओं की बढ़ती हुई जटिलता को देखते हुये यह अनुभव किया गया कि एक योजनातंत्र की स्थापना की जाये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या योजना आयोग ने ऐसा कोई सुझाव दिया है कि समय-समय पर इन योजना निकायों और सलाहकार निकायों का, जिनका उल्लेख है, पुनर्विलोकन किया जाये ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह बात भी सोची गई है।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या केन्द्रीय योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह जानने की कोशिश की है कि योजनायें कितनी अमल में आई हैं और कितनी नहीं आई हैं ? क्या ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : योजनायें कितनी अमल में आई हैं और कितनी पड़ी हुई हैं, इन सब की छानबीन हमेशा की जाती है और अभी जो प्लान एप्रेज़ल हुआ है उसमें भी है और हमेशा लगातार यह काम चलता है।

श्री राम सेवक यादव : क्या मंत्रालय का ध्यान इस ओर भी गया है कि राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में यह जो बोर्ड बनने वाला है, उसमें ऐसे लोग रखे जायें जिससे कुछ सहायता मिले, बल मिले ? ऐसा न करके जो हटाये हुये मंत्री हैं, उनको खपाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह बात आपके ध्यान में आई है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का जवाब दे दिया जाये, दूसरे का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भाग को सुन नहीं पाया हूं।

श्री ब० रा० भगत : क्या माननीय सदस्य अपने सवाल को दोहरायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : ऐसे फित्रमन्द नहीं हैं, मेरे ख्याल में।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि उड़ीसा में एक गैर-सरकारी व्यक्ति राज्य योजना बोर्ड का सभापति और मुख्य मंत्री उप-सभापति है ? यदि हा, तो क्या सरकार केन्द्र में भी इस ज्वलंत उदाहरण पर चलने का विचार कर रही है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समझता हूं काश्मीर में भी ऐसा ही है।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है कि उड़ीसा में भूतपूर्व मुख्य मंत्री बोर्ड के सभापति हैं। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि राज्य किसी अनम्य रूप रेखा पर चले। हमें केवल इसी बात में रुचि है कि राज्यों में योजना संगठन मजबूत हों। किसी विशेष राज्य में क्या प्रतिरूप हो यह राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है। हमारे लिये यही पर्याप्त है कि यह व्यवस्था योजना का कार्य समुचित रूप से कर सके।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या उन राज्यों ने, जिनमें अभी तक योजना बोर्ड नहीं बनाया गया है इन सब वर्षों में इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रत्येक राज्य में योजना संगठन हैं। हम इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि यह संगठन और मजबूत हों। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् में, इस विषय पर विचार किया गया था और यह कहा गया था कि योजना व्यवस्था को और मजबूत किया जाय। हाल ही में हमने राज्यों के सारे योजना सचिवों का एक अधिवेशन भी किया था जहां हमने इस विषय पर चर्चा की थी। आशा है कि जल्द ही सारे राज्यों में योजना संगठन मजबूत हो जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : राज्य स्तर पर बोर्डों की स्थापना के अतिरिक्त जिलों में, पंचायतों में और ब्लाक स्तर पर जहां पर इनको अधिकार दिये जाने की घोषणा हो चुकी है लेकिन वास्तव में अधिकारी वर्ग ही उन पर छाया हुआ है जिसकी वजह से काम ठीक नहीं चल रहा है, स्कीमें कामयाब उतनी नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहियें। वैसी सूरत में मैं जानना चाहता हूं कि इनके डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस कब तक पूरा होगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह कोशिश लगातार की जा रही है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य बोर्डों के सदस्यों से गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है और, यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये उनके परामर्श स्वीकार कर लिये जाते हैं और वे योजना के निष्पादन का निर्देश करते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं यह नहीं कह सकता कि गोपनीयता की शपथ हर जगह ली जाती है। अधिकांश राज्यों में यह मंत्रि परिषद् की उप-समिति है, जहां मंत्री है। दूसरे राज्यों में इसमें राज्य के अधिकारी हैं। मैं नहीं समझता कि उनके लिये गोपनीयता की शपथ का प्रश्न उत्पन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में विमान कारखाना

\+

†*९. **श्री बड़े :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री बूटा सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में एक विमान कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा **अथवा गैर-सरकारी** क्षेत्र में ;

(ग) इस कारखाने पर कुल कितनी पूंजी लगेगी ; और

(घ) इस कारखाने में किस प्रकार के पुर्जों का निर्माण किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री बड़े : यह चीज समाचारपत्रों में आई थी कि दिल्ली में एयरक्राफ्ट फैक्ट्री होने जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने किसी मुल्क से विचार विमर्श किया है, कोई कोलैबोरेशन किया है और क्या यह सवाल विचाराधीन है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं समझता हूं कि इसके विषय में गलत धारणा थी । दिल्ली में जिसका पंजीयन हुआ था वह एक समवाय था जिसे एम० आई० जी० कम्प्लोक्स का निर्माण करना था और इसका पंजीयन यहां करने की आवश्यकता इसलिये थी कि तीन एकक विभिन्न राज्यों में हैं । अन्य मुख्य कार्यालय दिल्ली में है । इसलिये, यह पंजीयन दिल्ली में किया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : इस कारखाने के स्थापित होने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स किस हद तक पूरी हो जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : कहां कारखाना स्थापित हो रहा है ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह निर्माण एकक दिल्ली में स्थापित किया जायेगा या दिल्ली से बाहर ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है । दूसरा प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान द्वारा सीमा पर छापे

+

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
†*१०. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री उमानाथ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से २१ सितम्बर, १९६३ से अब तक भारतीय राज्यक्षेत्र में सीमा अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश तथा गोली चलाये जाने की कोई घटनायें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो घटनाओं का ब्यौरा क्या है, दोनों ओर जन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई तथा प्रत्येक मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**विदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). पश्चिमी पाकिस्तान की हमारी सीमा से किसी महत्वपूर्ण घटना की सूचना नहीं मिली है। २१ सितम्बर से ३१ अक्तूबर, १९६३ के काल में गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमायें अतिक्रमण अथवा किसी प्रकार की घटनाओं से लगभग बची हुई रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल की सीमाओं से पूर्वी पाकिस्तान की ओर से अतिक्रमण और सीमा का उल्लंघन किये जाने की कई घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ मामलों में बल प्रयोग और गोली चलाने की घटनायें भी हुई हैं।

इन घटनाओं के संबंध में विस्तृत अब तक की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है। और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या यह सच है कि हमारी पूर्वीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव और उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और वे हमारे आदमियों को पीटते हैं और धावा करके बिना कोई हानि उठाये चले जाते हैं। यदि हां, तो सरकार इसके विषय में क्या सोचती है और सरकार इसके उपचार और निरोधस्वरूप क्या स्थायी कदम उठाने पर विचार कर रही है?

†**श्रीमतीलक्ष्मी मेनन :** हम इन सीमावर्ती प्रदेशों में, विशषतः पूर्वी पाकिस्तान के सीमांत पर सुरक्षा बनाये रखने के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु यह सुरक्षा राज्य सरकार के उत्तरदायित्व में है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन

†*११. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री हेम बरूआ :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन, अन्य बातों के साथ साथ, नेफा में 'भीतरी रेखा' प्रतिबन्धों[1] को शनैः शनैः, ढीला करने तथा स्थानीय लोगों की भावात्मक एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डा० एरिंग) :** (क) 'भीतरी रेखा विनियम' वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन की कार्यावलि में शामिल नहीं था। तथापि राष्ट्रीय एकता को सहायता देने के उपायों पर चर्चा की गई थी।

(ख) सम्मेलन की विस्तृत सिफारिशों पर जांच की जा रही है। तथापि 'भीतरी रेखा विनियम' में रूपभेद करने के लिये कोई सिफारिश नहीं की गई थी। चर्चा में इस प्रकार के विषय शामिल थे जैसे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेफा के उन व्यक्तियों के लिये जो मैदानों में पर्यटन के लिये आये हुये है, स्थानीय व्यापार सुविधायें, नेफा के विद्यार्थियों के लिये शिक्षात्मक सुविधाये अथवा पाठशालाओं की पुस्तकों के लिये सामग्री आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Inner line restrictions.

(ग) नेफा के उन क्षेत्रों में जहां संचार और अन्य सुविधाओं में विकास हुआ है, सरकार की नीति सदा 'भीतरी रेखा' परमिट उदारतापूर्वक देने की रही है। यह तरीका अब भी जारी है।

गुप्त भाषा में भेजे जाने वाले सन्देशों का चीनियों द्वारा पता लगाया जाना[1]

†*१२. **श्री हेम बरूआ :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री चतर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री कछवाय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बाल कृष्ण वासनिक :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लन्दन से प्रकाशित हाल के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चीन सरकार भारत के विदेश मन्त्रालय द्वारा अपने विदेश स्थित मिशनों को भेजे जाने वाले प्रचार निदेशों का बीच में ही पता लगा लेती है ; और

(ख) यदि हां, तो चीन की इस कार्यवाही को निष्प्रभाव करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने २५ सितम्बर, (उस दिन जिस दिन समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ बताया कि समाचार में लगाया गया यह अर्थ गलत है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाली गुप्त संहिता का भेद खुल गया है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि एसा केवल साधारण समाचारों के भेजे जाने के बारे में था जो कि हमारे विदेश स्थित मिशनों को सामान्य वाणिज्यिक तरीकों से खुले मोर्य संहिता[2] में भेजे जाते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Decoding of messages by Chinese.

[2]Open morse code.

ये समाचार किसी भी व्यक्ति द्वारा सुने जा सकते हैं और चीनी वास्तव में इनको बहुत वर्षों से सुनते रहे हैं।

चूंकि इन समाचारों के भेजने में किसी गुप्त संहिता का प्रयोग नहीं होता है इस लिये चीन की इस कार्यवाही को निष्प्रभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सेना के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†*१३. **श्री अ० ब्र० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा जवानों को दिये जाने के लिये "फैमिली क्वाटरों ' का भारी अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक 'फैमिली क्वार्टरों' की व्यवस्था करने के लिये सहकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये १९६३–६४ के लिये कितना धन मंजूर किया गया है तथा आपातकाल के परिणामस्वरूप होने वाली अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस अवंटन में वृद्धि करने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां इस समय 'फैमिली क्वार्टरों का भारी अभाव है।

(ख) जहां तक संभव है, क्वार्टरों की व्यवस्था अधिक किराये पर लेकर, अर्जित करके तथा नये क्वार्टर बनवा कर की जा रही है। वर्ष १९५९–६० से १९६२–६३ तक विवाहित व्यक्तियों के क्वार्टरों की आपात व्यवस्था पर १५·४२ करोड़ व्यय किया जा चुका है। आपात-काल से लगभग ६·५० करोड़ रु० की परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ग) चालू वर्ष में लगभग ४ करोड़ रु० व्यय होने की आशा है। अधिक प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में अधिक धन जुटाना संभव नहीं है, परन्तु अगले वित्तीय वर्ष में अधिक राशि आवंटित किये जाने की आशा है।

एशियाई प्रसारक सम्मेलन

†*१४. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बगन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवां एशियाई प्रसारक सम्मेलन हाल में सियोल में हुआ था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या एशिया के प्रसारकों का एक संघ बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां। सत्य

(ग) राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों ने पांचवें इशियाई प्रसारक सम्मेलन में संकल्प किया कि १ जुलाई, १९६४ से एक एशियाई प्रसारण संघ की स्थापना की जाय बशर्ते कि इसे अपने अपने देशों के उन प्राधिकारों का अनुमोदन प्राप्त हो जाय जिनके लिये कि वे अपने कार्य के लिये उत्तरदायी हैं। इस सरकार को अभी इस संकल्प पर विचार करना है।

भारतीयों का बड़ी संख्या में ब्रिटेन जाना

†*१५. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत से ब्रिटन को प्रवीण श्रमिकों का बड़े पैमाने पर प्रव्रजन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रव्रजन जारी रहने दिया जायेगा ;

(ग) क्या ब्रिटेन के प्रव्रजन अधिनियम के अन्तर्गत नियोजन प्रमाणक[1] लेना आसान हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रव्रजन अधिनियम के लागू होने के बाद कितने भारतीयों ने नियोजन प्रमाणक के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे तथा कितनों को प्रमाणक मिले थे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं। ३० जून, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३०,२५१ भारतीय राष्ट्रजनों को पार-पत्र दये गये जब कि इसकी तुलना में ३० जून, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में केवल ३,७५८ भारतीय राष्ट्रजनों को पार-पत्र दिये गये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नहीं श्रीमान।

(घ) ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार १ जुलाई, १९६२ (जब कि राष्ट्रमंडल प्रर्वजन अधिनियम चालू हुआ था) से २७ सितम्बर, १९६३ तक नियोजन प्रमाणक २०,३१७ भारतीय राष्ट्रजनों को दिये गये। इस अवधि में प्रार्थना पत्र देने वालों की संख्या १,३५,७१० थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Visa.

नौसेना के लिए युद्ध पोत

†१६. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्नों संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन तथा स्वीडन का दौरा करके आये हुए प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर देश में नौसेना के युद्धपोतों के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख) मामले सरकार के विचाराधीन है।

भारत-पाक सीमा का सीमांकन

†*१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वालकृष्ण वासनिक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री कोया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंकियांग और काश्मीर के उत्तर-पश्चिमी भाग, जो कि अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है के सीमान्त पर चीन और पाकिस्तान द्वारा सीमांकन खम्भे जगाये जाने की कार्यवाही के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना दी गई है और पाकिस्तान और चीन को अलग अलग विरोध पत्र भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

सुरक्षा परिषद् के प्रधान के नाम संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—१८१७/६३]**। इस पत्र के संलग्न कागजात चीन और पाकिस्तान की सरकार को भेजे गये विरोध पत्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार सुरक्षा परिषद् ने पत्र को सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में परिचालित किया। अभी तक पाकिस्तान और चीन की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

नागालैण्ड में ग्रामों का पुनर्वर्गीकरण

†*१८. **श्री स्वैल :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में ग्रामों के पुनर्वर्गीकरण की योजना चालू कर दी गई है ;

(ख) योजना क्रियान्वित करने पर कुल कितना व्यय होने की अनुमान है ; और

(ग) क्या योजना के लिए नागालैण्ड के लोगों ने स्वीकृति दे दी है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) ग्रामों को नये ढंग के बनाने का काम कुछ गांवों में इस बात को ध्यान में रख कर चालू कर दिया गया है

(१) पाठशालायें, जल संभरण, सस्ते दामों की दुकानें, औषधियों की सुविधा आदि की व्यवस्था करके नये ढंग पर ग्रामों का विकास करना।

(२) आक्रमणकारी नागाओं के ग्रामों का संरक्षण, और

(३) ग्रामीणों से नागा लोग जबरदस्ती जो खाद्य धन आदि प्राप्त करते हैं उन्हें उसे न लेने दिया जाय।

(ख) कुल अनावर्ती व्यय २५८ लाख रु०
कुल आवर्ती व्यय ११२ लाख रु०

(ग) नागालैंड अन्तरिम निकाय ने इसके मई १९६३ के सत्र में एक संकल्प पारित किया कि यदि सर्वक्षमा से भी स्थिति में सुधार न हुआ तो ग्रामों को नये ढंग पर बड़े केन्द्रों में बनाया जायेगा जिससे कि ग्रामवासियों को नागा लोगों के आक्रमणों परेशानियों से बचाया जा सके।

राजस्थान-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का सीमांकन

†*१९. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :

†मूल अंग्रेजी में

श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० के० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन करने वाले नक्शों के प्रमाणीकरण के लिए भारत और पाकिस्तान सरकारों के अधिकारियों की हाल ही में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक का क्या नतीजा निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी हां। राजस्थान और पश्चिमी पकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकन के बाद तैयार किये गये मान चित्रों (स्ट्रिप मैप्स) का २६ और २७ सितम्बर, १९६३ को कराची में अनुसमर्थन किया गया था। दोनों देशों के राजदूतों ने १२४० मानचित्रों में से प्रत्येक पर अपने अपने महा सर्वेक्षकों के हस्ताक्षरों को प्रमाणीकृत किया ।

भविष्य निधि अंशदान

†*२०. श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ३१ अक्तूबर, १९६३ से और अधिक उद्योगों के लिये भविष्य निधि अंशदान के दर में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी हां। १ नवम्बर, १९६३ से १८ और उद्योगों में, जिनमें ५० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत

†मूल अंग्रेजी में

भविष्य निधि अंशदानों की अनिवार्य दर मूल वेतन महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ते के ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ प्रतिशत कर दिया गया था।

(ख) उद्योगों का विवरण सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १८१८ / ६३]।

आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले लड़ाकू विमान

†*२१. श्री रामचन्द्र उलुका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य और भारतीय विशेषज्ञों के दल के परस्पर सहयोग से आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज़ चलने वाले लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान में "ईश्वर पाठशाला"

†*२२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गुरुचरन प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा "ईश्वर पाठशाला" पर, जो कि कोमिल्ला में हिन्दुओं की एक प्रमुख शिक्षा संस्था है, जबरदस्ती कब्जे की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत के ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त ने कोमिल्ला जाकर कोई प्रतिवेदन भेजा है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने "ईश्वर पाठशाला" पर जबरदस्ती कब्जा करने की मंजूरी नहीं दी थी परन्तु इस बीच सरकार ने उस जगह का अधिग्रहण कर लिया है जिससे वह संस्था बन्द हो गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). हमारे उप उच्चायुक्त ने स्वयं इस योजना के लिये कोमिल्ला का दौरा नहीं किया परन्तु उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि अगस्त और सितम्बर में बहुसंख्यक जाति के लोगों ने ईश्वर पाठालाशा के कर्मचारियों और शासी निकाय के व्यक्तियों को मार पीट कर इमारत के कुछ हिस्सों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। २ अक्तूबर, १९६३ को उन्होंने निवेदिता बालिका पाठशाला के आस पास के क्षेत्र को भी लूटा जिसके फलस्वरूप वह अन्तिम रूप से बन्द हो गई और पश्चिमी पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। उप उच्चायुक्त ने औपचारिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की है कि अधिग्रहण किये गये क्षेत्र को उनके सही मालिकों को दिलवाया जाये। ऐसा समझा जाता है कि आधी पाठशाला खाली हो गई है परन्तु स्थानीय अधिकारी इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने में सहायता नहीं दे रहे हैं।

अफ्रीकी तथा मध्य-पूर्व के देशों में विदेशी प्रचार

†*२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के तथा अफ्रीकी देशों में अपना प्रचार तीव्र करने के उद्देश्य से कोई नये कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष एलजियर्स रबात,, कमपाला और दारेसलाम में ४ नये प्रचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पुस्तिकाओं और बुलैटिनों को तैयार कर उन्हें वितरित करने के कार्यक्रम को गहन रूप दिया गया है। फ्रान्सीसी और अरबी भाषाओं से अधिक सामग्री तैयार की जा रही है ताकि उन्हें उक्त क्षेत्र के फ्रांसीसी और अरबी भाषी देशों में प्रयुक्त किया जा सके। स्वाहिली भाषा में निकट भविष्य में अधिक सामग्री प्रकाशित करने का विचार है। चल चित्रों के विदेशी भाषाओं के संस्करण निकालने की व्यवस्था, जिनमें अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं शामिल हैं, व्यापक स्तर पर अपनाई जा रही हैं। अफ्रीका के जिन भागों में अब तक सूचना केन्द्र नहीं थे वहां इन्हें स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भारतीय दूतावासों के अध्यक्षों की हाल ही में हुई कांफ्रेंस में अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रख कर ही यह किया जा रहा है।

भारतीय साम्यवादी दल द्वारा दिल्ली में निकाले गये जलूस सम्बन्धी समाचार चित्र (न्यूजरील)

श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंहा :
श्री नरसिंह रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :

†मूल अंग्रेजी में

†*२४. श्री राम रतन गुप्त :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ सितम्बर, १९६३ को साम्यवादी दल ने संसद् को जाने वाले जिस जलूस का आयोजन किया था उस पर एक समाचार चित्र (न्यूजरील) तैयार किया गया है ;

(ख) क्या इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) ऐसे समाचार चित्र (न्यूजरील) किन सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किये जाते हैं ?

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) कोई पृथक समाचार चित्र तैयार नहीं किया गया है, परन्तु जलूस समाचार चित्र संख्या ७८० में शामिल बहुत से मदों में से एक था।

(ख) समाचार चित्र २० सितम्बर, १९६३ को प्रदर्शित किया गया था परन्तु इसे लगभग एक सप्ताह बाद वापस ले लिया गया था।

(ग) साप्ताहिक समाचार चित्र में अधिक से अधिक उस सप्ताह की जीवन की विभिन्न घटनाओं को शामिल करने का यत्न किया जाता है। इस पर ये ये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि उन राजनैतिक दलों के कार्यों की ओर ध्यान न दिया जाय जिनको अखिल भारतीय दलों की मान्यता प्राप्त नहीं है, कि उन में राजनैतिक दलों के कार्यों या कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करना चाहिये और जो प्रदर्शन और जलूस आदि सरकार के विरुद्ध हों उन्हें समाचार चित्रों में शामिल करने के बारे में स्वविवेक से काम लेना चाहिये।

"टस्कर" परियोजना

†*२५. श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १९ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टस्कर' परियोजना, डिब्रूगढ़ में लगे हुए कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) "टस्कर" परियोजना (अब वरतक) डिब्रूगढ़ में लगे हुए भ्रष्टाचारों के आरोपों पर जांच अभी जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरी योजना का पुनर्विलोकन

†*२६. श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री थेनगौंडर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ह० चं० सोय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के संबंध में कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्यकालीन समीक्षा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसको सार्वजनिक उपयोग के लिये कब प्रकाशित किया जायेगा ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इन्हें 'मध्यकालीन समीक्षा' नामक पुस्तिका में शामिल किया गया है जो शीघ्र ही सभा पटल पर रखी जायेगी। तत्पश्चात् यह पुस्तिका जनता को उपलब्ध कर दी जायेगी।

एवरो-७४८ विमान

†*२७. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री दे० द० पुरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो-७४८ विमान के निर्माण के संबंध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वहां अभी भी कुछ विदेशी काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) क्या उन्हें केवल भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये ही रहने दिया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया):(क) अभी तक प्रथम श्रेणी के केवल ३ विमान बने हैं। प्रथम श्रेणी के चौथे विमान तथा द्वितीय श्रेणी के पांचवें और छठे विमान का निर्माण-कार्य अभी चालू है।

(ख) जी हां।

(ग) एक स्ट्रैस इंजीनियर।

(घ) जी हां।

नौसेना के लिए पनडुब्बियां

*२८. श्री भक्त दर्शन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उजाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ के उत्तर के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां खरीदने के जिन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था, उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

नागालैंड

†*२९. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री ज० ब० सि० विष्ट :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स्वैल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की समस्याओं के समाधान के लिये नागा प्रशासन और छिपे हुए नागा विद्रोही नेताओं के बीच बातचीत कराने के प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई संयुक्त सम्मेलन बुलाने का विचार है जिसमें श्री फिजो समेत विद्रोही नेता भाग लेंगे ; और

(ग) नागालैंड में शांति बनाये रखने के लिये और कौन कौन से दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नागालैंड के प्रशासन के लिये अन्तरिम व्यवस्था १ दिसम्बर, १९६३ को नागालैंड राज्य के निर्माण पर समाप्त हो जायेगी । नागालैंड की विधान सभा के लिये निर्वाचन जनवरी, १९६४ में होंगे ।

विकास पर अधिक जोर दिया जायेगा । गांवों को पुन: बड़े एककों में पुनर्गठित किया जायेगा और उन्हें आदर्श गांवों का रूप दिया जायेगा जिनमें आवास, पाठशालायें, जल संभरण, चिकित्सा, सुविधायें आदि समस्त सुविधायें रहेंगी, जिससे गांव वाले अधिक आरामदेह और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें । फिलहाल सेनाओं द्वारा विधि तथा व्यवस्था और सुरक्षा के नियंत्रण के लिये सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिण अफ्रीका का निष्कासन

†*३०. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स्वैल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व संस्था से दक्षिण अफ्रीका को निष्कासित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल में ही कोई मिला-जुला कदम उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत ने क्या रुख अपनाया था ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र संगठन से निकालने के लिये उस संगठन द्वारा हाल ही में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। तथापि महासभा के वर्तमान सत्र की कार्यावलि में "दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य सरकार की रंग भेद की नीति" संबंधी मद शामिल कर लिया गया है। परन्तु सम्पूर्ण बैठक में इस विषय पर अभी तक वाद विवाद नहीं हुआ है।

भारत को मिलाकर २७ सदस्यों ने भी इस विषय पर चर्चा करने के लिये सुरक्षा परिषद् की एक बैठक बुलाने की प्रार्थना की है। सुरक्षा-परिषद् की बैठक के शीघ्र ही होने की आशा है।

६ नवम्बर, १९६२ को संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने अपने गत सत्र में एक संकल्प पारित किया जिस में अन्य बातों के साथ साथ सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद ६ के अन्तर्गत, जिसमें सदस्यों के निष्कासन की व्यवस्था की गई है कुछ कार्यवाही करने पर विचार किया जाये। भारत ने अन्य देशों के साथ साथ इस संकल्प को प्रस्तुत किया और संकल्प के पक्ष में मत भी दिया।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

†१. श्री सरजू पाण्डेय : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इस तिथि को इनमें अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति थे ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) १,०८,५३३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जाति ८,८८३

अनुसूचित आदिम जाति* ३

*अन्य पिछड़े वर्गों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार महिलायें

†२. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६३ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिलाओं (स्नातक तथा गैर-स्नातक) के नाम दर्ज थे ; और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिन्हें जुलाई, १९६२ से लेकर जून, १९६३ के दौरान रोजगार संबंधी सहायता प्रदान की गई ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री ए० रा० पट्टाभिरामन) : (क) तथा (ख) :

प्रार्थियों के वर्ग	३० जून, १९६३ को चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या	जुलाई, १९६२ से जून, १९६३ के दौरान रोजगार दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या
स्नातक . . .	४६६	७३
मैट्रीकुलेट तथा इंटरमीडियेट . .	२,४४४	७४६
मैट्रीकुलेशन स्तर से नीचे के व्यक्ति (अशिक्षितों सहित) .	८,६०५	१,६६०
कुल संख्या .	११,५१५	२,४७९

ब्रिटेन में भारतीय

†३. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रेट ब्रिटेन (कोवेन्ट्री शाखा) की भारतीय कर्मचारी एसोसियेशन से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) ज्ञापन का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या एसोसियेशन ने भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा वहां अनुभव की जाने वाली विशिष्ट कठिनाइयों के बारे में लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ज्ञापन में यह प्रार्थना की गई है कि ऐसे भारतीय राष्ट्रजनों के ब्रिटेन में रहते रहने को, जो कि वहां अनुचित यात्रा दस्तावेजों के आधार पर नौकरी की खोज में गये थे, विनियमित किया जाना चाहिये ।

(ग) हां, श्रीमान्, उन्होंने कहा है कि भारत के लिये पारपत्र न मिल सकने के कारण वे ब्रिटेन में फंस गये और भारत अथवा अन्य किसी देश को न जा सके । परिणामस्वरूप, उनमें से कुछ व्यक्तियों को ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार करनी पड़ी ।

(घ) मामले की छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

एम० ई० एस० बीकानेर

†४. **श्री कर्णी सिंहजी** :
श्री वि० भू० देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या १९६२-६३ के दौरान एम० ई० एस०, बीकानेर (राजस्थान) के गैरीसन इंजीनियर के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की कोई छटनी हुई है और यदि हां, तो कितनों की तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसी अवधि में उक्त विभाग में कर्मचारियों की भर्ती की गई है और यदि हां, तो कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ;

(ग) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी दिये जाने के बारे में अधिमान दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) १९६२-६३ में एम० ई० एस०, बीकानेर के गैरीसन इंजीनियर के कार्यालय के १६७ नैमित्तिक कर्मचारी सेवामुक्त किये गये । उनको निर्धारित अवधियों के लिये विशिष्ट कार्यों के निमित्त रखा गया था और इन अवधियों के पूरा होने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

(ख) से (घ). इस अवधि में विभिन्न अवसरों पर २४३ नैमित्तिक कर्मचारी भर्ती किये गये और भर्ती के समय छंटनी किय गये कर्मचारियों को अधिमान दिया गया । १६७ व्यक्तियों में से १२४ व्यक्ति पुनः रख लिये गये । शेष को पुनः नौकरी पर नहीं रखा जा सका क्योंकि या तो वे अपेक्षित वर्गों से संबंध नहीं रखते थे या रिक्तियों के समय उपलब्ध नहीं थे ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†५. **श्री इग्राम लाल सर्राफ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय परिव्यय (राज्यवार) कितना होगा तथा विभिन्न राज्यों का अपने संसाधनों के द्वारा अनुमित अंशदान क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : कुछ योजनाओं को छोड़कर, केन्द्रीय परिव्यय की राज्यवार वितरण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक राज्यों के अंशदान का सम्बन्ध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य अनुमित के संसाधन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ? [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० १८१९ ६३]

श्रमजीवी पत्रकार

†६ श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १८५५ की धारा २ (ख) के अनुसरण में समाचार पत्रों को अधिसूचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे समाचार पत्रों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उन सरकारी सूचनापत्रों की तिथियां क्या हैं जिनमें अधिसूचनायें दी गई हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चें० रा० पट्टाभिरामन) (क) नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

देवा गांव जम्मू तथा काश्मीर पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे

†७. श्री यशपाल सिंह :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भौ० प्र० यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१/२२ सितम्बर, १९६३ की रात्रि को सशस्त्र पाकिस्तानी छापामारों ने विराम रेखा पार करके जम्मू तथा काश्मीर राज्य के चांब क्षेत्र में स्थित देवा ग्राम के निकट दो भारतीय राष्ट्रजनों को मार डाला ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का विवरण तथा मामले में की गई कार्यवाही क्या है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान्। २१ सितम्बर को प्रातः लगभग ४.३० बजे, १० पाकिस्तानी सैनिकों ने केरी-

†मूल अंग्रजी में

देवा ग्राम पर, जो चांब से ६।। मील है, छापा मारा । छापामारों द्वारा दो ग्रामवासी गोली से उड़ा दिये गये तथा एक जख्मी कर दिया गया । एक सैनिक गश्ती टुकड़ी गांव से भेजी गई थी तथा स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है ।

स्वयंचालित राइफलें

†८. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ
श्री भी० प्र० यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओझा :
श्री वसुमतारी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री उमानाथ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईशापुर राइफल कारखाने में अर्धस्वयंचालित राइफलों (सेमी-ऑटोमेटिक राइफल्स) का दैनिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि दैनिक उत्पादन बढ़ाने के हेतु इस कारखाने का विस्तार करने का विचार है ; और

(ग) क्या किसी अन्य कारखाने में भी इस प्रकार की राइफलें बनाई जा रही हैं और यदि हां, तो किन कारखानों में ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) राइफल कारखाना, ईशापुर में इस समय प्रति मास १५०० अर्ध-स्वचालित राइफलों का उत्पादन होता है । इस संख्या को शनै शनैः २५०० तक ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) हां, श्रीमान्

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

मिग लड़ाकू विमान

श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

†९ श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :
श्री दे० द० पुरी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के सहकार से मिग लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए कारखानों के निर्माण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**:विमानों के फ्रेम (एयर फ्रेम) तथा विमानों के इंजन (एयरोएंजिन) बनाने के लिये कारखानों के सम्बन्ध में दिये गये परियोजना प्रतिवदनों की, जो रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से भारतीय दल ने अभी तैयार कियेहैं, सरकार द्वारा इस समय जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में कोरापुट में भूमि अर्जित कर ली गई है तथा नासिक में की जा रही है । राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सरकार के एजन्टों के रूप में, असैनिक निर्माण कार्य सौंपा गया है

नासिक में विमानों के फ्रेम बनाने के कारखाने के निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए ३.५ करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति पहिले ही प्रदान की जा चुकी है । कोरापुट में एयरो-इंजन बनाने वाले कारखानों के निर्माण के लिए प्रथम चरण सम्बन्धी प्राक्कलनों की, जो ३.१६ करोड़ रुपये के हैं, प्रशासकीय स्वीकृति देने के हेतु, जांच की जा रही है । इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माण के लिये जो कारखाना स्थापित होना है उस के लिये हैदराबाद के निकट स्थान चुन लिया गया है ।

नेफा में चीनी जासूस

†१०. **श्री हरिकृष्णु कामत:** क्या **प्रधान मंत्री** १६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९०-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में स्थित तेजू कारागार से चीनी जासूसों के निकल भागने के सम्बन्ध में केन्द्रीय रक्षित पुलिस के समादेष्टा (कमान्डेंट) द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रजी में

†प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख), अभियोगाधीन मिशमियों के निकल भागने के सम्बन्ध में की गई प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय रक्षित पुलिस के एन० सी० ओ० तथा सम्बद्ध कर्मचारियों को बन्दी बना लिया गया है केन्द्रीय रक्षित पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय रक्षित पुलिस के कमांडेंट द्वारा इन पर मुकदमा चलाया जा रहा है । अतः यह विषय न्यायाधीन है ।

लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

†११. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री १६ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करने की संभावना व्यक्त करने वाली कोई सरकारी सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा का अधिवेशन

†१०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन की कार्यावलि के विषय क्या हैं अथवा किन विभिन्न विषयों पर अब तक इसमें चर्चा की जा चुकी है ; और

(ख) भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने क्या रुख अपनाया है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० १८२०/६३]

इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड]

†१३. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार की ओर से एक अध्ययन दल इस बात की जांच करन तथा सुझाव देने के लिये नियुक्त किया गया है कि क्या समूचे उद्योग के लिये मजूरी की दरों को स्तर निश्चित करना संभव हो सकता है और यदि नहीं, तो मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विभिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों के वर्ग किस प्रकार बनाये जा सकते हैं ।

आकाशवाणी के अनाउंसर

†१४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत आकाशवाणी के अनाउंसर स्थायी बनाये जाने के लिये पात्र नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) आकाशवाणी में अनाउंसर स्थायी आधार पर नहीं लिये जाते अपितु उन्हें नियमित कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्ट्स) के रूप में ठेके पर लिया जाता है । फिर भी जब तक उसका काम तथा आचरण आकाशवाणी के स्तर तथा आवश्यकताओं के अनुसार बने रहते हैं तब तक उसके ठेके को अन्य नियमित कलाकारों की तरह समय-समय पर आगे बढ़ा दिया जाता है ।

(ख) उनको स्थायी आधार पर इसलिये नहीं रखा जाता क्यों कि उन्हें आकाशवाणी के स्तर के अनुरूप बना रहना होता है तथा इन स्तरों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं ।

असैनिक कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता

†१५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या समस्त प्रतिरक्षा स्थापनाओं में असैनिक कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता अपना ली गई है ;

(ख) क्या यह वायु-सेना स्थापनाओं पर भी लागू होगी ;

(ग) यदि हां तो कब से ; और

(घ) क्या इस संहिता को बनाने से पहिले कर्मचारी संगठनों से परामर्श किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण)** : (क) से (घ). समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।

सामूहिक संचार

१६. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फोर्ड. फाउण्डेशन ने "सामूहिक संचार (मास कम्युनिकेशन)" का उच्च अध्ययन करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का जो सुझाव दिया था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : वह सुझाव अभी विचाराधीन हैं।

टैंकों का निर्माण

१७. श्री भक्त दर्शन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टैंकों के निर्माण के लिए जिस फ्रांसीसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में अन्तिम निश्चय करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादनमंत्री (श्री रघुरमैया): भारत में हल्के टैंकों के निर्माण के प्रस्ताव पर बात-चीत के लिए एक फ्रांसीसी दल ७ नवम्बर, १९६३ को भारत पहुंचा है, बात-चीत चल रही है।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

१८. श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने की दिशा में इस बीच और क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उत्तर प्रदेश सकार ने बताया है कि नैनीताल के समीप गोरखल सम्पत्ति का निरीक्षण किया गया है और उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल के स्थान के लिए उस पर विचार किया जा रहा है। अधिक विस्तार की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत सेवक समाज

१९. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री चतर सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत सेवक समाज को कई जगह ठेके पर काम करने को कहा है और सरकार की तरफ से हर एक सहूलियतें उन्हें दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में १९६३ में भारत सेवक समाज ने कितना काम किया और कितना स्टाफ का खर्चा हुआ ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : समाज को बयाना, जमानत और ब्याज दिए जाने वाले कार्य पेशगियों की अदायगी के बारे में छूट देना, जैसी कुछ सहूलियतें दी जाती हैं।

२. एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

विवरण

काम का नाम	कार्य का मूल्य	कैफ़ियत
दिग्रोली डिटेंशन कम्प में बैरकों का निर्माण	८ लाख रुपये (अनुमानतः)	यह काम खुले प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर दिया गया था और फ़रवरी, १९६३ में पूरा हो गया है।
चंबल समिति, कोटा	२.५ लाख रुपये (अनुमानतः)	यह राशि उस काम के मूल्य को बताती है जो १९६२–६३ के दौरान किया गया।

नोट : (१) स्टाफ पर कितना खर्चा हुआ, इसके बारे में अलग से आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। परन्तु मोटे तौर से मज़दूरों को छोड़ कर, सुपरवाइजरी स्टाफ का खर्चा कुल काम के मूल्य का लगभग ३ प्रतिशत आता है।

(२) उपयुक्त सूचना, भारत सेवक समाज की राजस्थान यूनिट ने दी है।

विश्व पत्रकार सम्मेलन

†२०. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए विश्व पत्रकार सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन के सामने कोई प्रस्ताव रखे थे ; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन ने उन पर क्या निश्चय लिये ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय पत्रकारों ने भी विश्व पत्रकार सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में निम्न सदस्य थे :—

१. श्री केदार घोष, "स्टेट्समैन", कलकत्ता।

२. श्री उपेन्द्र बाजपाई, "आज", लखनऊ।

३. श्री के० अनियन, "स्टेट्समैन", त्रिवेन्द्रम।

४. श्री एन० के० स्वामी, उत्कल पत्रकार संस्था।

५. श्री प्रवीण चन्द्र छबड़ा, राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ।

६. श्री जी० राम राव, आन्ध्र प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) चूंकि इन पत्रकारों ने सीधे पत्रकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निमंत्रण पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन के प्रतिनिधियों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था और न ही वे भारत सरकार की ओर से भेजे गये थे, अतः उनके द्वारा सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किन्हीं प्रस्तावों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज तीसरी श्रेणी में उतीर्ण एम० ए० तथा बी० ए० व्यक्ति

†२१. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ए० और बी० ए० परीक्षाओं में तीसरी श्रेणी में पास हुए तथा अध्यापन की उपाधि प्राप्त उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने अपने नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज कराये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्तियों ने रोजगार निदेशालय के समक्ष उनके लिये नौकरी ढूंढ़ने के मामले में एक समस्या खड़ी कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को उचित नौकरियों में खपाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

श्रेणी	३१ अक्तूबर, १९६३ को चालू रजिस्टर में दर्ज प्रार्थियों की संख्या
(१) अध्यापन उपाधि प्राप्त तीसरी श्रेणी में पास बी० ए० व्यक्ति	४,७५१
(२) अध्यापन उपाधि प्राप्त तीसरी श्रेणी में पास एम०ए० व्यक्ति	१,११६

(ख) जी नहीं ; इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के नाम ६ महीने से कम अवधि के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज रहते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग

†२२. श्री बसुमतारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग, जिसका भारत सभापति है, के कार्यकरण में क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग लाओस में उपयोगी कार्य करता रहा है। पिछले तीन महीनों में आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, वियनटेन में ९ सितम्बर, १९६३ को हुई घटना की जांच करने के लिये कहा गया है जिसमें पाथेट लाओ तथा सरकार-समर्थक सेनायें अन्तर्ग्रस्त थीं। इस अवधि के दौरान आयुक्तों में राजकुमार सौफानवांग तथा पाथेट लाओ से सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से पाथेट लाओ मुख्यालय खांग खे का कई बार दौरा किया। आयोग लाओस के सम्बन्धित दलों में फिर से मेलजोल स्थापित करने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है।

लंका मे भारतीय उद्भव के व्यक्ति

†२३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दाजी :
श्री ह० च० सोय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गो० महन्ती :

क्या प्रधान मन्त्री क्रमशः २६ अगस्त तथा १६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २७४ तथा ६८९ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने के लिये इस बीच आगे और क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : लंका के प्रधान मंत्री द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को इस विषय पर भेजे गये दिनांक ६ अगस्त, १९६३ के पत्र का उत्तर इस बीच उनको भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

चीनियों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

†२४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया ;

(ख) इन घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) सरकार को अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार १८ अगस्त, १९६३ से चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायू सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

†२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स्वैल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रवन :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हेडा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त उल्लंघनों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) सरकार को अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार १८ अगस्त, १९६३ से भारतीय वायु सीमा का ८ बार उल्लंघन किया गया ।

(ख) और (ग): अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी १८२१/६३ . . .।]**

मोजाम्बीक में भारतीय

†२६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** २६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोजम्बीक में भारतीयों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : संयुक्त अरब गणराज्य के पुर्तगाल से सम्बन्ध तोड़ देने के बाद, भारत सरकार ने मेक्सिको सरकार से पुर्तगाल तथा इसके उपनिवेशों में भारतीय हितों की देखभाल करने के लिये पूछा है । मैक्सिको सरकार ने इस बारे में अपनी सहमति से हमें सूचित कर दिया है । आशा की जाती है कि निकट भविष्य में लिसबन में मैक्सिको के दूतावास का एक प्रतिनिधि पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से उत्पन्न समस्याओं की जांच के लिये मोजम्बीक जायेगा ।

लापता भारतीय सिपाही

†२७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्रं० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय सैनिक कर्मचारियों की संख्या क्या है जो कि गत वर्ष अक्तूबर-नवम्बर के चीनी आक्रमण के समय से अब तक लापता हैं ;

(ख) क्या वे सब मृत/मारे गये घोषित कर दिये गये हैं ;

(ग) क्या हाल ही हुए चीनी आक्रमणों में मारे गये व्यक्तियों के निवृत्ति-वेतन/उपदान के मामले निबटा दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो निबटाये गये मामलों की संख्या क्या है तथा कितने मामले अभी निबटाये जाने हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) भारतीय सेना के उन कर्मचारियों की संख्या जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है ७७१ है । लद्दाख तथा थागला रिज के

†मूल अंग्रेजी में

विसैन्यीकृत क्षेत्र में कुछ मृत व्यक्तियों के शव पड़े हुए हैं जिनके बारे में ब्योरा प्राप्त करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं । कुछ मामले अभी तक निवटाने शेष हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी नहीं हो पाई हैं ।

(ग) जी हां, अधिकांश मामलों में ।

(घ) मारे गये/मृत या मृत समझे गये व्यक्तियों के मामलों के निपटाने सम्बन्धी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

परिवार पेंशन—अधिकारीगण

परिवार पेंशन के अन्तिम रूप से निपटाये गये मामले . .	३८
मामले जिनमें अस्थायी रूप से फैमिली पेंशन मंजूर कर दी गई है और अन्तिम पेंशन के लिये प्रपत्रों की प्रतीक्षा की जारही है	११
अविवाहित अधिकारियों के मामले जिनमें उनके आश्रितों से प्रपत्रों या जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है .	५
अविवाहित अधिकारियों के अन्य मामले जो विचाराधीन हैं .	१४*
*तीन मामलों में अस्थायी विशेष भत्ता मंजूर हुआ ।	
कुल संख्या	६८

परिवार पेंशन—अन्य श्रेणियां

परिवार पेंशन के अन्तिम रूप से निपटाये गये . .	४८४
मामले जिनमें (परीक्षणाधीन) पुरस्कार मंजूर हो चुके हैं तथा अन्तिम परिवार पेंशन से सम्बन्धित प्रपत्र प्रतीक्षित हैं . .	१,५७५
मामले जिनमें परिवार पेंशन लेने के लिये कोई वारिस नहीं है (असैनिक अधिकारियों द्वारा पुष्टि प्रतीक्षित है) .	३९
कुल संख्या	२,०९८

परिवार उपदान

अन्तिम रूप से निपटाये गये मामले . . .	१,३२९
विचाराधीन मामले (अधिकांश मामलों में सूचना अभी प्राप्त होनी है) .	७६९
कुल संख्या	२,०९८

निकोसिया में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

†२८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में निकोसिया में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन में हुए निर्णयों के बारे में सरकार को अपना प्रतिवेदन, मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) से (ग) भारत ने शासकीय रूप में निकोसिया में हुई अफ्रीकी-एशियाई एकता संघ की कार्य कारिणी की बैठक में भाग नहीं लिया । तथापि, अफ्रीकी-एशियाई एकता के लिये भारतीय संघ ने इसमें भाग लिया था । चूंकि प्रतिनिधि मंडल सरकार की ओर से नहीं भेजा गया था इसलिये इसका सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । फिर भी प्रतिनिधि मंडल ने भारत वापस आने पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सम्मेलन के बारे में अपने विचार भेज दिये हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा मोयेल गांव (जम्मू तथा काश्मीर) में आक्रमण

†२६. श्री हेम बरुआ :
श्री उमानाथ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री चतर सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्रीमती रेणुका बरकटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्री रामरतन गुप्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गो० महन्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में पाकिस्तानियों ने काश्मीर युद्ध-विराम रेखा पर छम्ब क्षेत्र के मोयेल, गांव पर गोली चलाई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर २६ और २७, १९६३ को दो दिन तक लगातार गोली चलती रहीं ;

(ग) इसमें हमारे कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ; और

(घ) क्या इस घटना के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को अवगत कर दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ) २६ सितम्बर, १९६३ को पाकिस्तानी सेना ने छम्ब क्षेत्र में भारतीय चौकी मोयेल की ओर बिना कारण के गोली चलाई। गोलियां रुक रुक कर चलती रहीं। किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं मिली ।

कुछ दिन पहले, २१ सितम्बर, १९६३ को, कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने छम्ब क्षेत्र के खेरी गांव पर धावा कर दिया था तथा दो ग्रामीणों को मार डाला था अन्य एक को घायल कर दिया था।

युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को कर दी गई है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान में भारतीय वैमानिक मंत्रणाकार

†३०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराची में हमारे एक वैमानिक मंत्रणाकार तथा दो अन्य राजनयिक कर्मचारियों को जासूसी के मिथ्या आरोप लगा कर अमान्य कर देने के बारे में पाकिस्तान सरकार के पास कोई विरोध पत्र भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से विरोध पत्र का क्या उत्तर मिला ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) पाकिस्तान सरकार के ८ सितम्बर, १९६३ के पत्र के उत्तर में, जिसमें कराची में स्थित भारतीय उच्चायोग के वैमानिक मंत्रणाकार तथा अन्य तीन कर्मचारियों को भारत वापस बुलाने की प्रार्थना की गई थी, भारत सरकार ने भारतीय उच्चायोग के वैमानिक मंत्रणाकार तथा अन्य तीन कर्मचारियों पर पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाये गये जासूसी के अभियोग को अस्वीकृत कर दिया था।

भारत सरकार ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया था कि भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग करना स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिकार है कि भारत सरकार ने ५ सितम्बर, १९६३ को भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के वैमानिक मंत्रणाकार तथा दो अन्य कर्मचारियों को यहां जासूसी करने के कारण पाकिस्तान वापस बुलाने की मांग की थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की अवांछनीय कार्यविधियां उस समय प्रकाश में आईं जब ३ सितम्बर को भारतीय वायु सेना का एक अधिकारी पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ बात करता हुआ गिरफ्तार किया गया ।

(ख) जैसी कि आशा थी, पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तर में फिर से इस बात को दोहराया है कि भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग उनके जासूसी की कथित कार्य-विधियों के कारण की गई है । भारत सरकार ने अपने ४ नवम्बर, १९६३ के पत्र में इस आरोप का पुनः खंडन किया है जिसका पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी नोटों सहित एक नागा की गिरफ्तारी

†३१. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागालैंड के मोकोकचुंग ज़िले में लाकुनी गांव निवासी एक नागा गिरफ्तार किया गया जिसके पास चीनी नोट मिले ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है तथा नागा को चीनी नोट कहां से मिले ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) १२ सितम्बर, १९६३ को मोकोकचुंग जिले में लाखनी गांव निवासी टेका टेम्बा आओ के पुत्र काजेन काबा आओ को आसाम राज्य के शिबसागर जिले में टेओक पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नाकाचारी रेलवे स्टेशन पर संदिग्धावस्था में पाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। वह एक कुख्यात चोर था और सन् १९६२ में छः महीने की जेल काट चुका था। उसके पास अन्य वस्तुओं के साथ सैन्ट्रल बैंक आफ़ चाइना द्वारा सन १९३६ में जारी किये गये सौ सौ रुपये के दो नोट मिले, ऐसा कहा जाता है कि इन नोटों का विमुद्रीकरण हो चुका है तथा इनका अब कोई मूल्य नहीं है। उसका कहना है कि ये नोट उसे एक खासी लड़की से मिले हैं। तथापि लड़की इस बात से इन्कार करती है। अब तक छानबीन से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति तथा चीनियों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बी० ओ० ए० सी० कर्मचारी संघ, नई दिल्ली

†३२. श्री प० कुन्हन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को बी० ओ० ए० सी कर्मचारी संघ नई दिल्ली की ओर से २६ सितम्बर, १९६३ का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) यदि इस पर कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी, हां ।

(ख) संघ ने दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये प्रार्थना की थी। उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि दिल्ली प्रशासन को अधिनियम से पूर्ण विमुक्ति देने के सम्बन्ध में एक पक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिये जैसी कि विभिन्न समवायों ने मांग की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समवायों की अधिनियम के उपबन्धों से पूर्ण विमुक्ति मांगने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है ।

सीमा पर जोंकों से कष्ट

†३३. **श्री यु० द० सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सीमा पर हमारे सैनिकों को जोकों का सामना करना पड़ रहा है और जोकें उनको रात्रि में सोने तक नहीं देतीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रही है जिससे कि हमारे जवान जोकों के आक्रमण से बच सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) नदी नालों के निकट, घने पत्तों वाले जंगलों में और दलदल-पूर्ण बनों में जोंकें कष्टदायक होती हैं विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान में और उसके पश्चात्, परन्तु इस बात में कोई तथ्य नहीं कि जोंकों के कारण सैनिक रातों को सो नहीं पाते । जोंक-बाहुलय क्षेत्र में सैनिकों को जोंकों से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय किए गए हैं । जोंकों का निवारण करने के लिए मच्छरदानियों, गमबूटों तथा प्रतिकर्षी प्रभाव वाले औषध प्रयोग में लाये जाते हैं ।

कीनिया में भारतीय

†३४. **श्री बड़े :**
श्री बूटा सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ह० च० सोय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कीनिया सरकार द्वारा भारतीयों के साथ असैनिक सेवाओं में विभेद की नीति अपनाई जाने के बारे में ज्ञात है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हमें विभेद नीति के बारे में ज्ञात नहीं है । हां, कीनिया सरकार द्वारा वर्तमान असंतुलन

†मूल अंग्रेजी में

को ठीक करने के लिये असैनिक सेवाओं में भर्ती के मामलों में कीनिया उद्भव के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल को सहायता

†३५. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेपाल को विकास कार्य के लिये, तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में, पहले स्वीकृत की गई राशि के अतिरिक्त और कोई सहायता देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी राशि बढ़ाई जायेगी और यह सहायता कितने समय तक दी जायेगी ; और

(ग) नेपाल में हो रहे सड़क के द्वारा संचार सम्बन्धी विकास कार्य के प्रस्ताव के अन्तर्गत क्या भारत नेपाल सीमा के पास भारत के किसी स्थान का सम्बन्ध नेपाल से जोड़ा जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि ३ करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार अप्रैल, १९६१ और मार्च १९६६ के बीच सहायता के रूप में कुल २१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(ग) जी, हां।

राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च

†३६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यवार प्रति व्यक्ति औसत कितना खर्च हुआ ;

(ख) तृतीय योजना के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति अनुमानित औसत खर्च क्या होगा ; और

(ग) सन् १९५२ में राज्यवार प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी और अब क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में खाद्यान्नों के मूल्य

†३७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वहां सरकार द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) वहां प्रत्येक डिविजन में विशेष रूप से नेफा के लोहित डिविजन में सस्ते दामों की कितनी दुकानें खोली गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) सरकारी बिक्री केन्द्रों पर बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की खुदरा दरों का १९६२ और १९६३ का एक तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण

दिसम्बर, १९६२

	रुपये–नये पैसे	प्रति सेर
चावल	०—५०	,,
चीनी	१—२४	,,
नमक	०—१७	,,
दाल अरहर	०—६४	,,
चना	०—६२	,,

अक्तूबर, १९६३

चावल	०—५७	प्रति कि०ग्रा०
चीनी	१—४५	,,
नमक	०—२१	,,
दाल अरहर	०—९८	,,
मसूर	०—८८	,,
मूंग	०—९३	,,
चना	०—७२	,,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नेफा में सस्ते दामों की बिक्री सरकारी केन्द्रों द्वारा होती है । राज्य-क्षेत्र में ऐसे साठ केन्द्र हैं । इनमें से खामतीसिंगफो में दो केन्द्रों को मिलाकर लोहित सीमा-क्षेत्र में बीस केन्द्र हैं । इन केन्द्रों से केवल सरकारी कर्मचारियों को ही माल नहीं बेचा जाता है अपितु समय-समय पर जिन वस्तुओं की कमी हो जाती हैं वे वस्तुएं वहां के आदिवासियों को भी बेची जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

लोह-अयस्क कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि

†३८. **श्री श्याम लाल सर्राफ़ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि आरम्भ करने के लिये १ अक्तूबर, १९६३ से लौह-अयस्क पर २५ नये पैसे प्रति मीट्रिक टन उपकर लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निधि के प्रशासन के लिये क्या कार्य-प्रणाली अपनाई जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालयय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) निधि का संचालन त्रिदलीय मंत्रणा समितियों द्वारा किया जायेगा । बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और मध्य प्रदेश प्रत्येक के लिये एक-एक समिति होगी तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक उपकर आयुक्त होगा । निधि की कार्य-विधियों की देखभाल करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिये केन्द्र में मंत्रणा समितियों के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाने का भी प्रस्ताव है ।

बर्मा तथा लंका से आये भारतीय

†३९. **श्री कोया :**
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बर्मा तथा लंका से निष्क्रान्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विमान चालकों की भर्ती

†४०. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने असैनिक विमान चालकों ने भारतीय वायुसेना में नौकरी के लिये आवेदन पत्र भेजे थे और उनमें से १९६२–६३ में कितने विमान चालक भर्ती किये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री बलवन्तराव चव्हाण) :** १९६२–६३ में वायुसेना में नौकरी के लिये ४९३ असैनिक विमान चालकों ने आवेदन किया था किन्तु उनमें २४ व्यक्ति ही आवेदन करने के पात्र थे । इनमें ८ व्यक्ति इन्टरव्यू के लिये वायुसेना के संवरण

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बोर्ड के सामने गये और उनमें ७ व्यक्ति चुन लिये गये। फिर भी प्रशिक्षण के लिये केवल ६ व्यक्ति आये ।

विदेशी भाषाओं के स्कूल

†४१. **श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संचालित विदेशी भाषा अध्यापन के स्कूलों में प्रतिरक्षा सेवा के कितने कर्मचारियों ने अब तक अर्हता प्राप्त की है; और

(ख) प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों को विदेशी भाषा सीखने के लिये सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) १२२७ ।

(ख) सरकार द्वारा अध्ययपन के लिये सरकारी उम्मीदवार[1] अभ्यर्थी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गैर-सरकारी उम्मीदवार[2] जो स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजेज द्वारा संचालित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पुरस्कार स्वरूप २५० रुपये दिये जाते हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के उम्मीदवार जो दुभाषिये की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें दुभाषिया नियुक्त हो जाने पर १०० रुपये प्रति मास भत्ता दिया जाता है।

आयुध कारखानों के लिये विदेशी सहायता

†४२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों की स्थापना के लिये अमेरिका और ब्रिटेन से उतनी सहायता प्राप्त नहीं हुई है जितनी आशा थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों से इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं, और यदि हां, तो इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) तथा (ख). हम ने जो छः नये आयुध कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई थी, उनमें से दो कारखानों के मुख्य संयत्र अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा सहायता के लिये दिये गये वचन द्वारा दी गई सहायता से पूरे हो जायेंगे। शेष चार कारखानों के लिये अमेरिका तथा ब्रिटेन सहित मित्र-राष्ट्रों से सहायता मांगने के प्रयत्न जारी हैं।

कलकत्ता में इंजीनियरिंग श्रमिक

†४३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बृहत्तर कलकत्ता के क्षेत्र में इंजीनियरिंग श्रम का सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Spensored Candidate

[2] Non-Spensored Candidate

(ख) यदि हां तो सर्वेक्षण का उद्देश्य और सीमा-क्षेत्र क्या है; और

(ग) यह कब पूरा होगा ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने अक्तूबर, १९६२ में बृहत्तर कलकत्ता में एक गवेषणा योजना की अनमति दी थी। गवेषणा योजना का कार्य प्रोफसर एम० के० बसु ने हाथ में लिया है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं।

(ख) योजना के अन्तर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाना है :

(१) इंजीनियरिंग उद्योगों में श्रमिकों को मिलने वाले मजूरी के लाभों तथा अन्य लाभों की स्थिति और उसका औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम उत्पादकता पर प्रभाव;

(२) श्रमिकों को प्राप्त लाभों और श्रम उत्पादकता पर और श्रमिकों द्वारा प्राप्त लाभों की पद्धति पर मज़दूर संघों का कोई प्रभाव यदि हो;

(३) कुछ उद्योगों में हाल में ही लागू किये गये अनुशासन नियमों का प्रवर्तन;

(४) कतिपय श्रेणी के श्रमिकों में वेतन सम्बन्धी प्रोत्साहन की गुंजाइश और प्रभाव और वेतन वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति की व्यवस्था में सम्बन्ध।

सर्वेक्षण में नमूने के तौर पर कुछ संस्थापनों और विभिन्न आकार के सामान्य इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के श्रमिकों को लिया जायेगा।

(ग) यह अध्ययन-कार्य फरवरी, १९६३ में आरम्भ हुआ था और १९६५ के आरम्भ में पूरा होने की आशा है।

नई दिल्ली में चीनी दूतावास

†४४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी दूतावास को चेतावनी दी गई है कि वे समय-समय पर ऐसे राष्ट्रों और सरकारों के अध्यक्षों के विरुद्ध जिन से भारत की मैत्री है साहित्य वितरण करने का जो प्रयत्न करते रहे हैं उस से बाज़ आये; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). चीनी दूतावास के कार्यदूत को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में बुलाया गया था और उसे कहा गया था कि भारत सरकार अपनी सामान्य नीति के अनुसार इस बात का विरोध करती है कि एक दूतावास उसे प्रदत्त आतिथ्य का दुरुपयोग करके

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध प्रचार करे। चीनी दूतावास को प्रार्थना की गई कि वे भारत के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध प्रचारात्मक साहित्य का भारत में वितरण करने का प्रयत्न न करें ।

जवानों के लिये भूमि

†४५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेवर टांटिया :
श्रीमती रेणु का बड़कटकी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने जवानों या उन जवानों के परिवारों को जो गत चीनी आक्रमण के दौरान सीमा पर लड़े थे, भूमि देने की योजना बनाई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : ऐसी योजना बिहार की सरकार और 'नेफा' अंदमान तथा निकोबार के प्रशासकों ने दी है। इन योजनाओं के ब्योरे पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड को या तो जवानों और उनके परिवारों के लिये भूमि रक्षित कर दी है या भूमि देते समय उन्हें प्राथमिकता देने का निश्चय किया है ।

नागा विद्रोही

†४६. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरण प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ सितम्बर, १९६३ को चिगेज़ी गांव के पास आसाम राइफल्स को चौकीदारों और नागा विद्रोहियों के बीच हुई झड़प में चार नागा विद्रोही मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन नागा विद्रोहियों से क्या क्या हथियार बरामद हुए ?

†प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) २६ सितम्बर, १९६३ को आसाम राइफल्स के एक दस्ते की जोबुमयी ग्राम में (जो उखरूल के उत्तर में लगभग २६ मील है) विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ हुई थी। चार विद्रोही मारे गये थे, और दो घायल हुए थे। घायल विद्रोही किसी तरह भाग जाने में समर्थ हो गये थे। अपनी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निम्न हथियार और गोला बारूद अपने हाथ लगा था :—

(१)	३०३ राइफल . .	१
(२)	स्टेनगन . .	१
(३)	जापानी राइफल . .	१
(४)	संगीन . . .	१
(५)	३०३ गोली बारूद .	५५ गोलियां
(६)	९ मिलीमीटर गोली-बारूद .	९१ गोलियां
(७)	जापानी गोली बारूद .	५ गोलियां
(८)	हाथ-गोला .	१

पाकिस्तान द्वारा असम की सीमा पर हमला

†४७. श्री स्वैल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नि० रं० लास्कार :
श्री केसर लाल :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री हेडा :
श्री कछवाय :
श्री गो० महन्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ अक्तूबर, १९६३ को पाकिस्तानियों ने बड़ी संख्या में खासी जैंटिया पहाड़ियों में तमाहिल की भारतीय चौकी पर हमला किया था ;

(ख) क्या हमला करने वालों के साथ पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक थे और वे उनकी सहायता कर रहे थे ; और

(ग) क्या भारत की ओर से उन्हें रोकने और उनका मुकाबिला करने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) हां, श्रीमान्, १२ अक्तूबर, १९६३ को प्रायः दोपहर के समय १०९ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा की तमाबिल चूंगी चौकी पर हमला किया था ;

(ख) नहीं श्रीमान् हमला करने वालों में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक नहीं थे किन्तु, जब आक्रांताओं के पुनः सीमा को पार किया और पाकिस्तान के इलाके में प्रवेश किया तो पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक को तमाबिल चुंगी चौकी के सामने बेकरों में आक्रमण के लिये तैयार होते देखा गया ।

(ग) हमारे सीमाशुल्क अधिकारियों ने यथासंभव मुकाबला किया किन्तु हमारे सीमा सुरक्षा सैनिकों के पहुंचने से पहले वह भीड़ चली गई थी ।

विमान उत्पादन

†४८. श्री हेडा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड के पास कोई नया विमान बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस विमान का नाम और प्रकार क्या है और क्या उसका निर्माण किसी विदेशी समवाय की सायहायता से किया जायेगा ; और

(ग) निर्माण का क्या कार्यक्रम है और अनुमानतः कब आरम्भ होगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) हिदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के पास फ्रांसीसी साथी की सहायता से हेलीकोप्टर बनाने की योजना है । निर्माण कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रम

५०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण अत्यत कम हो गया है और उनका स्थान अंग्रेजी कार्यक्रमों को दे दिया गया है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): जी, नहीं । वास्तव में कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित होने वाले हिन्दी कार्यक्रमों का प्रतिशत जो नवम्बर, १९६२ में ९ था, वह बढ कर मई १९६३ में ११ हो गया ।

दिल्ली कपड़ा मिल मजदूर

५१. श्री कछवायः क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कपड़ा मिलों में इस समय कितने मजदूर अस्थायी पास पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन मजदूरों को कितने मास तक अस्थायी रूप में कार्य करने के बाद स्थायी किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उप-मंत्री (श्री चै० रा० पटाभिरामन्):
(क) १ नवम्बर, १९६३ को २,६१८ ।

(ख) अस्थायी सेवा की, जिसके बाद मजदूरों को स्थायी किया जाता है, कोई अवधि नियश्चित नहीं है । अस्थायी मजदूर सामान्यत: अस्थायी काम के लिये नियुक्त किये जाते हैं जिसकी अवधि ३ से ६ मास तक होती है । प्राय: अस्थायी मजदूरों को दो से तीन साल के समय के अन्दर स्थायी बनाने का मौका मिलता है । कहीं कहीं अस्थायी मजदूरों को बदलियों के रूप में काम करना पड़ता है जिसके बाद उन्हें स्थायी स्थान उपलब्ध होने पर स्थायी मजदूरों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बाल कल्याण

†५२. **श्री दे० जी० नायक:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध क्षेत्र में नियुक्त किये जगये जवानों के बच्चों के कल्याण के लिये कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां, युद्धक्षेत्र में न्युक्त जवानों और अन्य जवानों के बच्चों के कल्याण के लिये उपाय किये गये हैं ।

(ख) कतिपय शर्तों के अधीन प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को १० रुपये मासिक प्रति बच्चा और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिये १५ रुपये मासिक प्रति बच्चा, बाल शिक्षा भत्ता दिया जाता है । जवानों के बच्चों को कोई राज्य सरकारों के नि:शुल्क शिक्षा और छात्र-वृत्तियों के रूप में भी रियायतें दी हैं । कई राज्य सरकारों ने जवानों के परिवारों को नगद अनुदानों ऋणों, भूमि अनुदान, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार में प्राथमिकता आदि की भी सुविधायें दी हैं इन से भी उनके बच्चों को लाभ होगा ।

सैनिक स्कूल

†५३. **श्री धवन :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव:
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनकि स्कूलों के गवर्नरों के बोर्ड ने एक योजना का फसला किया है कि राज्य सरकारों को सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देनी चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूप रेखा क्या है और कितने राज्यों ने योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) सुझाव को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) से (ग) सैनिक स्कूलों में शिक्षा के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा स्वेच्छा से आरम्भ की छात्रवृत्तियों की योजनाओं का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८२२/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

१० सितम्बर, १९७३ को निम्नलिखित आदर्श छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों के विचार के लिये परिचालित की गई थीं ;

आय	छात्र वृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की राशि और वस्त्र भत्ता
		प्रथम वर्ष म
३००—४०० रुपये मासिक	पूरा और	१९०० रुपये वार्षिक
	वस्त्र भत्ता	और ३०० रुपया वस्त्र भत्ता और बाद के वर्षों में १५० रुपया।
४०१—७५० रुपये मासिक	¾ और	प्रथम वर्ष में १४५० रुपये वार्षिक और ३०० रुपये वस्त्र भत्ता और बाद के वर्षों में १५० रुपया ।
७५१—१००० रुपये मासिक	½	९५०.०० रुपये वार्षिक
१००१—१२०० रुपये मासिक	¼	४७५.०० रुपये वार्षिक

सैनिक स्कूल गवर्नर बोर्ड की १५ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में राज्य सरकारों से इस योजना को अपनाने की सिफारिश की गई थी। राज्य सरकारों के उत्तर अभी नहीं मिले।

प्रतिरक्षा प्रदर्शनी

५४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'दि नेशन प्रिपेयर्स" नामक प्रदर्शनी पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या प्रदर्शनी के माडलों को सुरक्षित रखा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) प्रदर्शनी का आयोजन इस मन्त्रालय ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया है। अनुमान है कि इस मंत्रालय को १,८०,००० रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रदर्शनी की वस्तुओं को ठीक रखने पर रक्षा मंत्रालय का लगभग १००० रुपया खर्च होगा और कुछ खर्च प्रदर्शनी की वस्तुओं को प्रदर्शनी के स्थान तक ले जाने और वहां से ले जाने पर भी होगा।

(ख) और (ग) : रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित वस्तुएं, माडल नहीं हैं, बल्कि सैना के वास्तविक प्रयोग की चीज़ें हैं। इन्हें वापिस कर दिया जायेगा। पैनल, फोटो, नक्शे, रंगीन चित्र, आदि जो चीज़ें इस मंत्रालय ने प्रदर्शनी के लिए विशेष रूप से तैयार कराई हैं, वे सुरक्षित रखी जायेगी और अन्य प्रदर्शनियों में उपयोग की जायेंगी।

पंजाब में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†५५. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक श्रमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) फरीदाबाद में २७-६-१९६३ से एक श्रमिक शिक्षा उपकेन्द्र चलाया गया है ।

(ख) २३ श्रमिक अध्यापकों के एक दल ने तीन मास का प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें भाषण, स्थानीय अध्ययन यात्राएं, शिक्षा सम्बन्धी दौरे का विवाद, अभिनय, दृश्य, अन्य सहायक उपकरणों द्वारा शिक्षा शामिल है । श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए नौ यूनिट स्तर की कक्षाएं आरम्भ की गई हैं ।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र

†**५६. श्री दलजीत सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण सम्बंधी चलचित्र तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब पूरी होगी ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) निर्माता द्वारा तैयार कहानी पर उसके साथ ९ सितम्बर, १९६३ को दिल्ली में चर्चा की थी और उसे चर्चा के आधार पर संशोधित कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा था । संशोधित कहानी अभी नहीं मिली ।

(ख) कहानी के अन्तिम रूप में स्वीकृत होने पर निर्माण की तारीख निश्चित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में पारेषण केन्द्र

†**५७. श्री क० चं० पंत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में परिषण केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ)**:(क) तथा (ख) नहीं श्रीमान् लखनऊ का वर्तमान शार्ट वेव पारेषण केन्द्र उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों की अच्छी सेवा करता है । इसके अलावा जो पारेषण केन्द्र रामपुर में स्थापित किया जा रहा है और जो शिमला में स्थापित किया जाना है उन से उपयुक्त स्थिति में विशेषत: रात्रि के समय उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमा स्थित पहाड़ी ज़िलों की काफी अच्छी सेवा की जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय पुस्तकालय

†५८. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने मांग की है कि ढाका और राजशाही में भारतीय दूतावास द्वारा संभावित पुस्तकालयों और वाचनालय को बंद कर दिया जाए ;

(ख) ऐसी मांग करने के कारण क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीजवाहरलाल नेहरू) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने कराची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त को एक नोट दिया था जिसमें मांग की थी कि ये पुस्तकालय और वाचनालय क्योंकि अवैध हैं और विध्वंसात्मक तथा शत्रुता के कार्यों का केन्द्र है, अतः इन्हें बंद कर दिया जाए ।

(ग) भारत सरकार ने इस मांग का विरोध किया है इन पुस्तकालयों और वाचनालयों पर लगाये गये आरोपों को सर्वथा निराधार ठहराया है जो कई वर्षों से ज्ञान प्रसार और दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा करने का काम कर रहे हैं । किन्तु पाकिस्तान स्थित हमारे उच्च आयुक्त को हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान सरकार के साथ आगे बातचीत होने तक के लिए इन संस्थाओं को बंद कर दिया जाए ।

खानों सम्बन्धी क्षेत्रीय समितियां

५९. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज, झरिया और मध्य प्रदेश की खानों के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना करने के विरुद्ध को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस देरी का क्या कारण है ; और

(ग) इन क्षेत्रीय समितियों की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) से (ग) इन कोयला खानों के लिए क्षेत्रीय समितियां स्थापित करने का कोई निश्चय नहीं किया गया है । ५ मई, १९६३ को त्रिदलीय बैठक में यह सिफारिश की गयी थी कि क्षेत्रीय समितियों की स्थापना करने के

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न का परीक्षण किया जाये । इस सिफारिश के कारण सम्बद्ध राज्य सरकारों ने खानों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के संघों से परामर्श किया । इन संस्थाओं ने इस की स्थापना तथा उपयोगिता पर विभिन्न मत व्यक्त किये, अतः इस सुझाव को आगे न बढ़ाया गया ।

कोयला खानों के लिए नये आदर्श स्थायी आदेश

†६०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी बंगाल की उन कोयला खानों के नाम और संख्या क्या हैं, जिन्होंने कोयला खानों के लिए आदर्श स्थायी आदेश के प्रमाणीकरण के लिए आवेदनपत्र दिये हैं ;

(ख) उन खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बारे में आवेदनपत्र नहीं दिया ; और

(ग) नये आदर्श स्थायी आदेशों को सभी खानों पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) ८३ ; कोयला खानों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए, संख्या एल० टी० १८२३/६३**]

(ख) खानों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०१८२३/६३**] ।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क विभाग के अधिकारी इस कार्य के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्रबन्धकों से बातचीत कर रहे हैं । माननीय खनन संघ ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और उन पर कोयला उद्योग की औद्योगिक समिति की बैठक में विचार किया जायेगा ।

कोयला खानों के विवादों की मध्यस्थता

†६१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मध्यस्थता द्वारा जिन कोयला खानों के विवादों का निपटारा करवाया गया, उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर संघ तक अलग-अलग रूप में प्रस्तुत किये गये विवादों की संख्या क्या है;

(ग) १९६३ में अब तक पश्चिमी बंगाल कोयला खानों के जो विवाद पंच फैसले के लिये दिये गये-उनकी संख्या क्या है; और

(घ) इन में अलग-अलग रूप में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर संघ ने जो मामले प्रस्तुत किये उनकी संख्या क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) ५०

(ख) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस . १५
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस . १४
हिन्द मजदूर संघ ७

†मूल अंग्रेजी में

(ग) २९ ।

(घ) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस १०
आल इंडिया ट्रेड यनियन कांग्रेस . ९
हिन्द मज़दूर संघ . ५

बंकोला की कोयला खान

†६२. **डा० उ० मिश्र:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एल० पी० देव पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, द्वारा जो निणय प्रकीर्ण आवेदनपत्र संख्या १, १९६३, पर दिनांक ८ अगस्त, १९६३ को दिया गया, उसको बंकोला खान के प्रबन्धकों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय):** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और जितना भी शीघ्र सम्भव होगा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण धनबाद

†६३. **डा० उ० मिश्र:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण धनबाद का संख्या ७, १९६२ का निर्णय प्रकाशित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) और (ख) सम्बद्ध प्रश्न से सम्बन्धित निर्णय भारत सरकार के गज़ट–भाग २, दिनांक २ नवम्बर, १९६३ धारा ३, उपधारा (२) में प्रकाशित कर दिया गया है । कोयला खान के प्रबन्धकों को २-१-१९६४ के भीतर इसे लागू करने के लिये कहा गया है, जबकि इसे प्रकाशित हुये क मास हो जायेगा ।

पश्चिम बंगाल को खास चलबलपुर कोयला खान

†६४. **डा० उ० मिश्र :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को उनका बकाया देने के सम्बन्ध में समझौता अधिकारी के सामने रानीगंज में १२ दिसम्बर, १९६२ को, पश्चिम गाल की खास चलबलपुर कोयला खान के प्रबन्धकों तथा कोलियरी मज़दूर सभा, आसनसोल के बीच समझौता हो गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस समझौते की शर्तों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कोयला खान के प्रबन्धक वित्तीय कठिनाइयों का तर्क प्रस्तुत करते रहे हैं और यह निवेदन करते रहे हैं कि समझौते को कार्यान्वित करने के लिये कुछ समय दिया जाये ।

(घ) प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । संघ को भी केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क विभाग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३३ग के अन्तर्गत बकाया वसूली के लिये कार्यवाही करने का परामर्श दिया है ।

आकाशवाणी के लिए प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव

†६५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के मध्य में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आकाशवाणी के प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्स को भर्ती करने के लिये एक परीक्षा ली गयी थी;

(ख) यदि हां, तो खाली स्थान जिन्हें भरा जाना है की (केन्द्रवार) संख्या क्या है;

(ग) क्या इस परीक्षा के परिणाम घोषित किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह भर्ती का मामला किस अवस्था में है ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कार्यक्रम अधिकारियों की स्थिति के बारे में पुनरीक्षण किया जा रहा है । इस पुनरीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि खाली स्थानों की संख्या क्या है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सफल होने वाले उम्मीदवारों का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी इंटरव्यू किया जाना है ।

निधन संबंधी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ सभा को यह दुःखद समाचार देना है कि हमारे पांच मित्रों, अर्थात् श्री गोविन्द हरि देशपांडे, श्री उ० मु० तेवर, श्री शेषगिरि राव, डा० गोपाल विनायक देशमुख और श्री अमोलक चन्द का देहावसान हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

श्री देशपांडे और श्री तेवर इस सभा के सदस्य थे । श्री शेषगिरि राव प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे । डा० देशमुख केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । श्री अमोलक चन्द अस्थायी संसद् के सदस्य थे ।

हमें इन मित्रों की मृत्यु का अत्यधिक शोक है और मुझे विश्वास है कि सभा दुखित परिवारों को हमारी संवेदना भेजने में मुझ से सहमत है ।

सभा शोक प्रकट करने के लिये क्षण भर को शान्त खड़ी हो जाये ।

[इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे]

स्थगन प्रस्ताव

श्री वालकाट का भाग निकलना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे १७ स्थगन प्रस्तावों की और ५० अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें मिली हैं ।

समयानुसार प्रथम स्थगन प्रस्ताव श्री नाथ पाई का है जो निम्न है :—

> "श्री वालकाँट के सफदरजंग हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज में भाग जाने पर चर्चा करने के लिये जिसने कई अपराध किये थे जिनके कारण पुलिस उसकी खोज में थी और जिससे सम्पूर्ण रक्षा व्यवस्था हास्यास्पद बन गई तथा जिसके कारण जनता के मन में सारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति चिन्ता और आशंका पैदा हो गई ।"

श्री नाथ पाई सभा की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश करें ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं समझता हूं कि सभा को आश्चर्य हुआ, और शायद बड़ी संख्या में सदस्यों को धक्का लगा जबकि उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि एक व्यक्ति . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियम ६० के अन्तर्गत केवल अनुमति के लिए प्रस्ताव श करें ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मैं नियम ६० के अंतर्गत अपना स्थगन प्रस्ताव, जो कृपया आप पढ़ चुके हैं, पेश करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस पर कोई आपत्ति है ? क्या अनुमति देने पर कोई आपत्ति है ? क्या कोई आप त्ति है ? कोई आपत्ति नहीं है । अतः अनुमति दी जाती है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है । मैं समझता हूं कि यह परिवहन मंत्री को भेजा गया है जिनका इससे संबंध है । फिर भी, इस के बारे में जो कुछ मैं जानता हूं, मैं वह जानकारी दे सकता हूं जो मेरे पास है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब जानकारी देने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने पूछ लिया है कि क्या कोई आपत्ति है । कोई आपत्ति नहीं की गई । अतः अनुमति दे दी गई है । अब चर्चा

---

†मूल अंग्रेजी में

होगी और अब केवल इस के लिए समय निर्धारित करना है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह यह चर्चा आज करना चाहेगी या कल ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं आपत्ति करने के लिए खड़ा हुआ था परन्तु आपने नहीं देखा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने तीन बार पूछा था परन्तु मैंने किसी भी सदस्य को नहीं देखा और न ही कोई आवाज सुनी ।

†**श्री त्यागी**: मैं उठा था । (**अन्तर्बाधा**) । फिर भी, मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक बात बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिये । जहां तक अनुमति का सवाल है, वह दी जा चकी है ।

†**श्री त्यागी** : प्रक्रिया के प्रश्न पर, मुझे आप के मार्गदर्शन का लाभ अवश्य मिलना चाहिये । स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए समर्थकों की अपेक्षित संख्या अवश्य होनी चाहिये । मैं आप का मार्ग-प्रदर्शन चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह नियम पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि यदि आपत्ति की जाये तो मैं समर्थकों से अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कहूंगा, अन्यथा नहीं ।

यह अनुमति दे दी गई है । इसे आज ४ बजे लिया जयेगा ।

†**श्री नन्दा** : इसे कल होने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा । यह तय हुआ कि यह कल चार बजे लिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : कितने घन्टे ?

†**एक माननीय सदस्य** : २ $^{1}/_{2}$ घन्टे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज और कोई स्थान प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता । एक दिन में केवल एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ——

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठ जाइये, मेरे खड़े रहने पर भी आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं . . .

श्री बागड़ी : आपके फैसले के बाद भी ट्रेजरी बेंचेज के लोग उस फैसले पर भी बोल सकते हैं तो मेरा व्यस्था का प्रश्न सुनने में आपको क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : ट्रेजरी बेंचेज के लोग बोलते हैं तो मैं उनको भी रोकता हूं और आप बोलेंगे तो आपको भी रोक दूंगा ।

श्री बागड़ी : कौन रुकता है, सब ने अपनी बातें कह लीं । मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आप बठ जाइये, मैं सुन लेता हूं आपका व्यवस्था का प्रश्न भी ।

यह कहना गलत है कि मेरे फैसले के बाद भी ट्रेजरी बेंचेज के लोग अपनी बात कहते रह । मैंने उनसे वक्त मुकर्रर करने को कहा था । इस पर व्यवस्था का प्रश्न क्या हो सकता है । दूसरा और कोई सवाल इस वक्त सामने नहीं है । इस लिये आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बागड़ी : जो आपने काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया और जो आपने १७ काम रोको प्रस्ताओं और ५० तवज्जह दिलाओ प्रश्नों के बारे में जिक्र किया उसके बारे में कहना है । मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था अकाल के बारे में जिसकी वजह से पशु मर रहे हैं : : . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आप बैठ जायें ।

श्री बागड़ी : आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो उसके मरिट्स में जा रहे हैं . . .

श्री बागड़ी : आप पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें फिर फसला दें ।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता तो मैं कैसे सुन लूं । अगर आपका प्रश्न बहुत जरूरी हो तोभी मैं उसको मंजूर नहीं कर सकता । मैंने आज एक काम रोको प्रस्ताव एडमिट कर लिया है । दूसरा किसी कायदे के नीचे भी एडमिट नहीं कर सकता ।

श्री बागड़ी : मेरा प्रश्न कायदे के मुताबिक है या नहीं इसका फैसला आप उसको सुन लेने के बाद ही दीजिये । आप सुन तो लीजिये कि यह प्वाइंट की बात है या नहीं । अगर कायदे के मुताबिक ही होता तो आपके निर्णय की क्या जरूरत थी । आप मेरी बात सुन लें । यह व्यवस्था का प्रश्न उस काम रीको प्रस्ताव के बारे में है जो कि अकाल के बारे में दिया गया था । देश में आज राजस्थान, पंजब मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अकाल की हालत पैदा हो गयी है और अगर सरकार ने दस पन्द्रह दिन के अन्दर कोई फौरी कदम नहीं उठाया तो. . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया आपका व्यवस्था का प्रश्न, अब आप बैठ जायें । आपके दो दफा जिद करने पर मैं बैठ गया । आपने बार बार कहा कि मैं सुन लूं फिर फैसला दूं । मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया । वह उठता नहीं है । एक प्रस्ताव मैंने एडमिट कर लिया और आज दूसरा नहीं एडमिट कर सकता । इसके अलावा मैं क्या सुन लूं और क्या फैसला दूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय ! नियमों के बारे में सफाई होनी चाहिये । आखिर मुल्क में कौन सी गम्भीर बातें हो रही हैं इस पर भी तो फैसला करना पड़ता है न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल आपसे इत्तिफाक करता हूं लेकिन इसका एक तरीका यह है कि नियमों में तरमीम के लिये एक मोशन दिया जाये और रूल्स को तरमीम किया जाये । अभी तो आपने मुझे कुछ रूल्स दे रखे हैं और हुक्म दे रखा है कि इसके अनुसार चलो तो मैं उनके अनुसार चलता हूं । अगर आपका यह हुक्म बदल जायेगा तो मैं बदली हुई दशा के मुताबिक चलने लगूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय क्या इस के बारे में कोई नियम नहीं है कि जब कोई स्थगन प्रस्ताव हो तो उनमें से कौन सा लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा कि जो सब से पहले आया उसको मैंने लिया इसको आए हुए अरसा हो गया था। मैंने कहा कि जो सब से पहले आया उसको मैंने लिया। अब आपको इसमें क्या ऐतराज है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उसके महत्व को तो देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं महत्व को नहीं देखूंगा।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जो कामरोको प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रश्न आये हैं वे बड़े महत्व के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके बारे में आप कल निर्णय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा मैंने अभी तक ५० कालिंग अटेंशन नोटिसों को और १७ काम रोकों प्रस्तावों को लिया है जो कि आखिर वक्त तक आते रहे जब तक कि मार्शल ने मुझे अन्दर नहीं बुला लिया। इनके बारे में आपको इत्तला मिल जायगी। जो बाकी रह गए हैं उनको मैं कल देखूंगा।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय आपके कथनानुसार कामरोको प्रस्ताव और तवज्जह दिलाओ तहरीकें दस बजे तक लोक सभा के दफ्तर में दे दी जानी चाहिये। मुझे उनके बारे में लिखित सूचना नहीं मिली। आज देश में कोलाहल मच रहा है और ब्लैक चल रहा है। उसके बारे में मैं ने तवज्जह दिलाओ तहरीक का नोटिस दिया है। उसके बारे में मुझे लिखित उत्तर नहीं दिया गया। अब क्या उसके बारे में सूचना समन्दर में जाकर तलाश की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिए हैं उनके बारे में उनको सूचना दी जायेगी। लेकिन मैंने बतला दिया कि जो मोशन एडमिट कर लिया गया उसके बाद दूसरा मोशन चाहे कितना भी जरूरी हो नहीं लिया जा सकता उस दिन।

श्री बागड़ी : आपने विश्वास दिलाया है कि लिखित सूचना दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा विश्वास नहीं दिलाया है। मैंने बार बार हाउस में कहा कि लिखित उत्तर उसी वक्त नहीं दिया जा सकता। आप देखें कि ५० कालिंग अटेंशन नोटिस और १७ कामरोको प्रस्ताव थे। इन ६७ का इतनी जल्दी लिखित उत्तर कैसे दिया जा सकता है।

श्री बागड़ी : यह तो बहुत गम्भीर काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम) : क्या हमें फिर सूचनायें देनी होंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। अभी मैंने उन्हें अस्वीकार नहीं किया है। परन्तु उन्हें अनिश्चित रखा है।

चीनी के अभाव, चावल के मूल्य में वृद्धि और गुड़ के अन्तर्राजीय वहन पर प्रतिबन्धके बारे में अनेक सदस्यों ने खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। क्या मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इन सभी ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर में मैं चावल की स्थिति, चीनी की स्थिति और गुड़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य दूंगा। आप मुझे जो समय देंगे उसी के अनुसार मैं यह काम करूंगा। यदि आप चाहें तो मैं एक वक्तव्य कल, दूसरा परसों और इसी प्रकार वक्तव्य दूंगा।

†**श्री त्यागी** : क्या आप इस पर दो घन्टे की चर्चा की अनुमति दे सकेंगे? इसमें केवल वही सदस्य नहीं अपितु अन्य सदस्य भी भाग ले सकेंगे। सरकार को भी लाभ होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल वक्तव्य होने के बाद हम निश्चय करेंगे कि हम चर्चा कर सकते हैं या नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : स्थगन प्रस्तावों की सूचना हमने इस लिये दी है कि हम सरकार की आलोचना कर सकें। वक्तव्य तो हम अनेक बार सुन चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैंने सभा को बता दिया है कि एक स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य हो गया है। आज किसी अन्य को अनुमति नहीं दी जा सकती .... **(अन्तर्बाधा)**

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक थोड़ा सा व्यवस्था का प्रश्न है .....

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं लेकिन कोई बात नहीं कह रहे जो कि व्यवस्था की हो। मैंने तीन बार आपसे कहा लेकिन आप बार बार कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं।

श्री बागड़ी : सिर्फ फर्क इतना है कि जो आपने इन तवज्जह दिलाओं तहरीकों को इकट्ठा किया है इसके बारे में मेरा थोड़ा सा संशोधन यह है कि इकट्ठा तो आप बेशक करें लेकिन इसमें अलग अलग कारणों से तहरीकें दी गयी हैं, जैसे ब्लैक के कारण और इसी तरह की दूसरी हैं, उन सबको अगर मंत्री महोदय को भेज दिया जाए तो सारी बात खुल कर सामने आ जाएगी और उसके ऊपर प्रश्न हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न हुआ जिसका जवाब मैं दे सकता हूं। आप ऐसा बार बार करते हैं और आपको रोका जाता है तो कहते हैं कि मेरी बात तो सुन ली जाए, और जब आपकी बात सुनी जाती है तो उसमें से कुछ निकलता नहीं। यह कोई आज की बात नहीं है, हमेशा की यह बात है। मैं हर एक पार्टी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से हाउस की कार्रवाई में रुकावट न डाली जाए।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, अगर सब कागजात एक साथ मंत्री को भेज दिये जायें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : सब भेज दिये गये हैं।

सभा के कार्यवाही-वृत्तान्त में कथित अशुद्धि

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में एक .....

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पहली कार्यवाही के बारे में मुझे आपको कई ख़त लिखने पड़े। इसके अलावा एक बात बतानी है कि तीन, चार बार ठीक

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की कोशिश के बावजूद वह ग़लती रह गयी है। १६ अगस्त की कार्यवाही में जो शब्द प्रधान मंत्री ने ....

अध्यक्ष महोदय : अब यह सवाल इस वक्त कैसे उठ सकता है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह ३७७ के मातहत मैं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त नहीं उठ सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया : पहले सत्र की कार्यवाही है और ग़लत छपी है। कई बार मैंने कोशिश की कि वह कार्यवाही ठीक छपे और इसके लिए आपको मैंने कई बार ख़त भी लिखे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : अगर वह ग़लत छपी है तो आप मेरे पास आकर बतलायें कि उसके लिए क्या कार्यवाही हो सकती है, हम बैठ कर सोचेंगे कि उसको दुरुस्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है। मुझे अफसोस है कि जब भी मेम्बर साहबान चाहें खड़े हो जायें और कार्यवाही जो हाउस की है उसको चलने न दें, यह काबिले ऐतराज़ बात है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं हरगिज़ यह नहीं करता हूं। मैंने आपको इस बारे में कई ख़त लिखे हैं। यह आपके कक्ष का मामला नहीं है। यह बिल्कुल साफ मामला है कि प्रधान मंत्री ने शब्द "बहाना" इस्तेमाल किया था जिसको कि "बढ़ाना" लिख दिया गया ....

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं ? मैं पहले भी कई दफ़े मेम्बर साहब को निवेदन कर चुका हूं कि आप आइये मेरे पास, अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं उसको देखूंगा और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि दुरुस्त की जा सकती है तो कर दी जायगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा इस तौर से दुरुस्त नहीं हो सकती है। अब प्रधान मंत्री ने जो शब्द कहा है वह उन्होंने कहा है और जो आपने कहा है कि यह दुरुस्त नहीं है और उसकी जगह यह होना चाहिये वह सब भी रेकार्ड में आ गया है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा "बहाना" शब्द भी "बढ़ाना" कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, बावजूद इसके कि मैंने कई बार उसको साफ करने की कोशिश की। टैप रिकार्डर से आप देख सकते हैं कि दरअसल प्रधान मंत्री ने क्या शब्द कहा था। उन्होंने क्या शब्द दरअसल बोला था यह जानना बहुत आसान काम है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं उस को देखूंगा :

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम, १९५० संबंधी पत्र

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं ३० सितम्बर, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६३ तक की अवधि में 'निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की कार्यान्विति के बारे में आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १८०७/६३।]

†**श्री दाजी (इंदौर)** : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की भी एक प्रति पटल पर रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : अन्य अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत जो भी करना अपेक्षित होगा, हम वह करेंगे ।

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) (एक) मोटर गाड़ी स्पार्क प्लग उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३) ।

(दो) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ८(१)-टार/६३ ।

(तीन) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की सरकारी अधिसूचना संख्या ८(१)-टार/६३ ।

(चार) एक विवरण, जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) से (तीन) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर टेबल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(२) (एक) इंजीनियर के स्टील फाइन उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३) ।

(दो) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ७(२)-टार/६३ ।

(तीन) एक विवरण, जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(३) (एक) पिस्टन एसेम्बली (पिस्टन, पिस्टन रिंग, और गजियन पिन) उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३) ।

(दो) दिनांक २४ अक्तूबर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १५(१)-टार/६३ ।

(तीन) एक विवरण जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० १८०८/६३, १८०९/६३ और १८१०/६३।]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान, आप देखेंगे कि प्रतिवेदनों को पटल पर रखने में सदैव ही देर हो जाती है । इसमें देर क्यों होती है, यह बात हम सम्बन्धित मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनसे पूछूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत पत्र

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए माजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए गार्डन रीच वर्कशाप लिमटेड, कलकत्ता का वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० १८११/६३ और १८१२/६३ ।]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें एवं पटसन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड संबंधी सरकारी संकल्प

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना मंत्री (श्री पट्टाभिरामन) : मैं (४)

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) (एक) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पन्द्रहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सत्रहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८१३।६३ ।]

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६०५ की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त एक्ट को स्पिरिट (जो औद्योगिक तथा शक्तिजनक मद्यसार में सम्मिलित नहीं है) तैयार करने तथा साफ करने के उद्योग और स्पिरिटों को मिलाने के उद्योग पर लागू किया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८१४/६३ ।]

(३) शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ७ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८१५/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पट्टाभिरामन]

(४) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—५ (१६)/६३ की एक प्रति जिसमें पटसन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८१६/६३]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : श्रीमान्, मैं १६ सितम्बर, १९६३ के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये निम्न विधेयकों की प्रतियां पटल पर रखता हूं :—

(१) निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक, १९६३

(२) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६३

(३) टेक्नोलोजी संस्थायें (संशोधन) विधेयक, १९६३

(४) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३

(५) भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६३

(६) भाण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक, १९६३

(७) नाट्य-प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९६३

(८) परिसीमन विधेयक, १९६३

(९) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

(१०) संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

(११) व्यक्तिगत चोटें (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३

(१२) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक, १९६३

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य), १९६३-६४

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं १९६३-६४ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे), १९६१-६२

†रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : मैं १९६१-६२ के आय-व्ययक (रेलवे) संबंधी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित किये जाने का समय बढ़ाया जाना

†**श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : अध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को इतना अधिक बढ़ाने की मांग की जा रही है । इस विधेयक की पृष्ठभूमि में एक लम्बा इतिहास है । यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि अनेकों अपीलों के बाद भी कि यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाना चाहिये, सरकार का भी इस समय बढ़ाने की मांग में हाथ प्रतीत होता है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समय को १ दिसम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव यह था कि समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय । श्री दाजी तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन यह है कि समय को १ दिसम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : श्रीमान्, संयुक्त समिति ने ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये ५ अक्तूबर, १९६३ तक का समय निश्चित किया था । परन्तु बड़ी संख्या में अभ्यावेदन, तार इत्यादि आ जाने के कारण कि समय को बढ़ाया जाय, समिति द्वारा यह समय १५ नवम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया गया । ६० संगठनों से और विस्तृत ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा हजारों की संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं । समिति अभी तक केवल ९ एसोसियेशन तथा एक व्यक्ति द्वारा दी गई साक्ष्य ही सुन पाई है । दस और पार्टियों द्वारा साक्ष्य देने की प्रार्थनाएं लम्बित हैं । सरकार यह चाहती थी कि यह विधेयक चालू सत्र के अन्त तक अवश्य पारित हो जाय । मैं ने समिति को यह सुझाव दिया कि समिति सत्र के दौरान में भी अपनी बैठकें करें । परन्तु समिति के सदस्यों की कुछ कठिनाइयों के कारण यह सम्भव न हो सका । शनिवार तथा रविवार को भी समिति की बैठकें करने का विचार कार्यान्वित न हो सका क्योंकि समिति के सदस्य अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण शनिवार व रविवार को आने में असमर्थ थे । अतः अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय बढाने की मांग के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था । इसलिये समिति की पूर्ण सहमति से यह प्रस्ताव रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : श्रीमान्, मैं साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के पक्ष में नहीं हूं । उनका यह संशोधन इस बात का परिचायक है कि यह चीज किसी न किसी प्रकार पूरी हो जानी चाहिये । प्रारम्भ में इस सभा को यह बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा केरल के एक विशेष अधिनियम को रद्द कर देने के कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं । अतः भारत सरकार से प्रार्थना की गई कि उस अधिनियम को मान्य करने के लिये वह संविधान में संशोधन करने वाला एक विधेयक लायें । इसका लाभ उठाते हुए सरकार अब विभिन्न राज्यों द्वारा पारित १२४ अधिनियमों को मान्यता प्रदान करना चाहती है । इन अधिनियमों में से अनेक की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं । अतः मेरा समिति के लिये सुझाव है कि वह इन अधिनियमों की पर्याप्त संख्या में प्रतियां संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये, जो इनका अध्ययन करना चाहते हैं, उपलब्ध करे ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि गरीब किसानों के लिये दिल्ली आकर समिति के समक्ष साक्ष्य देना आसान बात नहीं है । अतः समिति प्रत्येक राज्य के तीन या चार स्थानों का दौरा करके साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करे । किसान लोग इस विधेयक के विषय तथा महत्व के बारे में काफी अन्धकार में हैं ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव है कि आप निदेश दें कि यह विधेयक सब स्थानीय भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिये और मेरे द्वारा सुझाई गई बातों के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : विधेयक तथा अधिनियमों की प्रतियां छप चुकी हैं । सभा पटल पर रखने के अतिरिक्त, संसद सदस्य को भी ये प्रतियां दी जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा द्वारा समिति को निदेश तभी दिये जा सकते हैं जब विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाने वाला हो अथवा जब समिति द्वारा सभा को वापस भेजा जाय । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संयुक्त समिति साक्ष्य एकत्र करने के लिये देश का भ्रमण करे । साक्ष्य देने के इच्छुक व्यक्तियों को स्वयं आगे आना चाहिये । उन्हें इस सम्बन्ध में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

अब मैं श्री दाजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि समय को केवल १ दिसम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय:** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री नित्यानन्द कानूनगो द्वारा २१ सितम्बर, १९६३ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :

"कि इस सभा की एक समिति बनाई जाये जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति कहलायेगी, जिसमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार इस सभा के सदस्यों में से चुने गये दस सदस्य होंगे ।

(२) कि समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :

(क) अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखे की जांच करना ;

(ख) सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हों, तो उनकी जांच करना ;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य-कुशलता के प्रकरण में इस बात की जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों का काम उत्तम व्यापारिक सिद्धान्तों और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार किया जा रहा है ; और

(घ) इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों द्वारा या उसके अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध म ऐसे अन्य कृत्य जो इस समय लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित हैं और जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत नहीं आते तथा जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर समिति को सौंपे जायें ।

परन्तु समिति निम्नलिखित विषयों में से किसी की जांच अथवा अनुसन्धान नहीं करेगी, अर्थात् :

(एक) सरकारी उपक्रमों के व्यापारिक अथवा व्यावसायिक कृत्यों से अलग मुख्य सरकारी नीति सम्बन्धी मामले ;

(दो) दैनिक प्रशासन के मामले ;

(तीन) ऐसे मामले, जिन पर विचार करने के लिये किसी विशेष संविधि के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत वह सरकारी उपक्रम स्थापित किया गया हो, कोई व्यवस्था स्थापित की गई हो ।

(३) कि समिति के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी ;

परन्तु यह कि एक बटा पांच सदस्य चक्रानुक्रम से प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होंगे और प्रति वर्ष वे सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, जो अपने अन्तिम निर्वाचन के बाद से सब से अधिक देर तक सदस्य रहे हों, परन्तु ऐसे सदस्यों की अवस्था में जो एक ही दिन निर्वाचित हुए हों सेवानिवृत्त होने वालों का निर्धारण पर्चियां डाल कर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ।

अनुसूची

(सरकारी उपक्रमों की सूची)

भाग १

केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रम

१. दामोदर घाटी निगम
२. औद्योगिक वित्त निगम
३. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन
४. एयर इंडिया इंटरनेशनल
५. जीवन बीमा निगम
६. केन्द्रीय भाण्डागार निगम
७. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

भाग २

(सरकारी उपक्रम जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये हैं)

प्रत्येक सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक प्रतिवेदन समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत संसद् की सभाओं के सामने रखी जाती है, उन सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त जो इसके भाग ३ में सम्मिलित हैं ।

भाग ३

१. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर
२. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर
३. मांजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई
४. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति के गठित होने पर इस सभा को राज्य सभा से इस प्रकार मनोनीत किए गए सदस्यों के नाम बताये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस के लिए कितना समय रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : समय के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । हम देखेंगे कि डीबेट कैसे चलती है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दस घंटे होने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस कोई समय मुकर्रर करना चाहता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, समय पहले तय किये बगैर बड़ी परेशानी हो जायगी । इस प्रकार डीबेट ठीक तरह कैसे चल सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : चल सकती है । हाउस को अख्तियार है कि वह जब चाहे, समय मुकर्रर करे ।

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने ये दोनों प्रस्ताव २१ सितम्बर, १९६३ को प्रस्तुत किये थे। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव २४ नवम्बर, १९६१ को प्रस्तुत किया गया था । २८ अगस्त, १९६२ की कार्यावलि में प्रस्ताव की सूचना थी परन्तु बाद में यह वापस ले ली गई और आज मुझे एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो, मुझे आशा है, सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा ।

मैं यह स्मरण करा दूं कि दिसम्बर, १९५३ में गैर-सरकारी सदस्यों के एक विधेयक तथा लोक वित्त नियंत्रण बोर्ड विधेयक पर इस सभा में वाद-विवाद हुआ था। प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में भी इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। स्वर्गीय अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने एक पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा था, जिसमें से कुछ उद्धरण मैं नीचे सभा के समक्ष रखता हूं :

> "स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-स्वायत्तशासी निगमों आदि पर संसदीय नियंत्रण होने के बारे में सदन में हुए हाल के वाद-विवाद के दौरान यह सामान्य भावना थी कि एक स्थायी संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो समय-समय पर यह देखे कि ये निगम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और सुधार करने के लिये सुझाव दे। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री इस समिति को नियुक्ति से, सिद्धान्त रूप में, सहमत हैं।
>
> मैंने यह पत्र नियम समिति के विचारार्थ भी भेजा। नियम समिति का सुझाव है कि यदि एक पृथक समिति, सीमित कृत्यों के साथ, नियुक्त की जाये तो कोई हानि नहीं है।
>
> यह निर्विवाद है कि ऐसे निकायों पर संसद् का पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिये। प्रश्न केवल यह है कि यह किस प्रकार से हो। चूंकि यह प्रश्न अनेक बार सभा में उठाया गया है और सभा में इसके सम्बन्ध में प्रबल भावना है, मुझे प्रवर समिति की इन सिफारिशों से सहमत होने में कोई हानि नहीं दिखाई देती कि स्वायत्तशासी निकायों पर नियंत्रण रखने के हेतु, एक पृथक समिति, पैरा २ में उल्लिखित कृत्यों के लिये, गठित की जानी चाहिये। समिति, निस्संदेह, मेरे द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगी ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य देखेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पहिले प्रस्तावों के लगभग समान ही है; केवल निम्न अंश इसमें से निकाल दिये गये हैं :

(१) पैरा २ के दूसरे परन्तुक में दिया हुआ है कि "अनुसूची के भाग ३ में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, समिति इस प्रकार क्या कोई प्रक्रिया नहीं अपनायेगी जो कि सुरक्षा के हित में न हो।"

(२) समिति को गवाहों की जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा और यह जांच पड़ताल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सामने की जायेगी।

(३) समिति बनाये जाने के समय से प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में कार्य नहीं करेगी और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्ध नियमों में पृथक रूप से संशोधन किये जायेंगे।

माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि यह अनुसूची तीन भागों में विभक्त है और तीसरे भाग में ४ उपक्रम अर्थात् हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, मेजागांव डाक्स और गार्डन रीच वर्कशाप सम्मिलित हैं।

ये संस्थान पूर्णतया प्रतिरक्षा उत्पादन से सम्बन्ध रखते हैं और इसीलिये इनके कार्यों की जांच पड़ताल सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए की जानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति उस समय ही भली भांति हो सकेगी, और अधिक अच्छी तरह हो सकेगी जब समिति नियम २८४ के अधीन अथवा जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर नियम २८३ के अधीन निदेश दे, नियम बनायेगी।

इस अनुसूची में एक भाग पृथक रूप से रख लिया गया है जिससे यदि इस वर्ग में अन्य कोई प्रतिष्ठान स्थापित किया जाय, तो उसे भी इस भाग में रक्खा जा सके।

गवाहों की जांच पड़ताल तथा ऐसा जांच पड़ताल के समय सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति का जहां तक सम्बन्ध है यह अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव के पैरा २ (घ) में इस बात का उपबंध है कि लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के कार्य, जहां तक कि सरकारी उपक्रमों का सम्बंध है, इस समिति के उत्तरदायित्व मानें जायेंगे। अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में एक ही प्रकार के कार्य दो स्तरों पर न किये जायं और उपक्रमों का प्रबन्ध तथा इस बारे में सरकार की दो बार जांच पड़ताल न की जाये। इस समय ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि एक ही काम किस स्तर पर दो बार हो रहा है। मेरा अनुभव से दी जा सकता है जब कि समिति अपना कार्य करेगी अतः यही उचित समझा गया कि इस प्रकार का समस्याओं का समाधान अध्यक्ष महोदय के निदेश पर छोड़ दिया जाय।

लोक सभा तथा राज्य सभा के बहुत से सदस्यों ने इस समिति की देर से स्थापना किये जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों के लिये एक विशेष समिति को स्थापित किये जाने की प्रबल भावना को मान लिया है और उसी निर्णय के अनुसार नवम्बर, १९६१ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इससे पहिले भी वाद-विवाद के समय एक विशेष समिति नियुक्त की जाने की आवश्यकता व्यक्त की जा चुकी है। ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के एक सदस्य ने इस बारे में निम्न प्रकार कहा है :

> "प्रवर समिति का कार्य मुख्य विषयों की ओर ध्यान दिलाना है। हाउस आफ कामन्स के वाद-विवादों में एक दोष रहा है कि यहां पर भाषण भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों पर होते हैं। यदि किसी राष्ट्रीयकृत उद्योग पर सामान्य चर्चा हो तब भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं जो सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित होती हैं। ऐसे मामलों में उचित वाद-विवादों का तरीका यह होना चाहिये कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों पर ही चर्चा हो। प्रशासन के निर्यंणन करने के लिये यह आवश्यक है कि एक छोटी सी समिति बनाई जाय जिसको यह अधिकार हो कि वह सम्बद्ध व्यक्तियों तथा कागजों की जांच पड़ताल कर सके।"

प्राक्कलन समिति के जिये राष्ट्रीयकृत उद्योगों के मामलों की जांच करना एक प्रकार की भूल ही होगी। इसके पास तो वैसे ही बहुत कार्य है। और यह समिति जांच के समय सरकार पर लागू किये जाने वाले तरीकों को विभिन्न बोर्डों पर भी लागू करेगी जिसका परिणाम यह होगा कि बोर्ड के रूप में चलने वाले प्रशासन की सुचारुता सम्भव हो जायेगी।

लोक लेखा तथा प्राक्कलन समिति को राष्ट्रीयकृत उद्योगों से अलग ही रहना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण का समस्याओं का अध्ययन कुछ संसद् सदस्यों ने किया था जिनमें स्वर्गीय फिरोज गांधी भी सम्मिलित थे और जिन्हें संसदीय मामले का विशेषज्ञ समझा जाता था और जिनमें श्री त्यागी और श्री दासप्पा भी थे, उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा :

> "कि इस समिति के पास सभी प्रकार के मामलों की, जिनमें कि ये संगठन-कार्य करते हैं, विस्तृत सूचना हो। हमारी सिफारिश का विपरीत प्रभाव होगा यदि समिति अपने बारे में यह समझे कि इसका काम ऐसे संगठनों में दोष निकालना है या यह प्रबन्ध का एक बड़ा बोर्ड है। इसके साथ ही साथ समिति के निर्णयों पर तथा संसदीय परम्पराओं के अनुरूप विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं होने चाहियें। समिति भी इस बात का ध्यान रखेगी कि किस संगठन की त्रुटियों के सुधारने के लिये अथवा बढ़ावा देने के लिये कही गई बातें इस प्रकार की न हों जिसका परिणाम संगठन पर विपरीत रूप से पड़े।
>
> संसदीय नियंत्रण तब अधिक अच्छे रूप से किया जा सकेगा जब कि संसद् अधिकतर इस विषय या नीति को ध्यान में रखे और संगठनों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान दे। इसकी अपेक्षा कि वह प्रशासन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे।

संसद् का यह अभिप्राय नहीं होगा कि उसकी बातों से यह अनुमान लगाया जाय कि वह किस व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। संसद् के कार्यों को जनता ऐसा समझे कि संसद् सार्वजनिक विभाग व्यवहार के स्तर को अधिक ध्यान में रखता है और इनमें होने वाली किसी भी त्रुटि पर अत्यधिक ध्यान देगी ।

संसद् को एसे सभी मामलों के विषय में अधिक जानकारी होनी चाहिये । प्रस्तावित समिति इस कार्य के लिये एक नया गठन होगी । यह समिति ऐसे सभी मामलों पर बहुत सतर्कता बरतेगी और बड़े संयम से कार्य लेगी इससे ऐसी आशा की जा सकती है और इस के साथ साथ यह भी आशा की जाती है कि संसद् अपने कार्यों से सरकारी उपक्रमों में पहल करने की भावना तथा लम्बी अवधि वाली योजनाओं को बढ़ावा देगी ।"

इस प्रकार की समिति के सदस्य संसद् द्वारा उसी प्रकार चुने जायेंगे जैसा कि लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समितियों के सदस्य चुने जाते हैं। इसलिये जहां तक सरकारी उपक्रमों के कार्य करने का सम्बन्ध है, जो कि इन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों समितियां अपने वर्तमान कार्य करना बन्द कर देंगी ।

हाउस आफ कामन्स के नेता के रूप में श्री बटलर ने इस समिति के लिये मार्गदर्शन के रूप में निम्न बातें कहीं :

"रिपोर्टों और लेखों से उद्योगों के वित्त सम्बन्ध और कार्यकुशलता तथा विकास क्षेत्र के बारे में समिति को बहुत सी बातें मालूम होती हैं। किन्तु समिति को प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी मामलों के सम्बन्ध में इन निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । इस में विशेष रूप से निगमों तथा क्राउन के मंत्रियों का ध्यान रखा जाना चाहिये ।"

अब प्रस्तावित समिति के प्रकार का समिति को स्थापित करने में ब्रिटेन कोर्क हाउस आफ कामन्स को पांच वर्ष लगे थे। यह एक विचित्र बात थी कि मजदूर दल के नेता इस प्रकार की समिति की स्थापना के पक्ष में नहीं थे । उनका इस संबंध में मुख्य तर्क यह था कि ऐसी समिति द्वारा की गई जांच पड़तालों से प्रबन्धक बोर्डों का कार्य प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति, उपक्रम तथा व्यापार सम्बन्ध जोखिम लेने की आवश्यकता में बाधा डालेगी और इस प्रकार इन उपक्रमों को स्थापित करने का प्रयोजन भी निष्फल हो जायेगा फिर भी, इस समिति के ४ वर्ष से अधिक काल के कार्य करण ने इन आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया है । समिति के प्रतिवेदनों ने श्री बटलर द्वारा अभिव्यक्त दो परम बातों को स्पष्ट कर दिया है और ये प्रतिवेदन हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद का बहुत उपयोग आधार पाये गये हैं ।

तथापि, हमें याद यह रखना चाहिये कि ब्रिटेन की स्थिति तथा हमारे देश की स्थिति में पूर्ण विभिन्नता है । ब्रिटेन की सरकार द्वारा परिवहन, विद्युत् उत्पादन, कोयला आदि जैसे उपक्रम जो प्रबन्ध के लिये हाथ में लिये गये थे, वे अनेक दशाब्दियों से गैर सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत काम कर रहेथे। हमारे देश की तुलना में, ब्रिटेन में सामान्य औद्योगिक वातावरण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव अत्यधिक विकसित था । ब्रिटेन के समस्त सरकारी उपक्रम संसद् द्वारा अधिनियमित विशिष्ट परिनियमों द्वारा शासित होते हैं।

हमारे देश में संसद् के परिनियम के अन्तर्गत स्थापित सात निगमों के अतिरिक्त, शेष सब उपक्रम समवाय अधिनियम द्वारा शासित सीमित समवायों के रूप में स्थापित किये गये हैं जिनकी संख्या, मेरा विश्वास है, ५२ है। प्रति वर्ष इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जहां तक समवायों के प्रबन्धक को विनियमित करने का सम्बन्ध है, समवाय अधिनियम पर्याप्त रूप से एक व्यापक विधान है तथा सब सरकारी समवायों का समस्त विनियमों के अनुरूप चलना पड़ता है। एक विशेष अध्याय भी है जो केवल सरकारी समवायों पर ही लागू होता है। सरकारी समवाय इस बात के लिये बाध्य है कि संसद् की दोनों सभाओं को प्रस्तुत करने के लिये अपने वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे निर्धारित समय आदि में तैयार करे। समवायों के लेखों का लेखा परीक्षण, महालेखापरीक्षक की सलाह से नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और महालेखापरीक्षक को इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षकों को अनुदेश देने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि समवायों के लेखों की अनुपूरक या परीक्षण लेखा-परीक्षा कर सके। अतः हमारे देश में अधिकांश सरकारी उपक्रमों पर दुहरा अंकुश है।

समावायों जैसा स्वरूप होने के कारण हमारे देश में सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता सुनिश्चित है क्योंकि सरकार के इन समवायों में शत प्रतिशत अंश है जब कि एक साधारण समवाय में एक सामान्य अंशधारी की यह स्थिति नहीं है। हां, सरकार इन समवायों के बोर्डों की नियुक्ति तथा संस्था के सीमानियमों के सम्बन्ध में अवश्य उत्तरदायी है। जब कभी भी इन समवायों में और अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, यद्यपि ऐसे अवसर यदा-कदा ही आते हैं, तो सरकार को समय समय पर संसद् की स्वीकृति लेनी होती है।

इस समय, ६० उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे प्रति वर्ष दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाते हैं। इस संख्या के प्रतिवर्ष बढ़ते रहने की संभावना रहती है। यह निश्चित रूप से लाभदायक होगा कि यदि अब प्रस्तावित की जा रही समिति के प्रतिवेदनों से सभा को कुछ सहायता मिले। समिति विविध उपक्रमों के प्रतिवेदन तथा लेखों का विश्लेषण किया करेगी। इस प्रकार संसद् को इन समितियों के द्वारा सरकारी उपक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और समिति की टीका टिप्पणी तथा समालोचनाओं से प्रबन्धक मंडल को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

समिति के सदस्य दोनों सभाओं के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकें। इसके लिये यह बांछनीय है कि इसके सदस्यों को समिति में पर्याप्त अवधि तक कार्य करने दिया जाय ताकि वे जटिल समस्याओं से परिचित हो सकें। इसीलिये यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसी समिति के सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष होना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समिति के सदस्य पांच वर्ष तक समिति में रहेंगे परन्तु सदस्यों की कुल संख्या का १/५ भाग प्रतिवर्ष सेवा निवृत-होता रहेगा। यदि संसद् के प्रारम्भ होने के दिन से भी समिति निर्वाचित की जाये, तो भी जो सदस्य चौथे वर्ष सेवा-निवृत होगा, वह पांच वर्ष तक समिति का सदस्य नहीं रह सकता। यह कुछ तर्क संगत बात नहीं है।

†**श्री कानूनगो** : इस प्रकार की वितर्क पूर्ण बातें वाद-विवाद के दौरान उठाई जा सकती हैं। मैंने ५ वर्ष का समय इसलिये रखा है क्योंकि यह सभा की अवधि से मेल खाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

यह आशा की जाती है कि ऐसी परम्परा को जन्म दिया जायेगा कि जब भी चक्रानुक्रम द्वारा कोई जगह खाली हो तो विभिन्न दलों के प्रतिनिधान की व्यवस्था सुरक्षित रहे।

राज्य सभा के सदस्यों को इस समिति में स्थान देने संबंधी दूसरे प्रस्ताव के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। कहीं इस प्रस्ताव की भाषा से गलतफहमी न पैदा हो जाय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस की शब्द रचना पूर्णतया उस प्रस्ताव के समान है जो कि लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित करने के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। यह तो अध्यक्ष महोदय तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा स्पष्ट किया ही जा चुका है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों के उत्तरदायित्व में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की स्थापना के द्वारा हम, औद्योगिक प्रगति शीघ्र हो, इस दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं विशेषकर सरकारी उपक्रमों की संसद् के प्रति जवाबदेही की दिशा में। इस समिति के सदस्यों का यह एक विशेषाधिकार होगा कि लोगों की शंकाओं को दूर करे तथा सरकारी उपक्रमों के बोर्डों तथा संसद् के मध्य विश्वास की भावना उत्पन्न करे। इसी के साथ साथ यह सरकारी उपक्रमों में यह मंत्र फूंक दे कि वे पहिले से अधिक लगन से काम करें।

†**श्री त्यागी** : उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस प्रकार की वितर्कपूर्ण बातें वाद-विवाद के दौरान उठाई जा सकती हैं।

मुझे दोनों प्रस्तावों के संबंध में कुछ संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जो माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ब० कु० दास** : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ब० कु० दास** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री व० बा० गांधी** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे प्रस्ताव के संबंध में भी २ संशोधन हैं। जो माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये दोनों प्रस्ताव और संशोधन विचार के लिये सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैंने आज आपके पास एक पत्र भेजा है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : गत सत्र में मैंने कुछ संशोधन भेजे थे। वे परिचालित भी किये गये थे। आज मैंने उनके संबंध में फिर से सूचना भेजी है। इस मामले में नियम को शिथिल कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० सिंघवी का मामला भी ऐसा ही है। यदि सभा की इच्छा हुई तो मैं उन्हें स्वीकृत कर लूंगा, यदि वे ग्राह्य हुये।

†**श्री काजी** : मैंने १३-११-६३ को कई संशोधन एक साथ डाक द्वारा भेजे थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता लगाऊंगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि चीजें समय पर हमारे पास पहुंच जायें। पहले दो सदस्यों के मामले में संशोधन अथवा स्थानापन्न को केवल दोहराना था इसलिये मैं ने विलम्ब की बात में ढील दे दी थी। आपकी डाक १६ तारीख को ५ बजे मिली है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं सभा से विनय करूंगी कि इस मामले में भी विलम्ब की शर्त हटा दी जाये। क्योंकि माननीय सदस्य ने इसे १३ तारीख को भेज दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों मामलों में अन्तर है। दोनों मामलों को साथ नहीं मिलाया जा सकता। हां, यदि सभा चाहे तो देरी की शर्त हटाई जा सकती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय सदस्य ने इसे १३ तारीख को भज दिया था। यदि यह समय पर नहीं पहुंचा तो यह माननीय सदस्य का दोष नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रक्रिया संबंधी मसला है। मान लीजिये कि वह पहुंचता ही नहीं, फिर हम क्या करते ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम आपसे केवल विलम्ब की शर्त हटाने की ही बात कह रहे हैं। हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की अनुमति हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री त्यागी** : इस मामले में विशेष अनुमति दे दी जाये।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मेरा अमेंडमेंट भी स्वीकार कर लिया जाये। वह शायद दो मिनट बाद पहुंचा होगा। उसको बाई हैंड भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : अब जाने दीजिए। बहुत हो चुका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। यह प्रस्ताव सभा का संकल्प है अथवा यह एक स्थायी आदेश है। क्योंकि ब्रिटिश संसद् की परम्परा के अनुसार संकल्प उसी सत्र के लिये लागू होते हैं जिसमें वे पारित किये जाते हैं जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से स्थायी आदेशों के रूप में पारित नहीं किया जाता। किन्तु यदि संकल्पों को जारी रखना होता है तो प्रत्येक सत्र में उन पर मतदान लिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रत्येक सत्र में संकल्पों पर मतदान नहीं लेते।

†**श्री त्यागी** : जिन संकल्पों के अनुसार हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है उन्हें बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है अन्यथा उन्हें स्थायी आदेशों में ही सम्मिलित करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव एक समिति बनाने के विषय में है। सभा के विघटन के बाद यह भी विघटित हो जायेगी और इसके बाद नई सभा नई समिति बनायेगी। हमारे नियमों के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावों की व्यवस्था है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : आपने कहा था कि यदि हमारे संशोधन और स्थानापन्न प्रस्ताव ग्राह्य हुये तो उनके संबंध में विलम्ब की शर्त हटा दी जायेगी। मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव पहले ही स्वीकार किया जा चुका था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस समय भी इसी शर्त पर स्वीकार किया गया था।

†**श्री त्यागी** : लोक लेखा समिति और प्राकल्लन समिति सभा के संकल्प से नहीं बनाई जाती, उनके गठन के विषय में स्थायी आदेशों का विधान है। यह भी उसी स्वरूप की समिति है इसलिये इसे भी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा, उस समय वे इन बातों को उठा सकते हैं।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : ये जो संशोधन एडमिट किये गये हैं, इनकी कापी मैम्बरों को नहीं भेजी गई है। अगर यह कहा जाये कि पहले भेजे जा चुके हैं तो पहले तो प्रस्ताव भी भेजा गया था लेकिन वह रद्द हो चुका।

अध्यक्ष महोदय : इनकी कापीज़ मेम्बरों को भेजी जायेंगी।

†**श्री अ० चं० गुह** : एक औचित्य का प्रश्न है। पहले प्रस्ताव के खण्ड २(घ) में यह उपबन्ध है कि :

> "सरकारी उपक्रमों संबंधी ऐसे अन्य कृत्य जो लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति को सौंपे गये हैं ....."

यह कार्य नई समिति द्वारा किये जायेंगे। नियम ३०८(३) में लोक लेखा समिति के कृत्य बतलाये गये हैं। इन उपबन्धों को देखते हुये संकल्प में यह विशेष खंड कैसे रखा जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : स्थायी आदेशों में संशोधन हुये बिना मैं अपनी समिति के अधिकार नहीं छोड़ सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** यदि सभा समिति बना कर पुरानी समिति की कुछ शक्तियां उसे सौंप ती है जो वर्तमान नियमों के अनुसार पहली समिति के पास हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका निरसन हो जाता है।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले उन नियमों में संशोधन कर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अपने भाषण में यह बातें कह सकते हैं। इसके बाद भी यदि सभा ने इन प्रस्तावों को पारित कर दिया तो उसका यही अभिप्राय होगा कि सभा ने इन दोनों समितियों से शक्तियां ले कर जो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उन्हें सौंपी गई है नई समिति को दे दी हैं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : किन्तु प्रस्तावों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि इन समितियों से ये शक्तियां वापिस ली जा रही हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** औचित्य का एक प्रश्न और है। १९५३ में यह आपत्ति उठाई गई थी कि राज्य सभा के सदस्य इन वित्तीय समितियों में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वित्त का विषय लोक सभा का ही विशेषाधिकार है। उस समय प्रधान मंत्री ने लोक लेखा-समिति और प्राक्कलन समिति में स्पष्ट विभेद करते हुये कहा था :

> "लोक लेखा समिति का वित्तीय शक्तियों से कोई संबंध नहीं है जिसके विषय में कि लोक-सभा सर्वोच्च है। एक और समिति, प्राक्कलन समिति है।"

इस प्रकार उन्होंने प्राक्कलन समिति को सर्वोच्च निकाय बताया था। किन्तु प्रस्ताव के पैराग्राफ दो द्वारा २०० करोड़ के प्राक्कलन के संबंध में कार्य करने की शक्ति इस समिति से ले ली जायेगी। इस विषय में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब उनका बोलने का अवसर आये उस समय वे ये बातें उठा सकते हैं। उस समय सभा निर्णय लेगी।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यह एक संवैधानिक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा सका निर्णय करेगी।

†**श्री त्यागी :** एक और प्रश्न है। यह समिति कुछ कार्य प्राक्कलन समिति के और कुछ लोक लेखा समिति के करेगी। यह उचित नहीं है कि जो समिति प्राक्कलन बनाये वही इस बात की भी जांच करे कि ये ठीक हैं या नहीं। इसी कारण महालेखा परीक्षक की स्थिति बिल्कुल स्वतंत्र रखी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में इस बात पर चर्चा होगी और उसी समय सभा इस पर निर्णय करेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य): यदि यह संवैधानिक विषय है तो क्या यह उचित है कि इस पर यहां इस समय सभा में चर्चा की जाये। यदि यह संवैधानिक विषय है तो उचित यही है कि इसे अभी यहीं समाप्त कर दिया जाये और सरकार अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष नहीं करता । सभा इसका निर्णय करेगी । संवैधानिक प्रश्न और इसके गुण दोनों सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं। अब उत्तरदायित्व सभा का है । संवैधानिक नियमों को पारित करने का अथवा संविधान को संशोधन करने का इसको अधिकार है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं समझता हूं कि जब सभा के सदस्य संविधान संबंधी शंकायें वयक्त करें तो उचित यही है कि इन कठिनाइयों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिये सरकार के कानूनी सलाहकार उपस्थित रहें । हमारी आप से प्रार्थना है कि सरकार से अपना कर्त्तव्य निबाहने के लिये कहें । वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं। आप सरकार से कहें कि वे इस विषय के गुण दोषों पर विचार करने के पहले ही इसकी संवैधानिक स्थिति के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (मंदसौर) : आपने कहा है कि हम संवैधानिक कानून बनाते हैं और गर संवैधानिक भी। हम जान-बूझ कर गैर-संवैधानिक कानून नहीं बनाते ।

†**अध्यक्ष महोदय**: हमने कई कानून बनाये हैं जिन्हें गैर-संवैधानिक घोषित किया गया है ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : किन्तु हम ने जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया। इसलिये यह बात स्पष्ट है कि यदि कोई संवैधानिक आपत्ति उठाई जाती है तो क्या यह सरकार के लिये उचित नहीं कि वह इसका स्पष्टीकरण करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि संवैधानिक नहीं हैं। किन्तु इस प्रक्रम में उनके विषय में निर्णय देना मेरा कार्य नहीं है। चाहे वे कितनी ही गंभीर क्यों न हों और उन के विषय में मेरे विचार चाहे कुछ भी क्यों न हों ।

जहां तक सरकार का प्रश्न है उन के प्रवक्ता यहां उपस्थित हैं। अनुमान ऐसा है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श कर लिया होगा ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा एक और औचित्य का प्रश्न है । १९६७ में लोक सभा के सदस्य नया आम चुनाव होने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, किन्तु राज्य सभा के सदस्य तब भी समिति के सदस्य होंगे । तब समिति की क्या स्थिति होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वाद-विवाद के दौरान ये प्रश्न मंत्री महोदय से पूछे जा सकते हैं। वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे । मैं कैसे बतला सकता हूं कि संरकार कि क्या स्थिति है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मुझे आशंका है कि राज्य सभा के सदस्यगण पूर्ति करके अधिवेशन करेंगे । इसीलिये मैं ने कहा है कि उन्होंने कानूनी सलाहकारों से परामर्श नहीं लिया ?

†**श्री त्यागी**: इसे तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करके मंत्री अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं, किन्तु सभा इसकी अनुमति किस प्रकार दे सकती है ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या हम माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित न करें कि इस विषय में संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है ? और क्या मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये कि सभा में क्या कहा जा रहा है ? वे बैठे सुन रहे हैं यह नहीं बताते कि इस संबंध में कानूनी सलाह ली गई है अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने बार-बार सदस्यों से अनुरोध किया है कि वाद-विवाद के समय ये बातें उठायें । उस समय मंत्री महोदय इनका उत्तर देंगे ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : यदि सभा में संवैधानिक प्रश्न उठाये जायें जिन पर उचित रूप से विचार करने की आवश्यकता हो तो आपको कहना चाहिये कि ये प्रश्न संवैधानिक स्वरूप के हैं। और मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाना चाहिये और तब आप इस विषय में निर्णय दें कि सभा में इन पर चर्चा की जाये अथवा नहीं । इसके बाद विधेयक पर अगला कार्य आरम्भ किया जाये ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : आपने कहा कि इस प्रस्ताव के पारित करने पर सभा स्वत: दोनों समितियों से शक्ति लेकर नई समिति को दे देगी । किन्तु मेरा विचार है कि यह निर्वाचन ठीक नहीं है । जब तक कि सभा एक पृथक संकल्प पारित कर के इन दोनों समितियों से शक्तियां लेकर नई समिति को न दे तब तक यह नियमानुकूल नहीं होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : जो कुछ कहा जा चुका हैं उसको देखते हुए उचित यही है कि माननीय विधि मंत्री से इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये कहा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब इस प्रकार शंकायें व्यक्त की जाती हैं तब यह सरकार का कार्य हो जाता है कि सदस्यों की जानकारी के लिये कानूनी सहायता उपलब्ध कराये । मंत्री महोदय यहां बैठे हुये सुन रहे हैं।

संशोधन संख्या १४ से २५ और ३ भी प्रस्तुत हुई समझी जायेंगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: मैं अपने संशोधन संख्या १४ और १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दाजी** (इंदौर) : मैं अपने संशोधन संख्या १६ से १८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं अपने संशोधन संख्या १९ और २० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री यशपाल सिंह**: मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं अपना संशोधन संख्या २३ और २४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

†**श्री दाजी** : इस समिति को स्थापित करने का विचार एक अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस बात को सब स्वीकार करेंगे कि सरकारी उपक्रमों के कार्य को अधिक अच्छी तरह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि एक संसदीय समिति की स्थापना की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों के कार्य पर लगातार आक्षेप होते रहते हैं । दो दृष्टिकोणों से इन पर आक्षेप किया जाता है । पहला दृष्टिकोण तो राजकोट से आये माननीय सदस्य का है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए इन उपक्रमों के कार्य-सम्पादन का अत्यन्त शोचनीय चित्र खींचा था और यहां तक कह दिया था कि इस्पात संयंत्रों में करोड़ों रुपये फंसा देने से अच्छा था कि इस रुपये को उपभोक्ता उद्योगों में लगा दिया जाता है किन्तु इस प्रकार की विचारधारा का कारण यह है कि वे निजी क्षेत्र के प्रवक्ता हैं और सरकारी क्षेत्र के प्रसार से निजी क्षेत्र को एक गहरी ठेस लगी है। किन्तु लोग इस तथ्य के प्रति सजग हो चुके हैं कि निजी क्षेत्र के लोग वर्षों से जनता को लूटते रहे हैं और वे लोग ये समझने लग हैं कि जो बात निजी क्षेत्र के लोग ठीक कहते हैं वह गलत होती है । यदि सरकारी उपक्रमों का विस्तार होता रहा तो उनका जनता को लूटने का असर कम होता जायेगा। यदि आयोजन के अनुसार प्रगति होती रहीं तो तृतीय योजना के अन्त में २५ प्रतिशत कुल उद्योग और ३३ प्रतिशत खनन उत्पादन का कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जायेगा । इसी लिये निजी क्षेत्र के लोग चिन्तित हैं ।

सरकारी उपक्रमों की आलोचना करने का दृष्टिकोण यह है कि इनकी प्रगति हो इनके कार्य में सुधार हो। इसके अनुसार जब तक इसके कार्य में चतुर्दिक सुधार नहीं होगा यह निजी उद्योग के साथ स्पर्धा नहीं कर सकेगा । मैं इसी दृष्टिकोण से कुछ आलोचना प्रस्तुत करूंगा।

स्वतन्त्रता दल के सदस्य और निजी क्षेत्र के लोगों के अतिरिक्त स्वयं सरकार का व्यवहार भी इन उपक्रमों के प्रति उदासीन है । जो लोग दूसरे विभागों के लिए वार्धक्य के कारण अयोग्य समझे जाते हैं उन्हें इन उपक्रमों में भेज दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी उपक्रमों के पद ऐसे व्यक्तियों के लिए मुक्त के पद बना दिये जाते हैं जो गुलछर्रे उड़ाते रहें। ऐसे व्यक्तियों से अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। तथापि इन उपक्रमों का कार्य अत्यन्त संतोषजनक रहा है और उसका कारण है मजदूरों का कृतसंकल्प हो कर और निष्ठापूर्वक कार्य करना।

इसके साथ ही इनमें नौकरशाही की प्रवृत्ति भी है। पुर्जों को मंगाने का एक व्यादेश (इंडेंड) एक बार २ वर्ष में मंजूर हुआ था जब कि इन पुर्जों की तुरन्त आवश्यकता थी। हमारे प्रौद्योगिक बिज्ञ अच्छा कार्य कर रहे हैं और आदि के विषय में हम यूरोप के देशों से भी अच्छे हैं । किन्तु जब अधिकारियों का प्रश्न आता है तब हमें कहना पड़ता है कि रूरकेला के मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या यूरोप के किसी संयंत्र में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से चार गुनी है। भिलाई आदि अन्य स्थानों में भी यही बात है। यदि किसी सम्बन्धी को कोई अच्छा पद देना होता है तो उसे सरकारी उपक्रमों में किसी अधिकारी का पद दे दिया जाता है ।

एक और पहलू है। मैं स्वतंत्र दल की तरह यह नहीं कहता कि अंश पूंजी पर केवल ०.३ प्रतिशत लाभ हुआ है। भिलाई आदि संयंत्रों ने चाहे सामान्य रूप से कोई लाभ अर्जित नहीं किया है किन्तु उन्होंने ३०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है । इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उचित समय आने पर उत्पादन की लागत सामान्य हो जायेगी। यदि यह नहीं हुआ तब निरीक्षण करके देखा जायेगा कि क्या दोष रह गया है ।

अधिकारीगण, जो ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे हैं अभी सरकारी क्षेत्र की भावना को नहीं अपना पाये हैं। इसके परिणामस्वरूप कई अनुचित कार्य होते रहते हैं। उदाहरणार्थ भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल्स में चार ऐसे अधिकारी हैं जिनके सम्बन्धियों की एक फर्म हैवी

इलेक्ट्रिकल्स के समीप ही है वे उस फर्म को क्रयादेश देते हैं मज़दूरों की हाज़री हैवी इलेक्ट्रिकल्स में लगाई जाती है और वे कार्य करने के लिए सम्बन्धियों की फर्म में भेज दिये जाते हैं। सामान भी उधर भेज दिया जाता है। जब इस प्रकार की बातें प्रकाश में लाई जाती हैं तब उन पर कार्यवाही करने के स्थान पर इन बातों पर पर्दा डाल दिया जाता है।

नौकरशाही की इस प्रवृत्ति के कारण सरकारी उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के औद्योगिक सम्बन्धों में निजी क्षेत्र के संयंत्रों से भी अधिक राजनैतिक दबाव रहता है। निजी क्षेत्र का समझदार नियोक्ता यह अनुभव करता है कि मुझे अपना कार्य करना है इसलिये चाहे कोई भी हो मुझे अपना कार्य करवा लेना ही उचित है। सरकारी क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है।

मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्री श्री नन्दा सरकारी उद्योग क्षेत्र के सभी उपक्रमों की एक त्रयपक्षी बैठक बुलाएं जिसमें श्रमिकों के सम्बन्धों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए। मुझे पिम्परी के मज़दूर संघ का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चार वर्ष के घोर संघर्ष के बाद उन्होंने औद्योगिक न्यायालय से पंचाट प्राप्त किया जिसके अनुसार न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई किन्तु अब वहां की सरकारी कम्पनी इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के पास अपील कर रही है।

श्री नन्दा हर त्रयपक्षीय बैठक में यह उपदेश दिया करते हैं कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करनी चाहिए किन्तु सरकारी उपक्रम इस उपदेश का लाभ नहीं उठाते।

त्रयपक्षी समिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि १ दिसम्बर, १९६३ से ठेके पर श्रमिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा। अभी तक सरकारी खानों में ठेके की श्रम व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया जब कि ग़ैर-सरकारी खानों ने यह काम कर दिया है। श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये और उन्हें प्रबन्ध कार्य में लोकतन्त्रात्मक नियंत्रण प्रदान करना चाहिये तभी सरकारी उद्योग क्षेत्र सफल हो सकेगा।

अब प्रश्न यह है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में लोकतन्त्रात्मक प्रबन्ध व्यवस्था कैसे की जाये। एफ० आई० सी० सी० आर० की गोष्ठी में प्रमुख उद्योगपति श्री साराभाई ने सुझाव दिया था कि सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध गैर-सरकारी कम्पनी को दे देना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि ग़ैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी मालिक हिस्सेदार नहीं होते और वे प्रबंध अधिकरण के अधीन नहीं होते। केवल एक ही प्रबन्ध अभिकरण की व्यवस्था करता है और उद्योग को चलाता है। यही सिद्धान्त सरकारी उद्योग क्षेत्र पर लागू होना चाहिए। वहां हमारे कई सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष बैठे हुए थे किन्तु किसी ने भी इस सुझाव का विरोध नहीं किया। श्री एच० एम० पटेल ने इस सुझाव का समर्थन अवश्य किया था। मैं इससे सहमत नहीं यह खतरनाक है।

यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकारी उपक्रमों के हिस्से बाजार में बेचे जाएं। मैं श्री भगत को बधाई देता हूं कि उन्होंने राज्य सभा में इस सुझाव का सख्त विरोध किया। श्री साराभाई के सुझाव का भी सरकार को इसी प्रकार विरोध करना चाहिये।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में हमें प्रभावी लोकतन्त्रात्मक नियंत्रण पर पूरा विश्वास रखना चाहिये। नौकरशाही कर्मचारी लोकतंत्रात्मक नियंत्रण का मुकाबला कार्य की दक्षता

[श्री दाजी]

से करते हैं। किन्तु यदि लोकतन्त्रात्मक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की जाती तो सरकारी स्वामित्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लोकतंत्रात्मक नियंत्रण का अभिप्राय है संसद् का नियंत्रण किन्तु संसद् बड़ा निकाय है अतः लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का इन समवायों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए किन्तु इन समितियों के पास पहले ही बहुत अधिक काम है अतः ऐसी समिति बनानी चाहिए जिसे इन दोनों समितियों के अधिकार सौंपे जाएं इसके सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह समिति केवल दोष निकालने वाली नहीं होगी बल्कि सरकारी उपक्रमों की अनुत्तरदायी प्रभाव से रक्षा करेगी और सार्वजनिक हितों की रक्षक होगी।

इस प्रयोजन के लिए इंगलैंड में जो समिति नियुक्त की गई है उसके अधिकार विस्तृत हैं और श्री बटलर ने स्पष्टीकरण के रूप में कहा था कि इसके कामों में उपक्रमों का वित्तीय परिणाम अधिकार प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में उद्योग का संचालन, प्रबन्ध व्यवस्था आदि होंगे इस बारे में प्रथा निर्माण करने का काम भी समिति पर छोड़ दिया गया है कि वह नित्य प्रति के प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

यहां यह किया जा रहा है कि एक ओर समिति को अधिकार दिये जा रहे हैं और दूसरी परन्तुकों द्वारा यह लिख कर कि समिति को अमुक अमुक काम नहीं करना चाहिये अधिकार छीन लिए गये हैं। समिति के प्रतिवेदन, लेख आदि मंगवाने और साक्ष्य लेने का अधिकार होना चाहिये नहीं तो यह समिति केवल दिखावा मात्र रह जायेगी। इसी प्रयोजन से मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

मैंने सुझाव दिया है कि समिति का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सभा पटल रखा जाए और उस पर चर्चा हो। सरकार से अधिकार देने में संकोच क्यों कर रही है। इंगलैंड की समिति के कार्य का पुनर्विलोकन करने पर यह सिद्ध हो गया है उसका प्रभाव सराहनीय रहा है। अतः समिति को पूरे अधिकार देने चाहिये और उस पर विश्वास करना चाहिये। सरकार के व्यवहार की ही तरह सरकारी उपक्रम का व्यवहार पवित्र होना चाहिये। समिति इस बात की देखभाल करेगी।

मैं इस उपबंध को अच्छा नहीं समझता कि हर वर्ष समिति के सदस्य बदलते रहें। इस प्रयोजन के लिए कि सदस्य कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें समिति की पदावलि अधिक-लम्बी होनी चाहिये। ऐसा करने से विरोधी पक्ष के छोटे दलों और वर्गों को हानि होगी।

मैंने एक और संशोधन यह रखा है कि मंत्री इस समिति के सदस्य न हों। समें सरकार का हाथ नहीं रहना चाहिये। इंगलैंड में यही प्रथा है। यहां हम इस काम को प्रथा पर नहीं छोड़ सकते।

इस समिति के बिना किसी प्रतिवाद के सभी सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिये और विधेयक में जो अनुसूची रखी गई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों का महत्व बढ़ेगा। भारत की प्रगति के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। यदि यहां सम्राज्यवाद की स्थापना करनी है

तो सरकारी उद्योग क्षेत्र को अधिकाधिक विस्तार देना होगा। अतः इस समिति को अधिकार देने की आवश्यकता है ताकि वह सरकारी उद्योग क्षेत्र, जनता और संसद् के हित की रक्षा कर सकें।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): सरकार के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मेरा ध्यान सरकार के डावाडोल निश्चय की प्रवृत्ति की ओर जाता है। इसे प्रस्तुत करने का सरल ढंग यह था कि यह समिति लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सहायता करने के लिए है।

१९६१ में एक प्रस्ताव रखा गया था जिस पर मैंने एक औचित्य प्रश्न उठाया था। उस पर अध्यक्ष महोदय ने कुछ निदेश दिये थे कि संकल्प में सुधार किया जाए। आशा की थी कि उसी सत्र में संकल्प पुनः लाया जाएगा किन्तु न जाने किन कारणों से ऐसा नहीं किया गया। गत वर्ष अगस्त में संकल्प की सूचना तो दी गई किन्तु इसे पेश नहीं किया गया। फिर गत सत्र के आखिर में इसे लाया गया जब इसे पास नहीं किया जा सकता था।

अब यह संकल्प संशोधित रूप में लाया गया है और अब यह समिति संयुक्त समिति नहीं रही किन्तु इसमें राज्य सभा के सदस्य सहायक सदस्यों के रूप में होंगे। मुझे पता नहीं कि उनके अधिकार क्या होंगे। उस सभा के भी इस सभा की तरह अपने विशेषाधिकार हैं। इस स्थिति को भली प्रकार समझना चाहिये।

प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम इस संकल्प के कुछ उपबंधों के विरुद्ध हैं। सरकार को अच्छा होता कि वे पहले अध्यक्ष से इन नियमों में संशोधन करवाते और फिर संकल्प पेश करते। इस संकल्प द्वारा लोक लेखा समिति के कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं।

पिछले कई वर्षों से प्राक्कलन समिति की एक उपसमिति सरकारी उपक्रमों की जांच कर रही है। ये अधिकार छीने जा रहे हैं।

१९५३ में प्रधान मंत्री ने एक प्रस्ताव रखते हुए जिसके अनुसार राज्य सभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति में लिया जा रहा था यह कहा था कि वित्तीय विषयों पर केवल लोक सभा का नियंत्रण है अतः केवल प्राक्कलन समिति को प्राक्कलनों की जांच का अधिकार होगा सरकारी उपक्रमों में २००० करोड़ रुपया लगाया जा चुका है और तीसरी योजना में १२०० करोड़ रुपया लगाया जाना है। अतः प्राक्कलनों पर सभा के नियंत्रण में कमी नहीं होनी चाहिये।

सरकारी उपक्रम स्वायत्तशासी होने चाहिये। किन्तु स्थिति यह है उन्हें साधारण कार्यों के लिए यहां के अधिकारियों के निर्णयों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब स्वायत्तशासन के नाम पर सभा द्वारा जांच के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रस्ताव में ये प्रतिबंध हैं कि समिति दैनिक मामलें की जांच न कर सकेगी। तब समिति का क्या कार्य होगा। हमारी सरकार इंगलैंड के अनुभव से कुछ सबक नहीं सीखना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

चाहती। वहां १९५५ में नियुक्त की गई समिति ने काम करने से इन्कार कर दिया था और तब उसे पूर्व अधिकार सौंपे गये थे। आजकल प्राक्कलन समिति प्रशासनिक व्यवस्था की भी जांच करती है। किन्तु इस संकल्प के पारित होने पर सरकार कह सकेगी कि ऐसे कार्य दैनिक प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं।

गत वर्ष प्राक्कलन समिति ने प्रतिवेदन में कुछ भारी प्रशासनिक मूल्यों का उल्लेख किया था। अब सरकार कह सकती है कि वे बातें दैनिक प्रशासन की बातें हैं। संसदीय समिति तभी कुशल कार्य कर सकती है जब उसमें विश्वास किया जाए।

मेरा विचार है कि यदि समिति की पदावधि पांच वर्ष रखी जाए और प्रतिवर्ष सदस्यों का पांचवां भाग सेवानिवृत्त किया जाए तो इसे बहुत सी कानूनी कठिनाईयां पैदा होगी। जिस समय आम चुनाव होंगे इस समिति में लोक सभा का कोई सदस्य नहीं रहेगा और केवल राज्य सभा के पांच सदस्य रह जायेंगे। विधि मंत्रालय ने इस पर दो तीन साल विचार करने के बाद भी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को इस सभा ने नियुक्त किया था और सभा इस सम्बन्ध में उपेक्षा भाव नहीं रख सकती कि इनके अधिकार कम कर दिये जाएं। ऐसा लगता है कि सरकार संसद् के प्रति अविश्वास के भाव से काम कर रही है इसीलिए इतने प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। इन तीनों समितियों के अधिकार और विशेषाधिकार समान होने चाहियें।

नियम ३१० (क) में "निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत" शब्दों का उल्लेख है। प्राक्कलन समिति ऐसी नीतियों के बारे में सिफारिशें करती है और कई बार अधिनियमों में संशोधन की भी सिफारिशें की गई हैं।

भाग ३ में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, मजागोन डाक्स लिमिटेड और गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड को समिति के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया है। प्राक्कलन समिति इन उपक्रमों की जांच कर सकती है। आशा है प्राक्कलन समिति का यह अधिकार नहीं छीना जाएगा।

श्री बड़े (खारगोन): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मोशन हाउस के सामने रखा है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

यह मोशन बड़े महत्व का है। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आता है। एक आदमी ने भगवान के पास से लड़का मांगा। उसने कहा तुझे लड़का जरूर मिलेगा लेकिन काना, लंगड़ा और लूला मिलेगा। उस आदमी ने इसके जवाब में कहा कि इससे तो लड़का न ही हो तो ही अच्छा है। इसी प्रकार से इस मोशन में केवल ग्यारह इंडस्ट्रीज़ को ही इनक्लूड किया गया है जबकि अपने देश में इस वक्त ७३ स्टेट एंटरप्राइज़िज़ हैं। ७३ स्टेट एंटर-प्राइज़िज़ में से केवल ग्यारह इंडस्ट्रीज़ को इनक्ल्यूड करना कहां तक उचित है, इसको आप सोचें। इसका कारण क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, इस पर न मंत्री महोदय ने अपने भाषण में प्रकाश डाला है और न ही इसके बारे में मोशन में कुछ कहा गया है। जिस तरह उस आदमी को लूला, लंगड़ा और काना मिला था उसी तरह से हमें यह चीज़ मिल रही है। ग्यारह इंडस्ट्रीज़ पर ही यह चीज़ लागू होगी और बाकी इंडस्ट्रीज़ पर लागू नहीं होगी,

बाकी सब स्टेट एंटरप्राइज़िज़ को छोड़ दिया गया है। इससे तो अच्छा यही था कि जो पोल खाता अभी चल रहा है, उसी को आप चलने देते। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ कितनी है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं और जो हालत है, उसको आप देखें।

भारत सरकार के १९६२-६३ के बजह के व्याख्यात्मक ज्ञापन में बताया गया था कि ७३ राजकीय उपक्रमों में केवल दस से लाभ हुआ है। १९६०-६१ में ६०५.६३ करोड़ के पूंजी निवेश पर १.९५ करोड़ रुपये और १९६१-६२ के ७०९ करोड़ के पूंजी निवेश पर भी १.९५ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इस प्रकार सरकारी उपक्रमों का काम असंतोषजनक है।

मध्य प्रदेश में हैवी इंडस्ट्रीज़ का किस्सा अभी माननीय दाजी जी ने आपको सुनाया है। माननीय मंत्री जी यदि जा कर वहां देखें तो उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पोलखाता चल रहा है। लेकिन शासन के सामने इस प्रकर के रेजोल्यूशन सन् १९५३ से आते रहे हैं। पहले १९५३में आया, फिर १९५४ में आया, उसके बाद १९५५ में आया और फिर १९५६ में आया। मगर १९५३ में रेज़ोल्यूशन पास होने के बाद भी अभी तक इसकी तरफ शासन ने नहीं देखा। मैं कहता हूं कि जब ७३ स्टेट एंटरप्राइज़ेज़ है और शासन उन पर पूर्ण रूप से पैसा लगा रहा है तो उन पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल होना जरूरी है। इसके लिये सन् १९५२ में आडिटर जनरल ने जो कहा था, मैं आपको वह बतलाना चाहता हूं।

१९५२ में नियंत्रण महालेखा परीक्षक ने कहा था कि संसद् की अनुमति के बिना खर्चा करना धोखा है। "प्राइवेट लिमिटेड" कम्पनियां समवाय अधिनियम अधिनियम और संविधान के प्रति धोखा है क्योंकि भारत की संचित निधि से इनके लिये धन नहीं दिया जा सकता। सरकारी कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी बनाना भी असंवैधानिक है।

यह जो मैंने आडिटर जनरल का कोटेशन पढ़ा है उसमें वे कहते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड में से, पैसा लगा कर प्रेजिडेंट के नाम शेयर्स लेते हैं और कम्पनी स्टार्ट करते हैं। यह कांस्टि-ट्यूशन के ऊपर एक फ्राड है क्योंकि पार्लियामेंटरी बाडी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद ११४(३) और २२६(३) के अनुसार बिना विनियोग के और संसद्-द्वारा पारित विधि के भारत की संचित निधि से धन नहीं दिया जा सकता। कांस्टिट्यूशन के अनुसार यदि कंसोलिडेटेड फंड में से एक पैसा भी किसी कम्पनी में हम डालते हैं तो उसके जो शेअर्स होते हैं वे प्रेजिडेन्ट के नाम में होते हैं। उस का शेअर होल्डर प्रेजिडेंट रहता है। अब इस प्रकार से होता है तो उस पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल भी होना चाहिये। जब हाउस में सन् १९५१ में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था तब भी यही डिस्कशन हुआ था कि जब तक नैशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल नहीं होता तब तक कंसोलिडेटेड फंड में से कोई पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं लगाना चाहिये। उस समय चर्चिल साहब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खुद रेजोल्यूशन रक्खा था। **एण्ड देन दि कमिटी वाज़ अप्वाइंटेड** जब वह कमेटी अप्वइंट हुई तो उसे पूरे अधिकार सभी इंडस्ट्रीज पर दिये गये। मैं नहीं समझता कि उस तरह से यहां क्यों नहीं किया गया। आखिर इतनी ही इंडस्ट्रीज क्यों रखी गई। बाकी क्यों नहीं ली गईं। अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके कारखाने हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी कारखाने हैं, कारपोरेशन्स हैं, कम्पनियां हैं। उन सब को क्यों नहीं रक्खा गया, यह मालूम नहीं पड़ता।

मैं पी० ए० सी० के साथ दौरे में गया था। मैंने देखा कि पिंपरी में पेनिसिलिन १आ० में तैयार होती है और ५० न० पै० में बेची जाती है।

†**श्री कानूनगो :** मुझे बीच में बोलने का खेद है । किन्तु भाग २ में कहा गया है कि "हर सरकारी कम्पनी जिसका कमिश्नर प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जाता है ।" इस में सभी कम्पनियां आ जाती हैं ।

श्री बड़े : लेकिन आप ने जो नाम दिये हैं वह तो ११ ही हैं ।

†**श्री कानूनगो :** : ये कम्पनियों के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री बड़े : बाकी को जो ७३ इंडस्ट्रीज हैं क्या वह सब इन्क्लूड की जायेंगी ।

श्री कानूनगो : मैं ने भाग २ पढ़ कर सुनाया है ।

श्री बड़े : तो ठीक है । मिनिस्टर महोदय ने कहा कि सभी इंडस्ट्रीज आ जायेंगी । ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि दरअस्ल कुछ काम होगा और उन पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल हो जायेगा । लेकिन पार्लियामेंटरी बाडी होने की जरूरत क्यों पड़ी, वह भी मैं जानता हूं । मैंने पिंपरी की पेनिसिलीन फैक्टरी देखी, प्रागा टूल्स देखा, एअर इंडिया देखा । मालूम होता है कि वह एक छोटी सी स्टेट तैयार हो गई है । पिंपरी में २ आ० में पेनिसिलीन तैयार होती है लेकिन कंज्यूमर्स को ५० न० पै० में बची जाती है । उस पर इस तरह से प्राफिट लिया जाता है. कंज्यूमर्स की तरफ नहीं देखा जाता है । मैंने वहां पर सवाल पूछा कि तुम इतना प्राफिट क्यों लेते हो, तो कारण यह बतलाया गया कि स्टेट मोनोपोली है । इम्पोर्टेड पेनिसिलीन बहुत सस्ती पड़ती है । लेकिन यहां पर स्टेट का सारा पैसा खर्च किया जाता है **इज इफ इट इज एस्टेट विथ इन एस्टेट** । मैं आप को बतलाता हूं कि डा० लकासुन्दरम् ने क्या कहा था:—

इस से सर्वथा कोई प्रतियोगिता नहीं और उपभोक्ता के हित की अवहेलना की गई है हर कम्पनी एक छोटा सा साम्राज्य बन गया है जिसका प्रबन्धक निदेश या अध्ययन उसका सम्राट है ।

वहां मैनेजिंग डाइरेक्टर या चेअरमैन राजा समझा जाता है । वह सभी छोटी छोटी स्टेट्स हैं । एअर इंडिया में आप देखिये कि उस को गवर्नमेंट ने २२ करोड़ रुपये लोन दिया हुआ है और १९६६ तक उस से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि जब इस सरकार से इंडस्ट्रीज को रुपया दिया जाता है जैसा कि २२ करोड़ रुपये एअर इंडिया को दिया गया है । **विथाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट अपटू १९६६** तो उस पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल जरूर होना चाहिये । इतना होने पर भी वह लास में जा रहा है । इस का कारण यह है कि वहां का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है । कंज्यूमस को वह बहुत मंहगा पड़ता है और वह इसीलिय कि **देअर इज नो अदर कम्पीटीशन** । कंज्यूमर का इंटरेस्ट इस तरह से सफर करता है क्योंकि उस के इंटरेस्त को देखने वाला कोई है ही नहीं । कंज्यूमर का इंटरेस्ट तो पार्लियामेंट ही देख सकती है । मैंने देखा है कि कि प्रागा टूल्स में सभी शअर्स आंध्र प्रदेश के हैं । **देअर आर ओनली सेवन आन दि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स** । उस में आंध्र प्रदेश और अपने प्रजिडेंट के शअर्स हैं और थोड़े से दूसरे शेअर्श होल्डर्स हैं । सात में से चार प्रजिडेंट के नियुक्त किय हुऐ हैं, दो आंध्र प्रदेश प्रदेश के हैं और एक पब्लिक का है । सात बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं । **और वे आर नामिनेटेड बाई दि प्रेजिडेंट । प्रेजिडेंट मीन्स मिनिस्टर** । पूरी ७३ इंडस्ट्रीज हैं उन में से जो जिस मिनिस्टर के अन्तर्गत है वह उन की किंगडम समझी जाती है । मैंने प्रागा टूल्स देखा, पिंपरी देखा, एअर इंडिया देखा, मजगांव डाक्स देखा । सभी में किस प्रकार से अप्वाइंटमेंट्स होते हैं यह मैं हाउस के सामने नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वहां सिफारिश बहुत चलती है । वहां चार चार करोड़, दस दस करोड़ ग्यारह ग्यारह

†मूल अंग्रेजी में ।

करोड़ रुपया कंसोलिडेटड फंड में से लगाया जाता है फिर भी वह लास में रहते हैं। कारण यह है कि वहां का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट इसलिये ठीक नहीं है कि उन पर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है। **चेअरमैन इज ओनली दि मिनिस्टर टू कंट्रोल। मिनिस्टर इज ए राजा। मैनेजिंग डाइरेक्टर ऐंड दि चेअरमैन आर दि किंग्स।** उन के बादशाह मिनिस्टर। इस तरह से यह कारखाने चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब इस तरह से कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा लिया जाता है तो पार्लियामेंटरी कंट्रोल होना चाहिये। जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने जा कर सारे अप्वाइंटमेंट्स होते हैं उसी तरह से एक कमेटी जिसे चाहे अप्वाइंट करे। कैबिनेट की एक अप्वाइंट कमेटी होती है, वह बड़े बड़े मैनेजिंग डाइरेक्टर्स नियुक्त करती है। तीन तीन, चार चार हजार रुपये पर, लेकिन उन पर पार्लियामेंटरी कण्ट्रोल न होने से उनके अकाउण्ट नहीं देखे जा सकते हैं। जो अकाउण्ट छपे होते हैं वही मालूम किये जा सकते हैं। एक जगह मैं गया था, इस लिये मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि पार्लियामेंटरी बाडी का कण्ट्रोल सभी जगह होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का महाप्रबन्धक नवम्बर, १९५७ को नियुक्त किया था और एक कमेटी नियुक्त की गई थी यह देखने के लिये कि इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन लास में क्यों जाता है। उसमें जो कारण मालूम हुए वह इस प्रकार थे : सारे सगठन में चेतना का अभाव, अपर्याप्त योजना, बजट का अप्रभावी नियन्त्रण इत्यादि इसी प्रकार से जब भी कहीं पर कोई लास होने लगे तो वहां भी पार्लियामेंटरी बाडी को देखना चाहिये कि क्या कारण हैं लास के। मैं समझता हूं कि सभी जगहों पर यह बातें मिलेंगी। मैंने देखा है कि जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं उनमें प्राइसिंग पालिसी के बारे में पार्टिकुलर स्टैण्डर्ड नहीं रहता है। वहां मिनिस्टर साहब ने जो कहा, जेनरल मैनेजर ने जो कहा, चेअरमैन जो रहता है उसने जो कहा वही प्राइसिंग पालिसी बन जाती है। उसके लिये कोई यार्ड स्टिक नहीं है, कोई कण्ट्रोल नहीं है। मिनिस्टर को तो कोई चीज देखने की फुरसत नहीं है क्योंकि वह तो कामराज योजना के मारे घबरा गए हैं। मिनिस्टर तो पालिटिक्स पर ध्यान देते हैं। जनरल मैनेजर जो नियुक्त होता है वह चाहे जैसा काम करता है। इसलिए एक पार्लियामेंटरी बाडी होना चाहिए जो कि उसके ऊपर कण्ट्रोल रख सके।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चूंकि आपने पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटीज का जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं किया है इसलिए दोनों का जुरिस्डिक्शन ओवर लैप होने का खतरा है। इसको फिक्स किया जाना चाहिए।

पब्लिक एकाउण्ट कमेटी जो जांच करती है वह तो पोस्ट मारटम जांच की तरह होती है। साल दो साल बाद वह पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ और अगर उत्तर सन्तोषजनक नहीं होता तो वह स्ट्रिक्चर पास करती है। लेकिन जब एक काम हो चुका तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पर कण्ट्रोल के लिए एक पार्लियामेंटरी बाडी होनी चाहिए।

कहा गया है कि यह जो बाडी बनेगी यह इन उद्योगों के डे टु डे कारोबार पर ध्यान नहीं दे सकती। यह ठीक है कि वह एक एक बोल्ट और नट को नहीं देखेगी, लेकिन यह तो देखेगी कि कैसा काम हो रहा है, किस प्रकार खर्चा हो रहा है, कितना वैस्ट हो रहा है और कितना स्टोर पड़ा है जो कि फालतू है। इसके लिए एक पार्लियामेंटरी बाडी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंटरी बाडी को यह देखना चाहिए कि यह उद्योग लास में क्यों जा रहा है जबकि यह मानापली है। सिंदरी में स्टाक पड़ा रहा और नुकसान होता रहा। बाद में उसका पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी को पता चला। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी उद्योग का चालू कारोबार नहीं देख सकती। दो साल बाद वह कहती है कि यह लास क्यों हुआ। उसका उत्तर मिलता है कि आयन्दा नहीं होगा और कुछ इसी प्रकार का उत्तर दे दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस नई बाडी को इतना अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह देख सके, दो, तीन या छः महीने

[श्री बड़े]

के बाद, कि उद्योग में क्यों नुकसान हो रहा है, इसका खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे इसका बजटिंग हो रहा है, आदि ।

मैंने भोपाल में देखा कि अगर किसी से मैनेजिंग डाइरेक्टर या जनरल मैनेजर नाराज हो जाए तो उसको नौकरी नहीं मिल सकती । जो हैवी इलैक्ट्रिकल्स में नौकर हैं उनको अन्य जगह नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि और जगह ऐसा काम नहीं है । इसलिए जो लोग मैनेजिंग डाइरेक्टर की चापलूसी करते हैं उनको नौकरी मिलती है । इसलिए लेबर की दृष्टि से, कंज्यूमर की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी इन उद्योगों पर कंसालिडेटेड फण्ड का रुपया लगा है, इन पर कण्ट्रोल के लिए एक पार्लियामेंटरी बाडी की आवश्यकता थी । इसके लिए हम सन् १९५३ से प्रस्ताव ला रहे हैं ।

एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । मैंने प्रागा टूल्स में पूछा तो पता चला कि चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर को प्रेसीडेंट नियुक्त करता है । सिंदरी में भी यही बतलाया गया । प्रेसीडेंट के नामिनेट करने का अर्थ यह है कि इस पर मिनिस्टर साहब का कण्ट्रोल है । इस प्रकार यह अन्धाधुन्ध कारखाना चल रहा है । जो इन उद्योगों में लास हो रहा है उसके बारे में पार्लियामेंट को पूरा कण्ट्रोल होना चाहिए । इसलिए यह जो बाडी आ रही है यह बहुत उत्तम है ।

इसके साथ ही मैं फिर कहना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के जुरिस्डिक्शन को ठीक तरह डिफाइन कर देना चाहिए ताकि इनके जुरिस्डिक्शन में ओवर लैपिंग न हो ।

इस प्रस्ताव पर जो संशोधन रखे गए हैं उन पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

†श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : मैं माननीय मन्त्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । इस समिति को प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति के बराबर होना चाहिये । समाजवाद को क्रियान्वित करने से सरकार के कामों में वृद्धि होगी ।

पहले सरकार के कार्य सीमित थे किन्तु अब काम इतना अधिक बढ़ गया है कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के लिए उनकी देखभाल करना असम्भव हो गया है ।

अतः सभा में सभी दलों ने इस समिति की आवश्यकता को स्वीकार किया है । माननीय मन्त्री ने इंग्लैण्ड की समिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इंग्लैण्ड और भारत की स्थिति में अन्तर है । यह अंतर अवश्य है और उसके कारण इस समिति को अधिक अधिकार और अधिक सम्मान देना चाहिये ।

इंग्लैण्ड की सरकार को गैर सरकारी उपक्रम में अधिक विश्वास है और वे सार्वजनिक समवायों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं है जबकि भारत की स्वीकृत नीति समाजवाद है अतः सरकार के कार्यों का सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विस्तार हो रहा है और उसका सभा के सदस्यों द्वारा अधिक प्रभावी नियन्त्रण करने की आवश्यकता है ।

देश में यह विवाद चल रहा है कि सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध गैर सरकारी उपक्रमों की तरह दक्षतापूर्ण नहीं है । इसी में समाजवाद की कसौटी है । इस सभा और सरकार को प्रमाणित करना है कि दक्षता, बचत, ईमानदारी, मुनाफे और समाज कल्याण की दृष्टि से सरकारी उपक्रम अधिक

†मूल अंग्रेजी में

सफल है। अतः समाजवाद को कार्यान्वित करने के लिए इस समिति का बहुत महत्व है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस समिति के अधिकारों पर प्रतिबन्ध न लगायें और इन परन्तुकों को को हटा दें।

इंग्लैण्ड में समिति के कामों पर प्रतिबन्ध लगाने में औचित्य हो सकता है क्योंकि वे समाजवाद के लिए कटिबद्ध नहीं हैं। किन्तु यहां इस समिति के कार्य को अधिकाधिक प्रभावी बनाना चाहिये।

दूसरा तर्क यह है कि यदि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति पर प्रतिबन्ध नहीं है तो इस समिति पर क्यों प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि समिति का क्षेत्राधिकार सीमित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि समिति के सदस्यों की संख्या इससे दो गुणा होनी चाहिए और इस समिति में सभा के सभी वर्गों और जो भी योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को समिति में लिया जाना चाहिए जो कि इस योग्य हों कि सरकारी उपक्रमों को सफलता की ओर ले जा सकें। यदि हम इस दृष्टिकोण से न चलें तो केवल विचारधारा के जोश से हम समाजवादी समाज की रचना नहीं कर सकेंगे। यदि सरकारी उपक्रमों को हम सफलतापूर्वक न चला सके तो सारा गुड़ गोबर हो जायेगा।

इस बारे में एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हम सब संसद् के सदस्य वास्तव में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं। अतः हर बात को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से ही देखी जानी चाहिए। हमें पूरे प्रयत्न से यह सिद्ध कर दिखाना होगा कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा जो भी वस्तुओं का निर्माण होगा वे उपभोक्ताओं के मुकाबले में सस्ते दामों में प्राप्त होगा। इसके लिए बिना दलगत भेद भावों के योग्य व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाया जाय और सारे मामले का अच्छी प्रकार से परीक्षण किया जाय।

अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया है, उस पर पूर्णरूपेण ध्यान दिया जाय।

†**श्री रंगा** (चित्तुर) : मैं इस समिति की स्थापना के पक्ष में हूं। मैं पूर्व वक्ता से पूर्णरूप से सहमत हूं कि समिति को पूरे अधिकार दिये जायं। मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावित समिति को सभी वे अधिकार दिये जाय जो लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को प्राप्त हैं। इस समिति को वह हर चीज देखने की पूर्ण सुविधा दी जाय जो कि वे देखना चाहे। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाय कि सरकारी उपक्रम अधिकतम कुशलता से कार्य करे। उनके उत्पाद बहुत ही सस्ते बाजार में आये। इस दिशा में गत १६ वर्षों से जो आशायें जनता को थी वे सब समाप्त हो गयी हैं। आशा यह थी कि सरकारी उपक्रम जनता की अधिक अच्छी सेवा करेंगे। और इससे सार्वजनिक हितों की भी रक्षा होगी परन्तु यह एक ठोस तथ्य है कि हमारे देश में सरकारी उपक्रम सफल नहीं हुए हैं। हमने कुछ अंग्रेज समाज शास्त्रियों का अनुसरण किया। परन्तु ब्रिटेन का श्रमिक दल भी अन्ततोगत्वा इसी परिणाम पर पहुंचा कि राष्ट्रीयकरण सभी रोगों का उपचार नहीं है। और हमने इस प्रकार की नीति को अपनाने में भूल की है अब उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सरकारी उपक्रमों के बारे में नयी नीति का निर्माण किया है।

भारत में इस दिशा का प्रयोग नितान्त असफल रहा है। और देश के कई भागों में बहुत देर से यह आवाज उठ रही है कि इस बारे में बड़ी गम्भीरता से छानबीन की जाय। अतः जब अब इस उद्देश्य

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री रंगा]

के लिए समिति की नियुक्ति की जा रही है हमें अर्थात् इस संसद को सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह सब परन्तुक हटा दे। समिति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाय ताकि सभी वर्गों के व्यक्तियों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अन्य सदन को भी इस समिति का पर्याप्त प्रतिनिधिव प्राप्त होना चाहिए। समिति का कार्यकाल ५ वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष होना चाहिए। इसमें सदस्यों को कार्य मुक्त होने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धान्त अच्छा नहीं है।

हमने जो भी प्रयोग किये हैं अथवा जो भी भूलें की हैं उस दृष्टि से सारे मामले का परीक्षण होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में यह बात देखना बड़ा जरूरी है कि अधिकारों के प्रस्तावित प्रायावर्तन से देश को इससे अधिक हानि न हो जितनी कि अब हो रही है। हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि जो कुछ भी सरकारी उपक्रम बनाते हैं, क्या कोटि और कीमत में मंडी में उसका मुकाबला किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो हमें तुरन्त प्रबन्ध और व्यवस्था में तबदीली ला देनी चाहिए। समाजवादी भाई कहते हैं कि गैर सरकारी उपक्रमों का उद्देश्य तो हमेशा नफा कमाना रहता है। परन्तु अब तो वे भी मानते हैं कि सरकारी उपक्रमों में तैयार हुआ माल न कोटि में ही अच्छा है और न उसकी कीमतें ही कम हैं। ऐसे कई उपक्रम है, जहां कोई नफा नहीं हुआ। कुछ में एक दो प्रतिशत नफा हुआ है। घाटे में तो बहुत चले हैं। जिन सरकारी उपक्रमों ने बहुत ही अधिक नफा कमाया है वे एकाधिकार वाले उपक्रम हैं, जैसा कि राज्य व्यापार निगम है। हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना होगा कि सरकारी उपक्रम अपेक्षित स्तर पर आये। उनका नियन्त्रण तथा प्रबन्ध योग्य हाथों में जाय और इनके द्वारा देश की समुचित सेवा हो सके।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : इस बारे में सरकार ने बहुत ही विलम्ब किया है इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनेकों दोष हैं। और यह खेद की बात है कि वे अपने औचित्य को प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। यह भी ठीक नहीं है कि इस दिशा में कुछ अधिक समय नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाने में झिझकती रही है। यह बात इसी बात से प्रकट होती है कि सरकार इन उपक्रमों को प्रस्तावित समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सरकारी उपक्रम ही समाजवादी समाज की रचना का मुख्य साधन है। अतः इस समिति को वही अधिकार होने चाहिए जो कि प्राक्कलन समिति को प्राप्त हैं, लोक लेखा समिति को प्राप्त हैं। इस समिति के अधिकार कम कर देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई।

मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि सरकारी उपक्रमों के प्रशासन तथा संगठन के बारे में व्यापक आधार पर छानबीन करने का अधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। समिति को वे सभी कार्य करने के अधिकार होने चाहिए जिससे इन उपक्रमों की जड़ें मजबूत हो जाएं। इस समिति पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा कर इसके कार्य संचालन को एक मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रस्ताव में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि समिति को ऐसे अधिकार भी प्राप्त हों कि वह सरकारी उपक्रमों के बारे में वैकल्पिक सुझाव भी प्रस्तुत कर सके। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रस्ताव वापिस न लिया जाय जैसे कि पहिले कर लिया गया था। इस प्रस्ताव को पारित कर सरकारी उपक्रमों को संसद के सामने पूरे तौर पर उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। मैं सरकारी उपक्रमों पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : पदासीन दल में आन्तरिक फूट है, अतः सरकारी उपक्रमों के लिए समिति बनाने का निश्चय करने में काफी देर हो गयी। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि समिति के अधिकारों में काफी काट छांट की गयी है। सरकार को इस समिति को वैसे ही अधिकार देने चाहिए जैसे अधिकार की लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को प्राप्त हैं। इस समिति द्वारा कार्य भी उसी प्रकार के किये जाने चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हो।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय। इस समिति द्वारा संसद् की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, अतः इसमें प्रतिनिधित्व मुनासिब होना चाहिए। इसके सदस्यों की संख्या प्राक्कलन समिति के सदस्यों के बराबर तो होनी ही चाहिए। मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सभा उस समिति में अपने सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो गयी है? इस मामले को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या राज्य सभा के इन्कार कर देने की अवस्था में प्रस्ताव वापिस ले लिया जायेगा।

मेरा निवेदन है कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए और सदस्यों को रिटायर नहीं किया जाना चाहिए। मेरा आग्रह यह है कि प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। यह बात तो अब स्पष्ट ही है कि सरकारी उपक्रमों में हमारी अर्थ व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहेगा। अतः सरकार को इस बात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि इस समिति को इस प्रकार के सभी ऐसे अधिकार दे दिए जाएं जो कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाने के लिए आवश्यक हों। सरकारी उपक्रमों के आन्तरिक रूप से स्वशासित होने की बात कही तो जाती है परन्तु यह बात नाम मात्र को ही है। और नौकरशाही की सभी परम्पराएं चलती रहती हैं। संसद् का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकारी क्षेत्र में चल रहे सभी उपक्रमों से नौकरशाही की भावना का दमन करें। यह इस लिए आवश्यक है कि नौकरशाही की भावना का दमन किये बिना मामला सुधर नहीं सकता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समिति को वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देने का अधिकार भी देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदस्यों को रिटायर करने वाली बात भी उचित नहीं। इससे विरोधी दल घाटे में रहेंगे।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद): यद्यपि काफी सीमाओं को लगा दिया गया है फिर भी मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। सरकारी क्षेत्र के कार्य ने निरन्तर बढ़ना है, अतः यह ठीक ही है कि इस पर कुछ नियन्त्रण रखा जाय। सरकारी क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं, परन्तु हमें इसकी अच्छी बातों को भी भूलना नहीं चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ने अपना महत्व स्थापित कर दिया है। सरकारी क्षेत्र के बढ़ते हुए उपक्रमों की व्यापक छानबीन के लिए इस प्रकार की समिति बड़ी आवश्यक है ताकि संसद का कुछ नियन्त्रण रह सके।

मैं समिति के गठन का स्वागत करता हूं। मैंने कई संशोधन दिये हैं। एक संशोधन द्वारा समिति में इस सभा के सदस्यों की संख्या १० से १५ कर दी जायेगी। मैंने राज्य सभा के सदस्यों की संख्या ६ तक बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। यह प्रथा अपनाई जानी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श० ना० चतुर्वेदी]

चाहिए कि समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी दल के सदस्य द्वारा की जायेगी जिसका कि सदस्य सेवा-निवृत्त हुआ हो ।

इस सभा के अधिकांश सदस्यों को ऐसी समितियों के कार्यकरण का अनुभव होना आवश्यक है ताकि यह सदन सरकारी उपक्रमों के कार्यों पर और अच्छी निगरानी रख सके ।

मैंने पैरा (२) में निम्न शब्द सम्मिलित करने हेतु एक संशोधन का सुझाव दिया है :

"यह जांच करने के लिये कि क्या संगठनात्मक ढांचा तथा प्रक्रियायें अधिकतम कार्य-कुशलता तथा मितव्ययिता हेतु सहायक सिद्ध होंगी और उनमें सुधार के लिये सिफारिशें करना ।"

जैसा मैंने पहले कहा है इन उपक्रमों के कार्यकरण में बहुत त्रुटियां हैं । अतः इन्हें दूर करने के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : श्री रंगा जो चाहें कहें परन्तु सरकारी क्षेत्र का विस्तार तो होना ही है । सरकारी क्षेत्र ने अब जड़ें पकड़ ली हैं तथा शनैः शनैः इसमें सुधार होते जा रहे हैं । गत सत्र में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने इसमें सुधार हेतु सरकार द्वारा जो उपाय किये गये हैं उनके बारे में बताया । और इस बारे में कुछ रिपोर्टें भी आई हैं । इन सब से यह स्पष्ट है कि सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में काफी सुधार हुआ है ।

दूसरे देशों में सरकारी उपक्रमों से बहुत बड़ी मात्रा में आय होती है । हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण हैं । मेरा विश्वास है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों से स्थिति में काफी सुधार होगा और यह सदन इन उपक्रमों पर अच्छा नियन्त्रण रख सकेगा ।

१९५० में सरकारी क्षेत्र में विनियोजित राशि २९ करोड़ रुपये थी जो १९५५ में ८१ करोड़ तथा १९६०–६१ में ९५६ करोड़ हो गई । १९६१–६२ के अन्त में यह राशि ११३३ करोड़ तक पहुंच गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुमित विनियोजन को लगा कर यह राशि तीसरी योजना की कालावधि के अन्त तक २५०० करोड़ हो जायेगी । इसी तरह इस क्षेत्र में कारखानों की संख्या १९४७ में ६, १९५१ में १४ और १९५५ में ३१ तक पहुंच गई । इस समय इन की संख्या ६५ है ।

सारे सदन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है । इस समिति की शक्तियों को सीमित नहीं किया जाना चाहिये । सरकारी उपक्रमों का अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयास रहता है । गत सत्र में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने कहा था कि इन उपक्रमों के अधिकारियों के कर्त्तव्य स्पष्ट होने चाहियें और सर्वाधिक सत्ता महाप्रबन्धक के हाथों में होनी चाहिये ताकि काम सुचारू रूप से चलाया जा सके । मैं मंत्री जी से सहमत हूं कि महा-प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होने चाहिये और वित्तीय सलाहकारों तथा लेखा अधिकारियों को इन उपक्रमों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये । मैं उन में से अधिकांश सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस समिति को सब विभागों से साक्षियों

†मूल अंग्रेजी में

को बुलाये तथा उनसे पूछताछ करने की पूरी शक्तियां होनी चाहियें । इस समिति को सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के हर पहलू में जाने की शक्ति दी जानी चाहिये ।

इस प्रस्ताव से, जिस रूप में कि यह हमारे सामने प्रस्तुत है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हम लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को शक्तियां वापिस ले रहे हैं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने आज सुबह बताया, ऐसा ही लगता है। परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि सदन को इस संकल्प को स्वीकार करने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिये ताकि बाद में कोई गलतफहमी पैदा न हो ।

समिति में लोक-सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये और उसी अनुपात से राज्य सभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये । समिति की कालावधि पांच वर्ष होनी चाहिये और इसके सदस्यों को जब तक कि वे संसद् के सदस्य बने रहते हैं पांच वर्ष की अवधि से पहले नहीं हटाया जाना चाहिये । इस आशय का संशोधन लाया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि इस समिति को कम से कम लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के समान शक्तियां दी जायेंगी । चूंकि इस समिति का उत्तरदायित्व बढ़ गया है और सरकारी उपक्रमों पर नियन्त्रण रखने के लिये और कोई एजेन्सी नहीं है अतः इसको पूरी शक्तियां दी जायें तथा उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाये ।

श्री काशीराम गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है वह बहुत इन्तिजार के बाद और उनकी ओर से बहुत ही सोच विचार के बाद आया है। किन्तु इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं—विशेषकर कांग्रेस दल के सदस्यों ने—उनसे यह साफ प्रकट होता है कि सरकार को जितने गहरे विचार के साथ इस बात को लाना चाहिये था उस प्रकार से वह नहीं ला सकी और अब भी इसमें बहुत ही बड़े हेर फेर की आवश्यकता है। यह बात यह जाहिर करती है कि हमारी सरकार जो काम भी करती है उसमें कोई भीतरी दृष्टिकोण दूसरा ही होता है। इसमें जो इतनी देरी हुई उसका कारण, जैसा कि मुझ से पहले श्री द्विवेदी जी ने बतलाया, कांग्रेस के भीतर का संघर्ष है, अन्यथा इतनी देरी की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

मंत्री महोदय ने बार बार यह कहा है कि अब क्योंकि सरकारी कारखानों का काम बहुत बढ़ रहा है इसलिये इसकी आवश्यकता पड़ी कि एक कमेटी बनायी जाये। किन्तु कृष्णा मेनन कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले की है, फिर इसमें इतनी देरी लगने का क्या कारण था। और अगर केवल यही करना था कि इस कमेटी को एस्टीमेट्स कमेटी और पबलिक एकाउंट्स कमेटियों का काम सौंपना था तो यह तो इस तरह बहुत अच्छी तरह हो सकता था कि इस काम के लिये अलग से एक एस्टीमेट्स कमेटी और एक पबलिक एकाउंट्स कमेटी बना देते। तो फिर इतना भारी वाद-विवाद भी न उठता और इतनी देरी भी न लगती ।

अब भी रोज के कार्य में इसको किस प्रकार की कठिनाइयां आवेंगी उनमें जाने से पहले मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि उन्होंने जो पांच वर्ष की अवधि रखी है वह तो किसी भी हिसाब से पूरी नहीं होती। आज इस सदन की मियाद लगभग साढ़े तीन साल है और इसलिये तीन साल से अधिक समय रखना किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकता ।

[श्री काशीराम गुप्त]

इसके अतिरिक्त इन्होंने जो यह आधार माना है कि इसमें से कुछ लोग प्रति वर्ष वापस जायेंगे यह बिल्कुल निरर्थक है, गलत है और इसका नतीजा कभी लाभदायक नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही नतीजा हो सकता है कि अन्त में कुछ समय के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग ही इसमें रह जायें। यदि वास्तव में सरकार ईमानदारी से इस काम को करना चाहती है तो उनको चाहिये कि वे इस संशोधन को मान लेवें कि जो कि सदस्यों ने रखा है कि यह कमेटी तीन वर्ष की हो और जिस प्रकार से कि पबलिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटीज के चुनाव होते हैं उसी प्रकार से इसके चुनाव हुआ करें।

यह दलील दी जाती है कि इसमें लोगों को अनुभव होना चाहिये। जब उनको आप काम ही सीमित रूप में देते हैं तो उनके अनुभव का प्रश्न कहां पैदा होता है। इसलिये अगर एस्टीमेट्स कमेटी का मेम्बर एक वर्ष के बाद बदला जा सकता है, यदि पबलिक एकाउंट्स कमेटी का मेम्बर एक वर्ष के बाद बदला जा सकता है तो फिर इस के मेम्बर क्यों नहीं बदले जा सकेंगे यह बात समझ में नहीं आती है।

इसमें लिखा है पांच साल। लेकिन पांच साल तो इस सदन की मियाद भी नहीं रही है। अभी मंत्री महोदय जो कुछ रखने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि जिस मंतव्य से हम इसको कर रहे हैं वह मंतव्य सफल नहीं होगा और स्वयं में नष्ट हो जायेगा। मंतव्य यह है कि इन कारखानों में अच्छे ढंग से काम चले, उनमें अपव्यय न हो, उनमें धींगा धांगी न हो, उनमें जो मजदूर हैं उनके साथ अत्याचार न हो, इनमें जो कुछ पया लगा है उसका उचित फल मिले और लोगों को सही चीजें मिलें। यह सब मंतव्य इसका है। जैसा कि ढांचा बनाया गया है उसमें क्या इस कमेटी से यह मंतव्य पूरा हो सकेगा? इस ढांचे में दस आदमी लोक सभा के होंगे और पांच आदमी राज्य सभा के होंगे। राज्य सभा उनको चुन कर भेजेगी या नामिनेट करके यह इसमें उल्लेख नहीं है। राज्य सभा के मेम्बर एसोशिएट मेम्बर कहलायेंगे। एसोशिएट मेम्बरों और बाकी मेम्बरों में क्या फर्क होगा यह इसमें नहीं बतलाया गया है। नतीजा यह होगा कि जब काम करने बैठेंगे तो लोग इन बातों में फंस जायेंगे और जो असली काम है वह रह जायगा। जो ढांचा बनाया जा रहा है वह पहले से ही गलत है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार का शासनतंत्र यह चाहता है कि पार्लियामेंट का यह प्रयास असफल हो जाय, और यदि मंत्री महोदय इस असफलता के लिय जिम्मेदार कहलायें तो अचरज की बात न होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो ऐसी कमेटियां हैं उनमें एक प्रभावशाली आदमी आडिटर जनरल की ओर से होता है। अगर इस कमेटी के साथ यहां भी एक ऐसा आदमी न जुड़ा रहेगा तो बहुत सी पेचीदगियां आयेंगी और उनको हल करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी। इसलिये जब हम इंगलैंड का हवाला देते हैं तो वहां के काम काज की प्रणाली को देखना चाहिये और उसमें जो अच्छी बातें हों उनको हमें अपनाना चाहिये। पहले यह देखा जाय कि क्या केवल यह कमेटी बन जाने से और इस प्रकार का ढांचा बन जाने से हम कामयाब हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस प्रकार कामयाब नहीं हो सकते।

मेरे मित्र श्री हनुमन्तैया ने कहा कि हम को यह देखना चाहिये कि वहां पर कंज्यूमर्स की दृष्टि से चीजें और सामान बने। प्रश्न यह है कि अब तक जो सरकार के कुछ कारखाने हैं उनमें बहुत

सा सामान ऐसा बनता है जिन की कि स्वयं सरकार ही कंज्यूमर है। सरकार ही स्वयं उनकी खपत करती है और सरकार ही उनको पैदा करने वाली है। इसलिय केवल एक दृष्टिकोण हमारा नहीं होना चाहिये अपितु सर्वांगीण दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुये हमें आगे बढ़ना होगा। उत्पादन और खपत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके अनुरूप हमको चलना होगा। अब मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके प्रबन्ध के ऊपर उचित व्यय हो और वह उचित मात्रा से अधिक न हो। उसकी जो किस्म बने वह बहुत सही बने। उनमें जो काम करने वाले हैं उनको उचित मजदूरी मिले। उसका कुल मिलाकर जो खर्चा बैठे और जो उत्पादन व्यय बैठे वह ठीक हो। ऐस्टिमेट में जो वेस्ट होता है और फालतू चीजें जो खराब होती हैं वह न हों। उसमें काम करने वाले लोग ईमानदार और कुशल हों और वे देश के प्रति वफादार हों। अब इन सब बातों को देखने के लिय १५ आदमियों की इस कमेटी के पास क्या सक्शन होती? जिस प्रकार से उनके हाथ पैर बध दिये गये हैं तो इस तरह से हाथ पैर बन्धे हुये वह कमेटी क्या काम कर सकेगी? पबलिक अंडरटेकिंग्स के वास्ते कमेटी वाले मोशन में कमेटी के वास्ते यह लिखा हुआ है :

"(१) सरकारी उपक्रमों के कारोबार संबंधी अथवा वाणिज्यिक कृत्यों सर्वथा अलग मुख्य सरकारी नीति के मामले;"

यह बातें इस कमेटी के अधिकार में नहीं होंगीं। मेजर गवर्नमेंट पालिसी के आधार पर कमेटी बनाते हैं लेकिन मेजर गवर्नमेंट पालिसी का प्रश्न ही यहां जुड़ता नहीं है।

फिर लिखते हैं :—

"(२) दैनिक प्रशासन के मामले ;"

मैटर्स आफ डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, किसी एक कारखाने में इस बारे में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता लेकिन जब एस्टिमेट्स कमेटी जाकर उन कारखानों की बातों को देखती थी कि उनमें किस प्रकार का जोड़ तोड़ बिठा रहे हैं और कैसे उनका इंतजाम होता है, उनके अन्दर कोई कोआरडिनेशन, सामंजस्य है या नहीं, जब यह शब्द जो कि मैंने मोशन में से पढ़ कर बतलाये एस्टिमेट्स कमेटी के लिय नहीं हैं तो यहां इस कमेठी के लिये इनको क्यों जोड़ा जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता है। जब एस्टिमेट्स कमेटी डे टु डे कामों में नहीं जाती है तो यह विशेष व्याख्या क्यों की जा रही है और इस प्रकार की विशेष व्याख्या करने का क्या तात्पर्य है? क्या यह व्याख्या सिर्फ इसलिये की जा रही है कि सरकार के दिमाग में यह बात है कि ऐसी संभावनायें होंगीं हालांकि वास्तव में और व्यवहारिक रूप में वह संभावनायें नहीं होंगीं।

तीसरी बात उसमें यह लिखी हुई है :—

"(३) ऐसे मामले जिन पर विचार करने के लिये किसी विशेष परिनियम द्वारा व्यवस्था की जाती है जिसके अन्तर्गत कि वह सरकारी उपक्रम स्थापित किया जाता है।"

यह एक रुकावट इसमें और डाल दी गई है। यह जो इस प्रकार की रुकावट डाली गई है यह साफ जाहिर करता है कि सरकार स्वयं स्पष्ट नहीं है। सरकार को डर लग रहा है कि पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी वह उन सब कामों में शायद हमें उलटा घसीट कर वापिस ले जाना चाहती है क्या वह उसकी प्रगति में योग न देगी। सरकार स्वयं इस बारे में संशय में है। अब सरकार का संशय में रहना यह कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है।

[श्री काशीराम गुप्त]

राज्य सभा के जो पांच सदस्य आयेंगे और हमारी लोक सभा के जो दस सदस्य होंगे, तो अब तीन साल के बाद लोक सभा तो सारी की सारी बदल जाती है लेकिन राज्य सभा सारी की सारी नहीं बदल जाती तो राज्य सभा का जो ढांचा है उस ढांचे से जो पांच सदस्य आयेंगे, हो सकता है कि नये चुनाव के बाद या नये चुनाव होने के पहले या चुनाव समाप्त होकर जो दूसरे लोग चुन कर आयें उस दरमियान में ही पांच रह जायें और उन पांचों के आधार पर यह अंडरटेकिंग्स की कमेटी चलती रहे। इसलिये इन दोनों का मेल बैठता नहीं है। अच्छा यह होता कि एस्टिमेट्स कमेटी अलहदा बना देते और पबलिक एकाउंट्स कमेटी अलग बना देते या अन्यथा यह स्पष्ट होना चाहिये कि राज्य सभा के जो मैम्बर्स आयेंगे वह और हम मिल कर जैसे पबलिक एकाउंट्स कमेटी का चुनाव है उसी प्रकार से एक नियत समय के लिये यहां भी चुना होगा और उस नियत समय के बाद सारी की सारी वह कमेटी बदल जायेगी। इस प्रकार का जो एक तरीका रक्खा है यह उन लोगों के लिये होता है जहां पर कोई बहुत थोड़े से नियम बने हुये हों, जहां पर एक निश्चित तरीका बना हुआ हो और जो लोग अनुभव के आधार पर वहां बैठे हैं उनके अनुभव से फायदा होता रहे। लेकिन जो यह सदन है उसमें इस प्रकार का काम वह सफलता नहीं ला सकता है क्योंकि जो लोग भी आयेंगे, किसी भी पार्टी के हों, वह नये आ सकते हैं, उनका अनुभव कुछ और प्रकार का हो सकता है, इसलिये यह जरूरी नहीं है कि उनका पुराना अनुभव उस वक्त के मौके के मुताबिक मौजूं बैठे। बहुत सी बातें इसमें ऐसी आयेंगी जिनसे नये आने वाले लोग ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे। इसलिये जिस प्रकार से हमारा ढांचा दोनों सदनों का चल रहा है, इस प्रकार की चुनाव प्रणाली ही उसमें उपयुक्त होगी।

अब प्रश्न यह रह गया जैसाकि बतलाया गया ७३ अंडरटेकिंग्स चल रही हैं। इन के दो, तीन हिस्से हैं। पार्ट वन में कारपोरेशन जो सरकार ने बनाई है, दामोदर वैली कारपोरेशन इंडस्ट्रियल फाइनैंस कारपोरेशन और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन आदि, इनका तरीका और तौर दूसरा है और कम्पनीज एक्ट के तहत जो कम्पनीज बनाई हैं उनका तरीका दूसरा है। तीसरी चीज जो पार्ट थर्ड में रक्खी है, इन तीनों में भी कम्पनीज एक्ट के तहत जो कम्पनी बनी हैं वह उसमें शामिल नहीं की जायेंगी जिसमें कि सरकार का ५१ प्रतिशत हिस्सा नहीं होगा। अर्थात् ५१ प्रतिशत हिस्सा जिन कम्पनियों में सरकार का नहीं होगा वह संभवतः इसमें शामिल नहीं होंगीं। इसलिये जब तक एक निश्चित नीति की घोषणा न हो जाय, सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा न हो जाय, इस प्रस्ताव में तो वह बिलकुल निहित नहीं है, तब तक यह मामला आगे चल कर खटाई में पड़ने वाला है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो कुछ विचार हम इस पर माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं वह बहुत ठोस हैं और जो कुछ भी संशोधन उन्होंने पेश किये हैं वह भी बहुत ठोस हैं। मैं समझता हूं कि उसमें यह नहीं देखा जायेगा कि सरकार ने एक पक्ष उपस्थित कर दिया इसलिए सरकार को अपने उस पक्ष को ही चलाने की कोशिश करनी है और उस के लिए व्हिप जारी होना चाहिए। जब इतने स्पष्ट तौर से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, ख़ास कर कांग्रेस दल के बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को व्यवहारिकता

के आधार पर इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने चाहिएं। यदि वह परिवर्तन नहीं किये गये तो यह बनी हुई कमेटी और भी ज्यादा ख़तरनाक होगी बनिस्बत उस स्थिति के जो तीन वर्ष में अब तक नहीं बन पाई है। कहा यह जाता है कि जो काम शुरू किया जाय भले ही वह देर से शुरू किया जाय, लेकिन वह किया अच्छे ढंग से जाय जिससे कि उसका नतीजा अच्छा निकले। यह जिस प्रकार से शुरू किया जा रहा है वह अच्छा ढंग नहीं है। वह ग़लत ढंग है और ज़ाहिर है कि उसका नतीजा सही नहीं हो सकता है, यह मेरी एक निश्चित धारणा है।

अन्त में मुझे एक बात और कह कर अपने भाषण को समाप्त कर देना है। हम को जिस प्रकार के नतीजे इस से लाने हैं, उन अंडरटेकिंग्स के बारे में कुछ लोग यह कहते हैं कि प्राइवेट अंडरटेकिंग्स उनके मुकाबले में होनी चाहिएं। मैं नहीं समझ पाया कि जब हमारी सरकार की नीति निश्चित है कि हमारा प्राइवेट सैक्टर अलग है और पब्लिक सैक्टर में विशेष काम के लिए कारखाने हैं तो बार बार उस को छोड़ कर बताने की आवश्यकता क्या पड़ती है। जो प्राइवेट सैक्टर वाले हैं वे यह कहें कि हम आपको बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं और हम प्राइवेट सैक्टर वालों को ही इस प्रकार की कम्पनियां दी जांय, इस प्रकार से उनका कहना मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक चाल है और राजनीतिक चाल होने के अलावा एक दलीय चाल भी है। राजनीतिक और दलीय चाल होने के अलावा और कुछ नहीं है। हर एक की अपनी अपनी सीमाएं हैं। जो काम सरकार का है उसे सरकार कर सकती है। सरकार की सीमाएं अलग हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाऊं कि जितने भी हमारे स्टील के कारखाने हैं वह आज प्राइवेट सैक्टर वाले चलाने में असमर्थ हैं क्योंकि उसमें बहुत देर तक मुनाफा नहीं होता है। एक लम्बे अर्से तक। यह भी कहना कि मुनाफा नहीं हो रहा है या पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज़ में मुनाफा नहीं हो सकता है यह सही बात नहीं है। किन्हीं कालों में जल्दी मुनाफा होना चाहिए, वहां मुनाफा अवश्य है। लेकिन किन्हीं कामों में मुनाफ़ा देर से होगा, मुनाफा जल्दी नहीं होगा या मुनाफा नहीं होगा क्योंकि उनकी अपनी एक अलग ही परिस्थिति है। इसलिए कोई एक लाइन खींच कर हम फैसला नहीं कर सकते कि अमुक प्रगति ठीक हो रही है अथवा अमुक प्रगति ठीक नहीं हो रही है। हां वह जो फैसला हो सकता है उसके आधार को देखें, लेकिन किस आधार पर हम उसको तौलना चाहते हैं, तौलने का आधार निश्चित हो और उसे हमें निश्चित करना चाहिए उस मामले में खासतौर से, जिससे कि जो कुछ मार्गदर्शन इस कमेटी को मिले उस के आधार पर वह सही काम कर सके। धन्यवाद।

†**श्री कानूनगो :** श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय पर वाद-विवाद कब तक चलेगा?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदन को यह बता दूं कि कुछ सदस्यों को कल ५ बजे सायंकाल कुछ आवश्यक कार्य है और उन्हें यह पता नहीं था कि स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिये स्वीकृत कर लिया गया है। अतः इस विषय पर चर्चा २.३० बजे म०प० तक समाप्त होगी और उसके पश्चात हम स्थगन प्रस्ताव को लेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर): अध्यक्षम महोदय, मैं इस कमेटी के निर्माण का समर्थन करता हूं। आप को याद होगा कि इस सदन में बार-बार यह कोशिश की जाती रही है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

कि जितनी जल्दी हो सके, यह बहस इस सदन में आए और इस कमेटी का निर्माण हो। मुझ से पहले जिन माननीय सदस्यों ने इस डिस्कशन में भाग लिया है, उन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव रखे हैं और कुछ संशोधन भी पेश किये गए हैं।

मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त लोक सभा और राज्य सभा का झगड़ा न ही आए, तो शायद अच्छा हो, हालांकि मैं खुद भी यह महसूस करता हूं कि सिर्फ़ इस मामले में ही नहीं, बल्कि हर एक मामले में लोक सभा की आवाज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोक सभा लोगों के चुने हुए नमांयदों की संस्था है और इस लिए उस की आवाज ज्यादा होनी ही चाहिए। ख़ैर, हम चाहते हैं कि दोनों हाउसों की एक मिलाजुली कमेटी बने, जिस में कोई फर्क न हो, ताकि यह न कहा जा सके कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य एक साथ नहीं बैठ सकते। फिर भी, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, इस मामले पर दोबारा विचार किया जाये।

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ के बारे में, जिन को हम राष्ट्रीय उद्योग कहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वे प्लेसिज़ आफ़ पिल्ग्रिमेज हैं, तीर्थ स्थान हैं। लेकिन जब हम वहां पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जिन से दिल कुछ बैठ जाता है।

श्री बड़े : वहां पर बड़े बड़े पंडे रहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आशावादी हूं और आज भी मैं यह विश्वास करता हूं कि अगर हमारे देश ने सही तरीके से समाजवादी दृष्टिकोण ले कर आगे बढ़ना है, तो राष्ट्रीय उद्योगों का विस्तार और विकास अनिवार्य है। प्राइवेट सैक्टर को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देश फूले-फले और वह समाजवाद की तरफ जाये, तो इन उद्योगों का विकास करना लाजिमी है।

हमारे देश में तीन इस्पात कारखाने लगे, हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ का कारखाना बना, लेकिन यह देख कर मुझे ताज्जुब होता है कि उन को इस कमेटी के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। शिड्यूल के पार्ट १ में दामोदर वैली कार्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फ़िनांस कार्पोरेशन, इंडियन एयर-लाइन्स कार्पोरेशन, एयर इंडिया इन्टरनेशनल, लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन और आयल एंड नैटरुल गैस कमीशन को रखा गया है और पार्ट ३ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड, भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटिड, मैजागान डाक्स लिमिटिड वगैरह को रखा गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि इन कारखानों को इस में रखा गया, लेकिन आखिर विस्तृत रूप से सब राष्ट्रीय उद्योगों को क्यों नहीं रखा गया? भोपाल के हेवी इलैक्ट्रिकल्ज़ को इस में शामिल क्यों नहीं किया गया?

श्री कानूनगो : शिड्यूल २ पढ़ लीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी : कभी कभी यह खयाल होता है कि क्या वाकई इन बातों के बारे में अभी हमारे दिमाग साफ़ नहीं हुए। यदि नहीं हुए, तो हमें साफ़ कर लेने चाहिए। जब हम समाजवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर की अंडरटेकिंग्स में एफिशेन्सी आए और उन में करप्शन भी न हो, तो फिर यह ज़रूरी है कि हम इस बारे में अपने दिमागों को साफ़ करें। अक्सर कहा जाता है कि

पब्लिक सेक्टर इन-एफिशेन्ट है और प्राईवेट सैक्टर करप्ट है और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक यह बात सही भी है।

लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के बनने के बाद देश भर में यह फीलिंग फैलाने की कोशिश की गई, पालिसी होल्डर्ज़ के दिमाग में कुछ ऐसी बात जमाने की कोशिश की गई कि उन की पालिसीज़ का क्या होगा। जब लाइफ इन्शोरेंस को नैशनलाइज़ किया गया, तो उस की बाग-डोर उन लोगों के हाथ में दे दी गई, जो कि बुनियादि तौर से राष्ट्रीयकरण में यकीन नहीं करते थे। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हू, लेकिन कुछ लोगों ने स्टेट्समेन और दूसरे अखबारों में बाकायदा बयान निकला, आर्टिकल लिखे कि लाइफ इन्शोरेंस का नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों के हाथ में लाइफ़ इन्शोरेंस की नैशनलाइज्ड इंडस्ट्री सौंप दी गई, जिस का नतीजा यह हुआ कि बहुत से एसे कांड हुए, जिन का जिक्र इस सदन मैं भी आया और बहस भी हुई।

इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर प्राजेक्टस को चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए, जो समाजवादी ढांचे पर विश्वास करते हैं, जो समाजवादी तरीके से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ के माने यह नहीं होने चाहिए कि जिस को कहीं नौकरी न मिले, जो हर जगह से रिटायर हो गया हो, जो पैंशनर का जीवन व्यतीत करना चाहता हो, उस को इन अंडरटेकिंग्ज़ का चेयरमेन या जनरेल मनेजर या चीफ पर्सोनैल आफिसर बना दिया जाये। इस विषय में भोपाल की बात बार-बार आती है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर ज्यादा कहूं, लेकिन यह मिसाल हमारे सामने है कि वहां पर जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं, चाहे वह चेयरमन हो, रेजिडेंट डायरेक्टर हों, या जनेरल मेनेजर हों, वे सब रिटायर्ड आफिसर हैं। वे बेचारे पेंन्शनर हैं, जिन्दगी का बेहतरीन हिस्सा वे रेलवेज में गुज़ार चुके हैं उन्होंने वहां मेहनत की है और उनकी एफ़िशेन्सी में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम साठ साल की उम्र में उन से एफिशेन्सी की आशा करें, तो वह गलत है। वे लीगल एडवाइज़र या कनसल्टेंट्स की हैसियत से रहें, इस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वे जनेरेल मेनेजर या चेयरमेन आफ दि कार्पोरेशन या चीफ इंजीनियर या वर्क्स मैनेजर की हैसियत से एक्टिवली काम करें, यह बिल्कुल गलत बात होगी।

एस्टीमेट्स कमेटी के सभ सदस्यगण भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ के रखाने में गये थे। वहां पर अस्सी परसेंट केसिज़ में यह देखा गया कि मैटीरियल ऐक्सेलेबल नहीं है। यह बात आम कही जाती है कि हिन्दुस्तान का सब से पहल ट्रांस्फार्मर जो वहां बना, वास्तव में वह वहां बना ही नहीं, बल्कि वहां पर केवल एसेम्बल किया गया, हालांकि प्रधान मंत्री जी उस को हिन्दुस्तान के सब से पहले ट्रांस्फार्मर के रूप में इनागुरेट करा के आये। मैं समझता हूं कि इस से पब्लिक सैक्टर की बदनामी होगी और इन हालात में प्राइवेट सैक्टर को यह कहने का मौका मिल रहा है कि ग्राअथ आफ पब्लिक सैक्टर के माने होंगे मोर करप्शन, फेवरिटिज्म, नैपाटिज्म, इन-एफ़िशेन्सी। मैं राष्ट्रीय उद्योगों का समर्थक हूं और अगर मेर बस चले, तो मैं टिस्को, इस्को और टैलको को नैशनलाइज़ कर दूं, क्योंकि मैं समझत हूं कि जब तक स्टेट सैक्टर का विकास नहीं होगा, स्टेट मानोपली डेवेलप नहीं करेगी, तब तक देश में समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता है, देश का उत्थान और प्रगति नहीं हो सकती है।

जहां तक स्टील प्लांट्स का सम्बन्ध है, राउरकेला के ब रे में कहा जाता है कि वह सिक चाइल्ड है। अगर वह सिक चाइल्ड है, तो प्रश्न यह है कि उस को बीमारी क्या है। अगर तपेदिक या कैन्सर हो, तो उस बच्चे का बचना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मामूली बीमारी

[श्री स० मो० बनर्जी]

है, तो वह क्यूर हो सकती है । आखिर क्या वजह है कि भिलाई में प्राडक्शन टारगेट से भी ज्यादा हुई और इस के लिए मजदूरों ने इतनी कोशिश की । इस की तुलना में राउरकेला की यह हालत क्यों है ? वहां की इर्रेगुलैरिटीज के बारे में माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और माननीय सदस्य, श्री होमी दाजी, ने उन बातों को सम्राट के साथ इस सदन में रखा था । माननीय मंत्री जी को उन पर गम्भीरत से विचार करना चाहिए ।

अब मैं कारपोरेशंज के जो चेयरमैन नियुक्त होते हैं, जिस तरह से उनके सिलैक्शन होते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में न अक्लमन्द आदमियों की कमी है और न ही ईमानदार आदमियों की कमी है । जब आप की तरफ से इस कमी की बात की जाती है तो इस को सुन कर मैं दंग रह जाता हूं । एक एक आदमी को दो दो कारपोरेशंज दे दिये जाते हैं । मेरे एक मुअज्जिज दोस्त जो इस सदन के मैम्बर थे और जो अब नहीं हैं और जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनको दो कारपोरेशंज का चेयरमैन बना दिया गया, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का और इंडियन एयर लाइन्ज कारपोरेशन का भी । यानी यह समझ कर कि उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, उनको दोनों का चेयरमैन बना दिया गया । हवाई जहाज किस तरह से चलते हैं, यह भी वे जानते थे और जूता किस तरह से बनता है यह भी वह जानते थे क्योंकि कूपर एल्जब उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है । इस तरह की बात जब होती है तो उसको देख कर मैं हैरान रह जाता हूं । जब इस तरह के काम किये जाते हैं तो लोगों को अंगुश्तनुमाई करने का मौका मिल जाता है और वे वैसा करने लग जाते हैं । बार बार कहा जाता है कि जो डिफीटिड मैम्बर्ज हैं, जो डिफीटिड मिनिस्टर्ज हैं, जिनको उतार दिया गया है गद्दी से उनको रखने के लिए ये तमाम कारपोरेशन बनाये गये हैं । इस तरह के जो कार्य होते हैं, उनका मैं विरोध किये बगैर नहीं रह सकता हूं । अगर ऐसी अंगुश्तनुमाई होने लग जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में पब्लिक सैक्टर का पनपना दुश्वार हो जाएगा । आप जानते ही हैं कि हमारे देश में कुछ लोग एसे हैं जो हमें समाजवाद रास्ते से खींच कर सामन्तवादी युग में ले जाना चाहते हैं । अगर समाजवादी ढांचा रहना है, जिसकी चर्चा आवडी में हुई है और उसके बाद जिसकी चर्चा जयपुर में दुबारा हुई है और यह मालूम हो सका है कि समाजवाद की परिभाषा क्या है और उसकी कुछ झलक जयपुर में नजर आई है, तो इस तरह के आक्षेप करने का लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिये । यह कमेटी तो बने और इसके साथ साथ इस कमेटी को ज्यादा से ज्यादा अख्त्यारात भी हों, एस्टीमेट्स कमेटी या पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के अख्त्यारात को लेकर नहीं । यह कमेटी होली एण्ड सोली पब्लिक सैक्टर अण्डरटकिंग्ज की तरफ ध्यान दे । इसमें रेलवेज नहीं है, डिफेंस की बहुत सी चीजें नहीं हैं । पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी उसको देखेगी । लेकिन इस कमेटी को मैं चाहता हूं कि काफी अख्त्यारात मिलें जहां तक मैम्बरशिप का ताल्लुक है, यह न हो कि हर साल रोटेशन चला करे । यह गलत होगा । कम से कम दो तीन साल के लिए रहेंगे तो उनको तजुर्बा होगा, और तजुर्बा हासिल करने के बाद उस तजुर्बे का फालदा लोगों को होगा ।

लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूं कि एक जांच कमेटी का फौरन निर्माण किया जाए जो पब्लिक सैक्टर अंडरटकिंग्ज में कुरप्शन चल रही है, उसको देखे और उसको दूर करे । अगर इस करप्शन को बाद नहीं किया गया तो नतीजे अच्छे नहीं निकल सकते हैं । वह कमेटी देखे कि परचेज, सेल या दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से लोकल परचेज चल रहा है किस तरीके से मैटीरियल की कमी है, किस गलत तरीके से जिस मशीनरी की हमें १९६७ में जरूरत होगी, उसको १९६२ में ही मंगा कर रख लिया गया है । ये जो चीजें हैं, ये गलत हैं कमेटी को इसे देखना चाहिये ।

इंडस्ट्रियल रिलेशन्ज़ की बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। यह कहा गया है कि डे टू डे मैटर्ज़ में यह कमेटी जाएगी। अब आप इंडस्ट्रियल रिलेशन्ज़ को देखें। आप देखें कि भिलाई में या भोपाल में जो कारखाने हैं वे सैंट्रल गवर्नमैंट के अंडर में हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री के अंडर में हैं, मन्त्री महोदय के अण्डर में हैं। वहां पर अगर कोई बात होती है तो वह दिसाइडहोती है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन्ज़ एक्ट के तहत। इस चीज़ को देखकर मुझे ताज्जुब होता है। आखिर इसका कारण क्या है ? जिन लोगों के पीछे एक भी आदमी नहीं है, जिनकी यूनियन का कोई वजूद ही नहीं है, जिनको तलाश करने के लिए टार्च हाथ में लेकर जाना पड़ता है, उनको तो रिकगनिशन दे दिया जाता है और जो असल में यूनियन्ज़ होती हैं, उनको नहीं दिया जाता है। एस्टीमेट्स कमेटी के कहने के बावजद भी आज तक वर्क्स कमेटी जो है, वह इलैक्टिड बाडी नहीं बनाई गई है। इसकी जांच हो। अगर सही तरीके से मालिक मजदूर का रिश्ता अच्छा हो, वाईपारटाइट एग्रीमेंट हो, रिप्रिज़ेंटेटिव यूनियन्ज़ को रिकगनिशन मिले तो काम ठीक ढंग से चल सकता है। अगर मालिक-मजदूर का रिश्ता खराब हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी हालत से कोई गड़बड़ी वहां हो जाती है तो उससे धक्का सारे देश को लगेगा। प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि ये प्लेसिस आफ पिलग्रिमेजज हैं, ये तीर्थ स्थानहैं। मैं आशा करता हूं कि तीर्थ स्थानों की पवित्रता कोदेखते हुए उनके बीच में ऐसा अच्छा रिश्ता कायम किया जाएगा जिसकी कोई दूसरी मिसाल न हो और वह प्राइवेट सैक्टर के लिए एक मिसाल हो जाए।

आज ही सुबह जवाब देते हुए हमारे श्रम मंत्री महोदय ने कहा कि वेज बोर्ड का जो एवार्ड है इंटेरिम रिलीफ जो है, वह पब्लिक सैक्टर के जो तीन स्टील प्लांट्स हैं, उनमें कुछ कुछ लागू नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा क्या टिस्को नहीं उठायेगा, इस्को नहीं उठायेगा ?

इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि कमेटी की पावर्ज़ ज्यादा होनी चाहियें पावर्ज़ के साथ-साथ उन लोगों को ही लाया जाए जो पब्लिक सैक्टर में विश्वास करते हैं, जो मिक्स्ड इकोनोमी के नाम से प्राइवेट सैक्टर को बूस्ट अप न करना चाहें।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि यह प्रस्ताव यहां आया है और इस के ऊपर गम्भीरता से चर्चा चल रही है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि इस प्रस्ताव के आने में काफी देर हुई है और काफी समय हमारा नष्ट हुआ है। वस्तुतः जो समय नष्ट हुआ है उसके लिए किसी को दोष देना उचित नहीं होगा। इसके कारण कुछ तो मनोवैज्ञानिक थे और कुछ जो प्रक्रियायें हैं जो प्रोसीजर्ज़ हैं, उनके अंदर दिक्कत महसूस हुई और इस प्रकार से इस प्रस्ताव की अवधि बढ़ती गई। कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका प्रदर्शित की है कि शायद यह प्रस्ताव इस सैशन में भी स्वीकृत न हो और अगले सैशन तक चला जाए। परन्तु मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा और इसी सैशन में यह स्वीकृत हो जाएगा। इसका कारण यह है कि इसके बारे में आपका और राज्य सभा के जो चेयरमैन हैं तथा जो इससे सम्बद्ध सज्जन हैं उन सबका परामर्श ले लिया गया है और उसके बाद ही इस की यह रूपरेखा बनी है....

अध्यक्ष महोदय : मालूम नहीं आपके कहने का क्या मतलब है कि हमसे परामर्श कर लिया गया है। हमने अपनी कोई पसन्द नहीं दी है। यह तो हाउस के लिए है।

श्री हेडा : बीच में ऐसी बात हुई थी कि आप और....

अध्यक्ष महोदय : हुई थी कि करेंगे।

श्री हेडा : हां जी।

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा है कि कर लिया गया है ।

श्री हेडा : मैंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आपका परामर्श लेकर ही इस प्रस्ताव की वर्तमान रूपरेखा बनी है ।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा न कहिये ।

श्री हेडा: अगर यह जो मेरा ख्याल है, यह गलत है तो मुझे इसका अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ है । उसके बावजूद भी मैं आशा करता हूं कि जो रूपरेखा इस प्रस्ताव को दी गई है वह ऐसी है जो कि इस सदन को तथा दूसरे सदन को भी स्वीकार्य होगी और इस प्रकार यह जो हमारा काम है, यह आगे बढ़ेगा और जो रोड़ा-सा दिखाई देता है वह नहीं रहेगा ।

अब जो इस समिति को पावर्ज़ दी गई हैं, जो अधिकार दिये गये हैं, उन पर अब मैं आता हूं । अधिकारों के सम्बन्ध में इसके अन्दर कुछ मेंटल रिज़र्वेशन्ज़ कुछ मानसिक कठिनाइयां हैं, ऐसा दिखाई देता है। यह कहा गया है कि प्राक्कलन समिति या लेखा समिति जो हैं, उनके अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं होगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई है । मैं समझता हूं कि जैसा इस प्रस्ताव में दर्ज है वह ज्यादा मुनासिब है । इसलिए ज्यादा मुनासिब है कि भावरूप में, नोशनली जो भी अधिकार प्राक्कलन समिति के या लेखा समिति के हैं, वे रहने चाहियें, लेकिन व्यवहार और रूप में यह समिति ऐसी होगी जो अपना काम बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी भी तरह के बन्धनों के अपने तरीकों से करती रहेगी और साथ साथ यह भी हमारा व्यवहार चलना चाहिये, ऐसे तरीके को खोज निकाला जाना चाहिये कि जो काम यह करे उसमें प्राक्कलन समिति या लेखा समिति अपना अधिकार होने के बावजूद भी हाथ न डालें । यह काम ये समितियां स्वेच्छा से कर सकती हैं । इस प्रकार से जो इस तरह के कार्य हैं, उनको यह समिति करती रह सकती है । यह भी हो सकता है कि कार्य विभाजित कर दिये जायें । यह भी हो सकता है कि इस समिति का यह काम होगा कि पब्लिक सैक्टर में जो भी कम्पनियां हैं या जो भी काम हो रहा है, वह किस प्रकार हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में यह समिति अपना निर्णय दे और प्राक्कलन समिति उसकी नीति के सम्बन्ध में, मूलभूत तत्वों के बारे में अपने विचार प्रकट करे तथा लेखा समिति, जो व्यय हुआ है, वह कहां तक उचित ढंग से हुआ है और कहां तक अनुचित ढंग से किया गया है, उसके बारे में अपनी राय जाहिर करे । इस प्रकार का विभाजन भी हो सकता है । परन्तु मैं इसको अधिक पसन्द करूंगा कि सारे अधिकार इसी समिति को रहें और लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को अधिकार रहने के बावजूद भी वे इनके अन्दर हस्तक्षेप न करें और इस प्रकार इस समिति को पूरी स्वतन्त्रता हो और यह स्वतन्त्रता के साथ अपने काम को आगे बढ़ाये ।

अध्यक्ष महोदय: आप कल जारी रखना चाहेंगे ?

श्री हेडा : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: अब मिनिस्टर साहब एक एमेंडमेंट मव करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री इस समिति के गठन के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि प्रस्ताव में पैरा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(3) that the members of the Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha."

["(३) कि इस समति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा की कालावधि तक पदस्थ रहेंगे।"]

(अन्तर्बाधाएं)

†**अध्यक्ष महोदय:** पांच वर्ष की अवधि के बारे में यह आपत्ति उठाई गई थी कि यह असम्भव है। अतः यह संशोधन लाया गया है।

†**श्री रंगा** : तीन वर्ष।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी अवधि बाकी बची है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : "ड्यूरेशन ऑफ दि लोक-सभा" (लोक-सभा की कालावधि में) इतना होता तो वह हमेशा के लिये लागू होता।

अध्यक्ष महोदय: हां, वह हमेशा के लिये लागू होता, लेकिन अभी तो इतना ही है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १९ नवम्बर, १९६३/२८ कार्तिक, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

सोमवार, १८ नवम्बर, १९६३

---

२७ कार्त्तिक, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	कोलम्बो प्रस्ताव . . .	१–६
२	'वायस आफ अमरीका' ट्रांसमीटर समझौता .	६–१२
३	आस्ट्रेलिया से प्रविधिक सहायता .	१२–१४
४	नेपाल सीमा पर सीमा-चौकियां . .	१४–१६
५	संयुक्त राष्ट्र की "वर्ष पुस्तक" में गोआ .	१६–१८
६	इस्पात मजूरी बोर्ड . .	१९–२१
७	चीनी अतिक्रमण .	२१–२२
८	राज्य योजना बोर्ड . . .	२२–२५
९	दिल्ली में विमान कारखाना . .	२६
१०	पाकिस्तान द्वारा सीमा पर छापे .	२७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर— . .		२८–७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
११	नेफा में वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन .	२८–२९
१२	गुप्त भाषा में भेजे जाने वाले सन्देशों का चीनियों द्वारा पता लगाया जाना	२९–३०
१३	सेना के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	३०
१४	एशियाई प्रसारक सम्मेलन . . .	३०–३१
१५	भारतीयों का बड़ी संख्या में ब्रिटेन जाना .	३१
१६	नौसेना के लिये युद्धपोत . . .	३२
१७	भारत-पाक सीमा का सीमांकन . . .	३२–३३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८	नागालेंड में ग्रामों का पुनर्वर्गीकरण	३३
१९	राजस्थान–पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का सीमांकन	३३–३४
२०	भविष्य निधि अंशदान	३४–३५
२१	आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले लड़ाकू विमान	३५
२२	पूर्वी पाकिस्तान में "ईश्वर पाठशाला"	३५–३६
२३	अफ्रीकी तथा मध्य-पूर्व के देशों में विदेशी प्रचार	३६
२४	भारतीय साम्यवादी दल द्वारा दिल्ली में निकाले गये जलूस संबंधी समाचार चित्र (न्यूजरील)	३६–३७
२५	"टस्कर परियोजना"	३७–३८
२६	तीसरी-योजना का पूर्नविलोकन	३८–३९
२७	एवरो–७४८ विमान	३९
२८	नौसेना के लिये पनडुब्बियां	३९–४०
२९	नागालेंड	४०
३०	संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिण अफ्रीका का निष्कासन	४१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	४१–४२
२	उत्तर प्रदेश में बेरोजगार महिलायें	४२
३	ब्रिटेन में भारतीय	४२–४३
४	एम० ई० एस० बीकानेर	४३
५	तृतीय पंचवर्षीय योजना	४३–४४
६	श्रमजीवी पत्रकार	४४
७	देवा गांव (जम्मू तथा काश्मीर) पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे	४४–४५
८	स्वयंचालित राइफलें	४५
९	मिग लड़ाकू विमान	४५–४६
१०	नेफा में चीनी जासूस	४६–४७
११	लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	४७
१२	संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन	४७
१३	इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजरी बोर्ड	४७–४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४	आकाशवाणी के अनाउंसर	४५
१५	असैनिक कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता	४८
१६	सामूहिक संचार	४८–४९
१७	टैंकों का निर्माण	४९
१८	उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल	४९
१९	भारत सेवक समाज	४९–५०
२०	विश्व पत्रकार सम्मेलन	५०–५१
२१	काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण एम० ए० तथा बी० ए० व्यक्ति	५१
२२	लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग	५१–५२
२३	लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	५२–५३
२४	चीनियों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	५३
२५	पाकिस्तानियों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	५४–५५
२६	मोजम्बीक में भारतीय	५५
२७	लापता भारतीय सिपाही	५५–५६
२८	निकोसिया में अफ्रीकी–एशियाई सम्मेलन	५६–५७
२९	पाकिस्तानियों द्वारा मोदेल गांव (जम्मू तथा काश्मीर) में आक्रमण	५७–५८
३०	पाकिस्तान में भारतीय वैमानिक मंत्रणाकार	५८
३१	चीनी नोटों सहित एक नागा की गिरफ्तारी	५९
३२	बी० ओ० ए० सी० कर्मचारी संघ, नई दिल्ली	५९–६०
३३	सीमा पर जोंकों से कष्ट	६०
३४	कीनिया में भारतीय	६०–६१
३५	नेपाल की सहायता	६१
३६	राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च	६१
३७	नेफा में खाद्यान्नों के मूल्य	६२
३८	लौह-अयस्क कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि	६३
३९	बर्मा तथा लंका से आये भारतीय	६३
४०	विमान चालकों की भर्ती	६३–६४
४१	विदेशी भाषाओं के स्कूल	६४
४२	आयुध कारखानों के लिये विदेशी सहायता	६४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतरांकित

प्रश्न संख्या

४३ कलकत्ता में इंजीनियरिंग श्रमिक . . ६४–६५

४४ नई दिल्ली में चीनी दूतावास . ६५–६६

४५ जवानों के लिये भूमि ६६

४६ नागा विद्रोही ६६–६७

४७ पाकिस्तान द्वारा आसाम की सीमा पर हमला ६७–६८

४८ विमान उत्पादन . . . ६८

५० आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रम . ६८

५१ दिल्ली कपड़ा मिल मजदूर ६८–६९

५२ बाल कल्याण . ६९

५३ सैनिक स्कूल . . ६९–७०

५४ प्रतिरक्षा प्रदर्शनी . . . ७०

५५ पंजाब में श्रमिक शिक्षा केन्द्र . . . ७०–७१

५६ अस्पृश्यता निवारण संबंधी चलचित्र . ७१

५७ उत्तर प्रदेश में सीमा क्षेत्रों में परिषण केन्द्र . . ७१

५८ पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय पुस्तकालय ७२

५९ खानों संबंधी क्षेत्रीय समितियां . . ७२–७३

६० कोयला खानों के लिये नये आदर्श स्थायी आदेश . ७३

६१ कोयला खानों के विवादों की मध्यस्थता ७३–७४

६२ बंकोला की कोयला खान . . ७४

६३ केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण धनबाद ७४

६४ पश्चिम बंगाल की खास चलबलपुर कोयला खान ७४–७५

६५ आकाशवाणी के लिये प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव . ७५

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७५–७६

अध्यक्ष महोदय ने श्री देशपांडे और श्री उ० मू० तेवर, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, श्री आर० राव, जो पहली लोक-सभा के सदस्य थे, डा० देशमुख, जो केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे और श्री अमोलक चन्द, जो अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया ।

इसके बाद, सदस्य गण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय ने श्री वालकॉट के सफदरजंग हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज में भाग जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री नाथपाई ने दी थी, पेश करने की अनुमति दे दी।

इसके बाद श्री नाथ पाई ने प्रस्ताव पेश करने के लिये सभा की अनुमति मांगी। प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दी और अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से यह निदेश दिया कि इस प्रस्ताव को १९ नवम्बर, १९६३ को लिया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८१—८४

(१) ३० सितम्बर, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६३ तक की अवधि में 'निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की कार्यान्विति के बारे में आंकड़ों संबंधी जानकारी' की एक प्रति।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मोटर गाड़ी स्पार्क प्लग उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग प्रतिवेदन (१९६३)।

(दो) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ८(१)—टार/६३।

(तीन) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की सरकारी अधि-सूचना संख्या ८(१)—टार/६३।

(चार) एक विवरण जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) से (तीन) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी।

(ख) (एक) इंजीनियर के स्टील फाइल उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग प्रतिवेदन (१९६३)।

(दो) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ७(२)—टार/६३।

(तीन) एक विवरण, जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी।

(ग) (एक) पिस्टन असेम्बली (पिस्टन, पिस्टन रिंग और गजियन पिन) उद्योग के संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३) ।

(दो) दिनांक २४ अक्तूबर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १५(१)–टार/६३ ।

(तीन) एक विवरण जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति:—

(एक) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुये वर्ष के लिये माजगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुये वर्ष के लिये गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(४) (क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पन्द्रहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सत्रहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६०५ की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को स्पिरिट (जो औद्योगिक तथा शक्तिजनक मद्यसार में सम्मिलित नहीं है), तैयार करने

तथा साफ करने के उद्योग और स्पिरिटों को मिलाने के उद्योग पर लागू किया गया है ।

(ग) शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(घ) दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—५ (१६)/६३ की एक प्रति जिसमें पटसन उद्योग के लिये केन्द्रीय मजरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८४

सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखीं :—

(१) निर्यात (किस्म, नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक, १९६३ ।
(२) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(३) टेक्नोलोजी संस्थायें (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(४) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(५) भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(६) भांडागार निगम (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(७) नाट्य-प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९६३ ।
(८) परिसीमन विधेयक, १९६३ ।
(९) संविधान (पन्द्रहवा संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(१०) संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ ।
(११) व्यक्तिगत चोटें (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३ ।
(१२) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक, १९६३ ।

अनुदानों की अनपूरक मांगें (सामान्य) १९६३–६४ . . ८४

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को बताने वाला एक विवरण पेश किया ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१-६२ . . . ८४

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) ने वर्ष १९६१-६२ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को बताने वाला एक विवरण पेश किया ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना . ८५-८६

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले अधिवेशन के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया गया ।

सरकारी-उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव . ८७—१२३

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने २१ सितम्बर, १९६३ को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्तुत किये गये अपने प्रस्तावों पर भाषण समाप्त किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९६३/२८ कार्तिक, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा और श्री वालकाँट के एक हवाई जहाज में भाग निकलने के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ।

———

GMGIPND—LS III—1456 (Ai)LS—13-12-63—160.

विषय-सूची (जारी)

श्री श० ना० चतुर्वेदी .	१११–११२
श्री अ० ना० विद्यालंकार .	११२–११३
श्री काशीराम गुप्त	११३–११७
श्री स० मो० बनर्जी .	११७–११८
श्री हेडा	१२२
दैनिक संक्षेपिका	१२४–१३१

P.L.S. 41 XXII. 1. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।